बुधवार,
१० दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

१९९९ २०००

लोक सभा

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५२

(सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई)

[उपाध्यक्ष महोदय अयक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था अभिसमय

*१०८६. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि लंका सरकार ने "नौकरी के लिये प्रव्रजन" से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था अभिसमय का अनुसमर्थन करने से इन्कार किया है?

(ख) यदि किया है तो इसका लंका स्थित भारतीय कमकरों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) लंका सरकार ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अभिसमय नम्बर ९७ का, जिसका सम्बन्ध कि "नौकरी के लिये प्रव्रजन" से है, अनुसमर्थन नहीं किया है ।

(ख) यदि लंका सरकार ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया होता तो इस से इस बात में सहायता मिलती कि सामाजिक सुरक्षा लाभों, पारिश्रमिकों, छट्टियों, मज़दूर संघटन, अधिकारों आदि आदि के बारे में भारतीय तथा लंकावासी श्रमिकों के बीच कोई भेदभाव की नीति नहीं बर्ती जाती । अनुसमर्थन न होने की दशा में भारतीय कमकर इन संरक्षणों को अवश्य ही प्राप्य नहीं कर सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को इस बात की सूचना दी गई है कि लंका ने किन कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है?

श्री आबिद अली : श्रीमन, लंका सरकार के लिये यह ज़रूरी नहीं कि वह भारत सरकार को सूचना दे। इस अभिसमय का अनुसमर्थन न होने की दशा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करती है । इसके लिये एक नियमित प्रक्रिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का कोई ज्ञान है कि लंका सरकार द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन न करने की दशा में कितने श्रमिकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री आबिद अली : लगभग ७५०,००० श्रमिकों पर ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी, तथा यदि करेगी तो क्या कुछ करेगी ?

श्री आबिद अली : श्रीमन, यह मामला समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के सामने पेश होता है तथा जैसे कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, इसके लिये एक नियमित प्रक्रिया है । मैं माननीय सदस्य का उनके सुझाव के लिये कृतज्ञ हूं ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया है, तथा, यदि किया है, तो कब किया है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं, श्रीमन, भारत ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमन, क्या सरकार को मालूम है कि लंका सरकार कई वर्षो से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के सम्मेलनों में श्रमिकों के प्रतिनिधि नहीं भज रही है, क्योंकि लंका के श्रमिक अधिकांश रूप से भारतीय हैं; तथा क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है कि लंका के भारतीय श्रमिकों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के सम्मेलनों में उचित प्रतिनिधित्व मिले ?

श्री आबिद अली : श्रीमन, लंका के श्रमिकों की ओर से भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के सम्मेलनो में प्रतिनिधि शामिल होत हैं । पहले लंका कमकर कांग्रेस को प्रतिनिधित्व प्राप्त था परन्तु अब की बार अखिल-लंका ट्रेड यूनियन कांग्रेस को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया । श्रीमन, इस बात का फैसला लंका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की आपसी बातचीत से ही होता है ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ समय बीत जाने के बाद क्या भारत प्रव्रजक कमकरों को देशीय कमकर मानता है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं, श्रीमन ।

श्री थानू पिल्ले : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लंका में भारतीय श्रमिकों के साथ सुव्यवहार करने के सम्बन्ध में कोई वचन दिया गया था तथा इसका कहां तक पालन किया गया है ?

श्री आबिद अली : श्रीमान्, ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था ।

चिकित्सा सामान (उपहार)

*१०८७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सत्य है कि बाहर के कुछ परोपकारी व्यक्तियों ने एम्बुलैंस, एक्स-रे उपकरण जैसा कुछ सामान भारत को उपहार के रूप में पेश किया है ; तथा

(ख) यदि किया है तो क्या ऐसे उपहार के सामान को बहि:शुल्क सम्बन्धी कुछ रियायतें दी जाती हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ऐसे उपहार उन नियोजनों तथा अस्पतालों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जो कि धर्मार्थ के रूप में चलाये जाते हैं ।

(ख) इस अनुपभोग्य चिकित्सक सामान पर जो कि बहि:शुल्क लिया जाता है उसके पुन: भुगतान के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर सरकार विचार करती है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों ने यह अनुपभोग्य चिकित्सक सामान भारत को भेजा है क्या उन्होंने सरकार से कोई प्रार्थना की है कि इस सामान पर लिया गया बहि:शुल्क उन्हें वापिस मिलना चाहिये ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जो अस्पताल अथवा अन्य संस्थायें बिना किसी जातिभेद

गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती हैं तथा ऐसी धनराशियों की वापसी के लिये प्रार्थना करती हैं, उनकी प्रार्थना पर विचार किया जाता है तथा गुण दोष को देखते हुये उन्हें यह वापस दिया जाता है ।

श्रीमती सुषुमा सेन : श्रीमन, क्या मैं जान सकती हूं कि यह उपहार की वस्तुएं कैसे वितरित की जाती हैं तथा किन राज्यों को इससे फायदा पहुंचा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह उपहार राज्यों द्वारा नहीं दिये जाते हैं; परन्तु इन्हें सीधे धर्मार्थ संस्थाओं के पास भेज दिया जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि यह उपहार किसी विशेष प्राइवेट संस्था को देने से पूर्व क्या राज्य के सम्बन्धित विभाग से भी सलाह ली जाती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमन, इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्री गेहूं करार

*१०८८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ जून १९५२ को अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के सम्बन्ध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ११०२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत खरीदे गये गेहूं के मूल्य में तथा अमेरिका, कनेडा तथा आस्ट्रेलिया में खुले बाज़ार में खरीदे गये गेहूं के मूल्य में कितना अन्तर है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): कनेडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में खुले बाज़ार में जो गेहूं खरीदा उसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत खरीदे गये गेहूं से सदा अधिक रहा है । इस में समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहा है । कनेडा में यह अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के मूल्य से लगभग १७ डालर प्रति टन अधिक था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में यह इस से २८ डालर प्रति टन अधिक था । आस्ट्रेलिया में हम खुले बाज़ार में कोई गेहूं नहीं खरीद सके हैं क्योंकि वहां खुले बाज़ार के लिये कोई माल उपलब्ध नहीं था । सारा गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत बेचा जाना था ।

डा० राम सुभग सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अनुसार प्रति टन गेहूं का मूल्य क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं सार्वजनिक हित में गेहूं का ठीक ठीक मूल्य नहीं बतला सकता हूं परन्तु यह १·२ से ले कर १·८ डालर तक प्रति बुशल है ।

डा० राम सुभग सिंह : हमारे आन्तरिक मूल्य में तथा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम अपने अनाज की दूसरे देशों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं ।

श्री दाभी : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि खुले बाज़ार में से कितना गेहूं खरीदा जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गत वर्ष हम ने लगभग २१,७४,००० टन गेहूं खरीदा ।

श्री दाभी : अगले वर्ष ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत फसली वर्ष पहली अगस्त से ले कर ३१ जुलाई तक माना जाता है । गत वर्ष में, अर्थात् जो प्रथम अगस्त

१९५१ से शुरू होके ३१ जुलाई १९५२ को समाप्त हुआ, हम ने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार से बाहर २१,७४,००० टन गेहूं ख़रीदा। अगले वर्ष अर्थात् जो अगस्त से शरू हो के अगले जुलाई को समाप्त होगा हम अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार से बाहर कोई गेहूं नहीं खरीद रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार में ऐसी क्या बात है जिस के कारण माननीय मंत्री उस में दिये गये मूल्य नहीं बता सकते हैं ? क्या यह न बताना अन्तर्राष्ट्रीय जगत के हित में है अथवा भारत के लोक हित में है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं यह मूल्य नहीं बता सकता हूं। यह एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि मेरे पास आंकड़े भी नहीं हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में खरीदे गये गेहूं के मूल्य में तथा इस करार के अन्तर्गत खरीदे गये गेहूं के मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार से बाहर जो भी गेहूं ख़रीदी जाती है उसका मूल्य सदा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत खरीदे गये गेहूं से अधिक होता है। कनेडा का गेहूं इस से मूल्य में १७ डालर अधिक था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का गेहूं इस से २८ डालर अधिक था।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : तो ऐसी दशा में हम ने अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार से बाहर गेहूं क्यों खरीदा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हम अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार से बाहर कहां जा सकते थे ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री ने एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि भारत में प्रचलित मूल्यों की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका कारण क्या है ?

श्री किदवई : यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडी से गेहूं ख़रीदते हैं तो हमें उस से कम मूल्य चुकाना पड़ता है जो कि हम यहां लोगों से वसूल करते हैं। शायद पंजाब के खुले बाज़ार को छोड़ के गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में गेहूं के मूल्य हमारे आन्तरिक समाहार मूल्यों से सदैव कम थे।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अमेरिका से आयात किये गये गेहूं की क्वालिटी अन्य देशों से आयात किये गये गेहूं की क्वालिटी से घटिया है ?

श्री किदवई : हम भी अच्छे किस्म का तथा घटिया किस्म का गेहूं पैदा करते हैं। यह खरीदारों का दोष है यदि उन्हें अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मिलता है।

पंच राष्ट्र समिति

* १०८९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत उस पंच-राष्ट्र समिति में शामिल हो रहा है जो कि आपात में खाद्य भाव के निवारण के लिये खाद्यान्न रक्षित केन्द्र स्थापित करने की एक परियोजना तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि शामिल हो रहा है, तो क्या इस परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ग) यह परियोजना किस प्रकार की है; और

(घ) क्या सरकार इस परियोजना की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) यह परियोजना तैयार करने के लिये कोई पंच-राष्ट्र समिति नियुक्त नहीं की गई है। परन्तु खाद्य तथा कृषि संस्था की परिषद् ने अपनी गत नवम्बर वाली बैठक में सात देशों को इस उद्देश्य के लिये चुना कि वह एक ऐसे पर्यालोकन दल के लिये अपने विशेषज्ञ मनोनीत करें जो आपात खाद्य रक्षित केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार करें तथा मार्च १९५३ तक अपनी रिपोर्ट परिषद् के सामने पेश करें, इन सात देशों में भारत भी एक है।

चंकि ऐसी कोई स्कीम नहीं है इसलिये प्रश्न के भाग (ख), (ग) तथा (घ) उत्पन्न नहीं होते हैं।

हुगली नदी के ऊपरी भाग में जल प्रदाय

***१०९०. श्री एस० एन० दास :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हुगली नदी के ऊपरी भाग में जल-प्रदाय का विकास करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी क्या उस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है ?

(ख) यदि की है, तो इस समिति की महत्वपूर्ण सिपारिशे क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कब तक इस सम्बन्ध में निश्चय करेगी ?

श्री अलगेशन : शीघ्र ही।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकत हूं कि क्या योजना आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है ?

श्री अलगेशन : यह सिपारिशें कुछ देर से प्राप्त हुईं। यह रिपोर्ट हमें १० नवम्बर को मिली। मेरे विचार में योजना आयोग को इस पर विचार करने के लिये कोई समय नहीं मिला।

श्री बी० के० दास : क्या योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है अथवा यातायात मंत्रालय ?

श्री अलगेशन : यातायात मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

श्री बर्मन : क्या इस रिपोर्ट का सम्बन्ध गंगा बांध परियोजना से है तथा यदि है, तो इस पर अन्तिम रूप से कब विचार किया जायगा ?

श्री अलगेशन : गंगा बांध परियोजना का ज़िक्र भी इस रिपोर्ट में आ जाता है।

श्री के० के० बसु : क्या इस परियोजना पर विचार करके इसे योजना आयोग की रिपोर्ट में शामिल किये जाने की कोई आशा हो सकती है ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

रेलगाड़ियों में चोरियां

***१०९१. श्री दाभी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ के वर्ष में प्रत्येक रेलवे पर मुसाफ़िर गाड़ियों तथा माल गाड़ियों की कितनी चोरियां हुई हैं ;

(ख) कितने मूल्य की सम्पत्ति चुराई गई है तथा कितनी बरामद की गई है; और

(ग) इन चोरियों के सिलसिले में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है तथा कितनों की दोषसिद्धि हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५१-५२ में सैंट्रल रेलवे पर माल तथा मुसाफिर गाड़ियों में १७८० चोरियां हुई हैं, तथा पूर्वी रेलवे पर ४५९९, उत्तरी रेलवे पर ११०७, पूर्वोत्तर रेलवे पर ६७१, दक्षिणी रेलवे पर १७०१ तथा पश्चिमी रेलवे पर ५६१ चोरियां हुई हैं ।

(ख) इन सभी रेलमार्गों पर इसी काल में ५८,९०,३०५ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति चुराई गई है तथा ७,२९,९५६ रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई है ।

(ग) इन चोरियों के सिलसिले में २२९२ व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये और १०९५ व्यक्तियों की दोषसिद्धि हुई है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने चोरी की घटनाओं को यथासम्भव कम कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न का उत्तर पहले भी कई बार दिया जा चुका है । हम ने कई पग उठाये हैं, जैसे कि प्रहरी विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है तथा पुलिस संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है । यह अधिकांश रूप से शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न है तथा इसका निवारण रेल विभाग की अपेक्षा सम्बन्धित राज्यों को करना होगा । परन्तु रेल विभाग ने इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय से भी परामर्श किया है तथा अब संघठित रूप से कार्यवाही कर रहा है ।

श्री दाभी : क्या यह बताना सम्भव है कि मुसाफिर गाड़ियों में प्रत्येक श्रेणी के कम्पार्टमेंटों में कितनी चोरियां हुई हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को मालूम है कि चोरी की कला में लोगों को प्रशिक्षा देने के लिये एक नियमित शिक्षा केन्द्र चल रहा है ?

श्री अलगशन : मेरे विचार में नहीं है ।

श्री ए० काले : क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि यह स्कल कहां स्थित है ताकि इसे वहां से हटाया जा सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मत्री ने बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं ।

श्रीमती ए० काले : परन्तु वह इसका पता लगा सकते हैं । उनके पास गुप्तचर विभाग है ।

श्री अलगेशन : सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा यह संकेत लिया जायेगा ।

श्री के० जी० देशमुख : : क्या मैं जान सकता हूं कि सैंट्रल रेलवे पर जो चोरियां हुई हैं क्या उनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न का सम्बन्ध चोरियों से है न कि प्रति-कर से । मैं ने चोरी हुई सम्पत्ति का मूल्य बतलाया है । यदि आप किसी विशिष्ट रेलवे के सम्बन्ध में वह जानकारी चाहते हैं तो मैं यह दे सकता हूं । सैंट्रल रेलवे पर १८,३७,९४० रुपये की सम्पत्ति चुराई गई है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि अभियोग चलाये गये व्यक्तियों में से कितने रेल कर्मचारी थे ?

श्री अलगेशन : मेरे पास यह जानकारी अलग नहीं है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इन चोरियों में वाच एंड वार्ड (प्रहरी विभाग) और पुलिस कर्मचारियों का हाथ होता है ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि वह रेल कर्मचारियों की सांठ गांठ की ओर निर्देश कर रहे हैं । ऐसे भी कुछ मामले हुये हुए हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि पहले दर्जे के डिब्बों में कितनी चोरियां हुई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने पहले ही बताया है कि उनके पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बर्मन : क्या यह सत्य है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर पहले की अपेक्षा चोरियों की संख्या बढ़ गई है ; यदि बढ़ गई है तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री अलगेशन : मैं ने निवेदन किया है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर १७०१ चोरियां हुई हैं । पूर्व वर्षों में कितनी चोरियां हुई थीं, इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एम० डी० जोशी : रेल मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही की है उसको छोड़ के गृह मंत्रालय ने इन चोरियों की रोकथाम के लिये क्या पग उठाये हैं ?

श्री अलगेशन : गृह मंत्रालय ने एक सम्मेलन बुलाया जिस में पश्चिमी बंगाल, बिहार आदि जैसे राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । उन्होंने कुछ विशेष पग उठाने का निश्चय किया जिन्हें कि क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बहुत से बच्चों को रेल गाड़ियों के पायदानों पर सफर करने दिया जाता है तथा बाद में यही शरारती लड़के यात्रियों के सामान की चोरी करते हैं ; तथा यदि सरकार को इस बात की जानकारी है तो इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है । उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

श्री जयपाल सिंह : सब से अधिक चोरियां किस राज्य में होती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हमारे लिये यह कहना ज़रूरी है कि इन चोरियों के लिये राज्य ज़िम्मेवार हैं ?

श्री जयपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि किस क्षेत्र में सब से अधिक चोरियों के होने की सूचना मिली है — यह एक राज्य हों अथवा दो राज्य हों ।

श्री अलगेशन : मैं ने प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े दिये हैं । रेलमार्ग विभिन्न राज्यों से होके जाते हैं इसलिये राज्यवार आंकड़े देना सम्भव नहीं ।

लाला अचिन्त राम : क्या इन चोरियों के सिलसिले में किसी यात्री को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई जानी नुकसान होता है तो यह केवल चोरी नहीं अपितु डकैती होती है ।

श्रीमती सुषुमा सेन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह चोरी दुर्घटनाएं अन्य डिब्बों की अपेक्षा ज़नाना डिब्बों में अधिक होती हैं ? क्या मैं यह भी जान

सकती हूं कि सरकार महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगेशन : रक्षा सम्बन्धी उपाय ज़नाना डिब्बों के सम्बन्ध में अधिक होते हैं तथा इन डिब्बों की देखभाल भी अच्छी तरह से की जाती है।

श्री मुनिस्वामी : श्रीम न्, क्या बरामद की गई सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षों को वापस की जाती है अथवा सरकार के कब्ज़े में रहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि माननीय सदस्य एक वकील हैं। यह कभी भी सरकार की सम्पत्ति नहीं है। यह सम्बन्धित पक्ष को यदि वह स्वयं चोर न हो, वापस दी जाती है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार पूर्वी रेलवे पर लगभग ४५९५ चोरियों के होने की सूचना दी गई है। यह चोरियों की कुल संख्या का आधे से अधिक भाग है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस क्षेत्र में चोरियों की संख्या बढ़ जाने का कोई विशेष कारण है — क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसका कारण यह है कि इन चोरियों में रेल कर्मचारियों का हाथ होता है।

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मैं इस सम्बन्ध में कोई विशेष कारण नहीं दे सकता हूं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेल मार्गों के पुनःवर्गीकरण के बाद इन चोरियों में वृद्धि हुई है ?

श्री अलगेशन : ऐसा अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं।

श्री बूवराघसामी : गत वर्ष के मुकाबले में क्या इन चोरियों की संख्या घट गई है अथवा बढ़ गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने बताया कि उनके पास यह सूचना नहीं है।

श्री केलप्पन : क्या इन में से अधिकांश चोरियां दिखावटी भिखारियों द्वारा की जाती हैं ?

श्री अलगेशन : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री संगण्णा : इन चोरियों को पकड़ने में जो लोग सहायता करते हैं क्या उन्हें पुरस्कार दिये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : जब तक कि पुरुस्कारों की शर्त पहले ही न रखी गई हो ; कोई ऐसे पुरुस्कार नहीं दिये जाते हैं।

रेलवे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, १९५१

***१०९३. श्री दाभी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रेलवे लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५१ में हानि, अनुचित व्यय, वित्तीय अनियमिताओं आदि के कई उदाहरण दिये गये हैं ?

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो सरकार को इस सम्बन्ध में कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

(ग) इस नुकसान के लिये जो लोग ज़िम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(घ) भविष्य में ऐसा नुकसान न हो, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ४६·६१ लाख रुपये, इस में से ३४ लाख रुपये विभाजन के परिणामस्वरूप कांचडपारा परियोजना को एकाएक छोड़ के पूरा किया गया है।

(ग) जहां भी सम्भव हो सका है वहां नुकसान के लिये ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। जो व्यक्ति जितनी हद तक इस नुकसान के लिये ज़िम्मेदार था उसके विरुद्ध उसी हद तक कार्यवाही की गई। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट १९५१ में दी गई ऐसी घटनाओं के लिये जो व्यक्ति ज़िम्मेदार थे उनके विरुद्ध निम्न लिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं के प्रति असंतोष प्रकट किया गया तथा उन्हें चेतावनी दी गई कि भविष्य में उन से ऐसी भूल चूक नहीं होनी चाहिये।

(२) तरक्कियां बन्द कर दी गईं तथा राज्य रेलवे भविष्य निधि में सरकारी अंशदान बन्द कर दिया गया।

(३) कर्मचारियों को अपने पदों से हटा कर निम्न पदों पर रखा गया, स्थान तबदीली की गई तथा तरक्की बन्द की गई।

(४) नौकरियों से हटा दिये गये।

उपरोक्त कार्यवाही के अलावा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई। दोषसिद्धि पर उन्हें न केवल जुर्माने की अपितु कैद की सज़ा भी दी गई।

(घ) १,००० रुपये से अधिक हानि के मामले अथवा ऐसे मामले जिनके सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी गम्भीर त्रुटियों का पता चले, बोर्ड के सामने पेश किये जाते हैं। बोर्ड सभी दृष्टिकोणों से इन पर विचार करता है तथा देखता है कि प्रक्रिया में कोई हेरफेर तो नहीं। यदि कोई हेरफेर निकले तो इसे ठीक करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

श्री दाभी : क्या मैं इन लोगों के नाम तथा/अथवा पद जान सकता हूं जिनके विरुद्ध यह कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इन व्यक्तियों के नाम नहीं हैं।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमन, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में जो दंड दिये गये हैं वह अधिकारियों के पद के साथ साथ घटते गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस सदन में व्यंगात्मक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमन्, यह कोई व्यंगात्मक प्रश्न नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : पदों के बढ़ने के साथ साथ दंड क्यों घटते जायें ? यदि किसी विशेष घटना का उल्लेख किया जाये तो यह बिल्कुल ठीक है। माननीय सदस्य ऐसे बोल रहे हैं गोया इस सम्बन्ध में कोई साधारण अनुदेश दिये गये हैं .....

श्री वी० पी० नायर : यही कुछ मैं जानना चाहता था। दुर्भाग्यवश, श्रीमन, मैं इन मामलों की ओर निर्देश नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे इनका पता समितियों में लगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस की कोई चिन्ता नहीं। ऐसे व्यंगात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : यह बिल्कुल व्यंगात्मक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह निकलता है--जितना ही कोई व्यक्ति धनी हो उतना ही कम दंड उसे मिलना चाहिये। मुझे सचमुच हैरानी होती है।

छत्तीसगढ़ में धान की फसल (कीड़ा)

*१०९४. **श्री जांगड़े** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि एक प्रकार का कीड़ा छत्तीसगढ़ में धान की बालों को भारी हानि पहुंचा रहा है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; तथा

(ग) क्या इस कीड़े को मारने के लिये सरकार ने कीटनाशक द्रव्यों के संभरण और वितरण के लिये कुछ प्रयत्न किया ह ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां । यह कीड़ा गुंढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है जो कि धान की फ़सल को खराब करता है ।

(ख) सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में मध्य प्रदेश सरकार से इस कीड़े के पौधों में लगने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी ।

(ग) सूचना प्राप्त होने पर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दो शक्ति-चलित धूलन (डस्टर) तथा ६० हस्त-चलित धूलन (डस्टर) और दस हैंड्रडवेट कीटाणुनाशक द्रव्य भेजे । एक अग्र कीट-शास्त्रविज्ञ, दो टैक्नीकल अधिकारी तथा पौध संरक्षण निरोधी तथा संग्रह निदेशालय का एक यान्त्रिक तुरन्त ही मध्य प्रदेश भेजे गए जिस से कि वह कीटाणुनाशक कार्यवाही में राज्य सरकार की सहायता कर सकें ।

राज्य सरकार ने कृषकों में रियायती दामों पर १५० टन कीटनाशक द्रव्य तथा ४०० धूलन (डस्टर) वितरित किये ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि राइस पैस्ट बग्स की वजह से छतीसगढ़ में कितनी फ़सल का नुकसान हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बताया नहीं है । एक वक्त उन का कहना था कि पांच लाख एकड़ तक का उस से नुकसान हुआ है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि इस राइस बग्स के कारण चावल की फ़सल में कमी होने की वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष कितना चावल दूसरे प्रान्तो को देने के लिये क़बूल किया था, उस से कम चावल वह इस वक्त देने जा रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि बावजूद इस बीमारी के इस साल चावल गुज़िश्ता साल से ज्यादा पैदा हुआ है और वह हम को पार साल से दुगुना चावल देगो ।

श्री जसानी : क्या छतीसगढ़ को छोड़ के मध्य प्रदेश के किसी अन्य भाग में भी धान के पौधों को यह बीमारी लगी थो ?

डा० पी० एस० देशमुख : मध्य प्रदेश में सारवत् इसी भाग में पौधों को यह बीमारी लगी थी ।

श्री जसानी : क्या छतीसगढ़ डिवीज़न को छोड़ के किसी अन्य भाग में भो पौधों को यह बीमारी लगी थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्भवतः और भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे ।

श्री एम० एल० द्विवेदा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त किन्हीं और राज्यों में भी इस कीड़े के द्वारा नाश की खबरें आई हैं ? यदि आई हैं, तो क्या उपाय किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, जहां जहां से ऐसी खबरें आई हैं, वहां भो ऐसे हो उपाये किये गये हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : किन किन राज्यों में ?

डा० पी० एस० देशमुख : उड़ीसा में और बिहार में।

श्री के० जी० देशमुख : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विशेषज्ञों से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इस कीड़े का बिल्कुल नाश किया गया है तथा अगले वर्ष यह फिर प्रकट नहीं होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें ऐसी कोई गारंटी नहीं मिली है।

सरदार ए० एस० सहगल : इस कीड़े के मारने में कुल कितना खर्चा हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह तो अन्दाज़ा हमारे पास नहीं है। मगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ पैसा अब तक इस प्लांट प्रोटैक्शन के लिये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिया है, वह मैं बतला सकता हूं।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि जैमैक्सीन पावडर किसानों को तकावी पर दिया गया है या खुद खरीद पर दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पाउडर तो नहीं मगर जो औज़ार दिये गये हैं वे तकावी पर दिये गये हैं। जिन्होंने तकावी पर लिये हैं उन को ४ / ५ कीमत पर दिये गये हैं। और जिन्होंने कैश प्राइस पर लिये हैं उन को २ / ३ कीमत पर दिये हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या इस तरह की रिपोर्ट कोई बिहार से आई थी और यदि आई थी तो उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कौन सा कार्य किया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां। वहां तो हवाई जहाज भेजे गये और बहुत जल्दी उसका सफाया कर दिया गया।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा से भी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां मैं पहले ही यह बता चुका हूं।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि इस राइस बग्स की पैदाइश के क्या कारण हैं और क्या यह सच है कि यह राइस बग्स मद्रास से फैले हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कीड़े किसी विशिष्ट राज्य की सम्पत्ति नहीं।

श्री थानू पिल्ले : क्या इस प्रश्न का अनुवाद मुझे दिया जा सकता है ? हम इसे समझ नहीं सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कीड़ों का अनुवाद क्यों चाहिये ?

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली, राजस्थान अथवा अन्य किसी स्थान से कोई कीड़ा जा रहा है

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देखेंगे कि इस तरह से कैसे प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिये मैं किसी कीटाणु को इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि वह हमें अथवा इस सदन को अपने वश में कर ले। अगला प्रश्न।

सड़कें

*१०९५. **श्री बाल्मीकी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५२ तक कितनी मील ऐसी सडकें बना ली गई हैं जिनके लिये कि केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है तथा यह कहां बना ली गई हैं ; तथा

(ख) इस काम पर कितना धन खर्च किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें कि भाग ग तथा भाग घ को छोड़ के शेष सभी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५**] । इनके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है ।

श्री बाल्मीकी : किस राज्य का प्रति मील खर्च सब से अधिक है और क्यों ?

श्री अलगेशन : विभिन्न तत्वों के कारण निर्माण परिव्यय अलग अलग स्थानों पर अलग है । सामान्यतः यह एक लाख रुपये प्रति मील से लेकर १·६ लाख रुपये प्रति मील तक है ।

एक माननीय सदस्य : वह यह जानना चाहते ह कि निर्माण परिव्यय किस राज्य में अधिकतम है ।

श्री अलगेशन : यह बताना सम्भव नहीं । एक ही राज्य में यह अलग अलग स्थानों पर अलग हो सकता है ।

श्री एन० पी० दामोदरन् : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में राष्ट्रीय राज-मार्गों के कुल कितने मील बने हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में पुस्तकालय में एक विशेष रिपोर्ट मौजूद है ।

श्री अलगेशन : लगभग १३,४०० मील ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी गोदावरी में कुछेक मील सडक बनाने का काम अपने हाथ में लिया है परन्तु वहां की जनता के श्रमदान के बावजूद गत दो अथवा तीन वर्षों से इस पर कोई काम नहीं हो रहा है ? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : मुझे इस विशेष कडी के बारे में कोई जानकारी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अक्तूबर १९५२ में कुल कितनी मील सड़कें बनाई गई हैं । माननीय मंत्री से यह जानने की कैसे आशा की जा सकती है कि अमुक अमुक सडक पर निर्माण का काम क्यों शुरू नहीं किया गया है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : गत तीन वर्ष से केन्द्रीय सरकार के अधिकारी वहां जाते रहे हैं तथा वहां के श्रमिकों से सड़क बनवाते रहे हैं, परन्तु कोई भी सामान उन्हें नहीं भेजा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का कहना ठीक है । किन्तु यह एक विस्तृत प्रश्न है कि अमुक अमुक सडक पर निर्माण का काम क्यों शुरू नहीं किया गया है । मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य का उद्देश्य क्या है । वह जानना चाहते हैं कि एक विशेष महीने में कितनी मील सड़कें तैयार की गई हैं । मुझे मालूम नहीं कि यह कैसे अनुकूल है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता को मद्रास से मिलाने वाले राजमार्ग का कोई भाग गत अक्तूबर के महीने में तैयार किया गया है ?

श्री अलगेशन : वास्तव में जिस दिन से हम ने कार्य भार सम्भाला है उस दिन से अब तक की सूचना दी गई है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार केन्द्रीय रक्षित निधि में से एलौरा तथा अजंता के समीप सड़कें बनाने का विचार रखती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे कि मैं ने बताया, प्रश्न यह है कि अक्तूबर तक कितनी मील सड़क बनाई गई है । इस में यह बात

नहीं आ जाती है कि क्या नई सडक बनाने का कोई विचार है ।

श्री जसानी : क्या हम राज्य-वार मीलों की संख्या जान सकते हैं ?

श्री अलगेशन : यह सारी बातें विवरण में दी गई हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इन सड़कों के बन जाने के पश्चात् इन्हें बनाये रखने के लिये कौन खर्च उठाता है—राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ?

श्री अलगेशन : स्कीम यह है । जहां तक भाग क तथा भाग ग में राष्ट्रीय राज मार्गों का सम्बन्ध है, उन्हें बनाये रखने का खर्चा हम उठाते हैं । पूंजी परिव्यय भी हम ही उठाते हैं । भाग ग तथा भाग घ राज्यों में हम सभी सड़कों का संधारण करते हैं ।

कलकत्ता स्थित ऐस्प्लेनेड मेन्शन्स (भवन)

*१०९६. **श्री कृष्ण चन्द्र:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने वर्ष १९४८-४९ में लोक सम्पर्क तथा प्रकाशना कार्यालयों के लिये किराये पर लिये कलकत्ता स्थित ऐस्प्लेनेड मेन्शन्स (भवनों) की देख भाल पर तथा इसके किराये पर एक लाख से अधिक रुपया खर्च किया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह भवन तीन वर्ष तक खाली पड़ा रहा तथा इस समय में भी इस की देख भाल पर तथा इसके किराये पर धन खर्च होता रहा ; तथा

(ग) इस नुक्सान के लिये कौन जिम्मेदार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री : (**श्री अलगेशन**) : (क) जी नहीं । १९४८-४९ में इसकी देख रेख व्यवस्था तथा इसके किराये पर कुल २४,९०० रुपये व्यय हुए हैं ।

(ख) जी हां, यह लगभग तीन वर्ष के लिये खाली पड़ा रहा ।

(ग) लोक सम्पर्क तथा प्रकाशना कार्यालय के रूप में इसे प्रयोग में लाने से पूर्व इस में काफी मरम्मत तथा फेर बदल करने की आवश्यकता थी । इस काम के लिये प्राक्कलन तैयार करने तथा टेंडर बुलाने में कुछ समय लगा, इसके बाद निर्माण कार्य की प्रगति प्रवीण श्रम के अभाव के कारण सुस्त रही । प्रवीण श्रम के अभाव का कारण १९४६ का कलकत्ता हत्याकांड तथा उसके बाद की गड़बड़ी थी । बंगाल-आसाम रेलवे जिसका सदर स्थान कलकत्ते में था, के बटवारे के परिणामस्वरूप भी इस मामले में विलम्ब हुआ । व्यक्तिगत जिम्मेदारी का इस लिये कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लोक लेखा समिति ने इस सम्बन्ध में अपना कोई विशेष विचार प्रकट किया है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मैं इस समय यह नहीं कह सकता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या यह सत्य है कि लोक लेखा समिति ने इस मामले के सम्बन्ध में घोर असन्तोष प्रकट किया है तथा रेलवे प्रशासन को सलाह दी है कि उन्हें कोई ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिये जिस से कि इस लापरवाही का निवारण हो ?

श्री अलगेशन : हो सकता है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे इमारतों में इस कार्यालय को खोलने के लिये काफी जगह नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि एक विशेष इमारत क्यों खाली है ? इसे इस कार्यालय के लिये अथवा अन्य किसी कार्यालय के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है । यह इतनी देर से खाली क्यों पड़ी है—यही सवाल है ।

श्री के० के० बसु : ऐस्प्लेनेड मेन्शन्स एक किराये पर लिया हुआ मकान है । म

जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कार्यालय को अपनी रेलवे इमारतों में ले सकती है। पहले कलकत्ते में दो प्रधान कार्यालय थे।

श्री अलगेशन : वास्तव में कलकत्ता स्थित यह दोनों प्रधान कार्यालय उस समय लोक सम्पर्क तथा प्रकाशना कार्य के लिये एक संयुक्त कार्यालय स्थापित करना चाहते थे। इसीलिये इस इमारत को किराये पर लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई वैकल्पिक आवास सुविधा उपलब्ध है तथा क्या इतना किराया देना आवश्यक है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र : लोक लेखा समिति ने इस बारे में जो विचार प्रकट किये हैं क्या उन्हें सम्बन्धित विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं ने यह नहीं कहा कि इसे सम्बन्धित विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है। मैं ने निवेदन किया कि मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

*१०९७. **श्री मोहन राव** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की हाल ही में कोई बैठक हुई है ?

(ख) यदि हुई है तो क्या यह तथ्य है कि उन्होंने वर्तमान परियोजनाओं का पुनर्विलोकन किया है तथा और अधिक विस्तार परियोजनायें बनाई हैं ?

(ग) चालू काम की प्रगति क्या है ?

(घ) भविष्य के लिये बनाई गई परियोजनाओं का सविस्तार वर्णन क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, माननीय सदस्य सम्भवतः ३० तथा ३१ अक्तूबर १९५२ को हुई भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अनुसन्धान तथा विस्तार बोर्डों की संयुक्त बैठक की ओर निर्देश कर रहे हैं।

(ख) यह बैठक इसलिये बुलाई गई थी कि १९५३-५४ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा अर्थसंधारित अनुसन्धान परियोजनाओं पर विचार किया जाये। दोनों बोर्डों ने ऐसी बहुत सी स्कीमों पर विचार किया तथा अनुमोदित स्कीमों को टैक्नीकल जांच के लिये वैज्ञानिक समितियों के सुपुर्द किया। इन बोर्डों द्वारा किसी विशेष स्कीम पर पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

(ग) चालू स्कीमों की कार्यप्रगति सामान्यतः संतोषजनक है। ऐसी स्कीमों का विवरण सामान्यतः भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है, जिसकी प्रतियां इस सदन के पुस्तकालय को भी भेजी जाती हैं।

(घ) नई स्कीमों सहित जिन स्कीमों पर बैठक में विचार हुआ है उनकी एक सूची सदन पटल पर रख दी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६**].

श्री मोहन राव : क्या मैं जान सकता हूं कि परिषद् की देखरेख में किस प्रकार की नवीनतम धान के बीज तैयार किये गए हैं तथा इन बीजों को सस्ते दामों पर तथा विस्तृत रूप से उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हाल ही में हम ने लखनऊ में एक भारी सम्मेलन बुलाया

था । तथा इस में निश्चय किया गया कि इन अनुसन्धानों के परिणामों को किसानों तक पहुंचाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा । तथा जो प्रयत्न पहले से ही जारी हैं उन्हें उग्र किया जायगा ।

श्री मोहन राव : इस परिषद् की देखरेख में खुश्क ज़मीनों से उत्पन्न होने वाली फसलों के लिये किन नये तथा उन्नत कृषि-सारों का पता लगाया है तथा कृषकों को यह कृषिसार सस्ते दामों पर तथा विस्तृत रूप से उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उपयोग के लिये वांछित सभी कृषि सारों की अन्वीक्षा की जा रही है तथा जहां आवश्यकता पड़ती है वहां इन्हें प्रयोग में लाने की सिपारिश की जाती है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि विभाग द्वारा प्रकाशित साख्यकी **को** बिल्कुल सही रखने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान् ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी स्कीम तैयार की गई है जिस से कि भारतीय चमड़ा विदेशी चमड़े का मुकाबिला .....

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न कृषि से सम्बन्ध रखता है । चमड़ा भी क्या.....?

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, मुझे यह मालूम है, चमड़ा तथा खालें भी उस विषय के अन्तर्गत आ जाती हैं !

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे खेद है कि मेरे पास इस सिलसिले में चमड़े के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । माननीय मंत्री ने बताया कि वह इस समय यह सूचना देने में असमर्थ हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह चमड़े में भी अनुसन्धान का काम करती है । चमड़ा तथा खालों का भी जिक्र किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम प्रश्न यह पूछा गया है कि भविष्य के लिये जो स्कीमें तैयार की गई हैं उनका सविस्तार वर्णन क्या है ? हो सकता है कि ऐसी ५०, ६० स्कीमें हों । क्या माननीय मंत्री से आशा की जा सकती है कि वह इन सब का सविस्तार विवरण दें ? और भी विशेषज्ञ हैं । यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट स्कीम में दिलचस्पी रखते हों तो वह कृपया दूसरा प्रश्न पूछें । मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य सारी आवश्यक सूचना दे देंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख : स्कीमों की कुल संख्या १५१ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ईश्वर को छोड़ कोई भी विशेषज्ञ यह काम नहीं कर सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : पिछले दिन माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पशुओं का २५ प्रतिशत से अधिक भाग यक्षमा के रोग से पीड़ित है । विवरण से पता चलता है कि विभिन्न पशु-रोगों की रोक थाम के लिये कई परियोजनाएं हैं । श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि पशुओं में यक्षमा की रोक थाम के लिये क्यों कोई परियोजना नहीं जबकि सरकार ने स्वयं यह मान लिया है कि २५ प्रतिशत से अधिक पशु यक्षमा का शिकार बने हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: इन सभी क्षेत्रों में परियोजनाएं राज्य सरकारों तथा अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्थापित की जाती हैं; मेरा पूरा विश्वास है कि केवल यही परियोजनाएं चालू नहीं हैं। यह १५१ स्कीमें नई हैं जो कि वर्ष १९५३–५४ के लिये विचारार्थ प्रस्थापित की गई हैं। इन में वह स्कीमें शामिल नहीं हैं जिनकी कि अन्वीक्षा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि पशुओं में यक्ष्मा की रोक थाम के लिए पहले से ही स्कीमें विद्यमान हों।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान्।

डा० के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस अनुसन्धान संस्था ने बंगाल में स्थित बोस इन्स्टीट्यूट जैसी प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संघटित अन्य अनुसन्धान परियोजनाओं अथवा कार्यों पर भी विचार किया है?

डा० पी० एस० देशमुख : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद इस प्रकार की सभी परियोजनाओं पर विचार करती है चाहे यह परियोजनाएं प्राइवेट संस्थाओं अथवा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा पेश की गई हों।

श्री रघवय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं को तैयार करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका से कितने विशेषज्ञ बुलाए गए थे?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है कोई विशेषज्ञ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के पास कोई सूचना होनी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक ही चीज़ को खींचे जा रहे हैं।

श्री के० के० बसु : क्या मंत्री जी को मालूम है कि कलकत्ता स्थित बोस इन्सटीट्यूट के अनुसन्धान केन्द्र में एक नये किस्म के पटसन तथा कपास के बीजों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किये गए हैं?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार की स्कीम उन्हें वापस भेज दी गई है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्कीम क्या है? माननीय सदस्यों को इन मामलों में अस्पष्ट नहीं रहना चाहिये। उनके पास कुछ विश्वस्त तथ्य तथा आंकड़े होने चाहियें, उनके पास कुछ अग्रेतर प्रश्न अथवा कुछ अभ्यावेदन होने चाहियें। उन्हें यह नहीं करना चाहिये कि वह अनिश्चित प्रश्न पूछें तथा फिर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करके उस पर अनुपूरक प्रश्नों का सिलसिला जारी करें। मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूं। माननीय सदस्य में यह कहने का साहस नहीं था कि वह इस से परिचित नहीं हैं।

श्री वी० पी० नायर : सदन पटल पर जो सूची रखी गई है उस में दिल्ली दुग्ध सम्भरण परियोजना नाम की भी एक स्कीम है। श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के अन्तर्गत कितना दूध प्रतिदिन सप्लाई किया जाता है तथा इस से नगर की खपत का कितना प्रतिशत भाग पूरा होता है?

उपाध्यक्ष महोदय : परियोजनाओं की कुल संख्या १५१ है। प्रत्येक परियोजना क्या है, इसका समानुपात क्या है, इस से कितना प्राप्त होने की आशा है, यह सविस्तार जांच के मामले

हैं, माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछ के माननीय मंत्री का ध्यान उस ओर दिला सकते हैं। वह अवश्य ही इसका उत्तर दे देंगे।

श्री वी० पी० नायर : इसकी कार्य प्रगति क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री बी० पी० नायर : विवरण में इस सम्बन्ध मे कुछ नहीं कहा गया है।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि चालू परियोजनाओं पर संतोषजनक ढंग से काम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह १५१ परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक प्रशासकीय रिपोर्ट चाहते हैं कि गत वर्ष यह किस अवस्था पर थीं तथा इस वर्ष यह किस अवस्था पर हैं। सदन में ऐसे प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं दी जायगी। माननीय सदस्यों को भी उचित बातों की आशा करनी चाहिये। यदि माननीय सदस्य इन के सम्बन्ध में सविस्तार जानकारी चाहते हैं तो वह कृपया दूसरा प्रश्न लिख के भेजें।

रतिज रोगों का विशेषज्ञ (आगमन)

*१०९८. **डा० रामा राव** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से एक रतिज रोग विशेषज्ञ भारत आया है ?

(ख) यदि आया है, तो वह कौन है, उसकी अर्हताएं तथा उसके पूर्व अनुभव क्या हैं ?

(ग) इस विशेषज्ञ के भरण पोषण के सम्बन्ध में भारत सरकार को क्या कुछ खर्चा उठाना होगा ?

(घ) यह विशेषज्ञ कहां काम करेगा कितने समय के लिये काम करेगा तथा किस प्रकार का काम करेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) डा० डबल्यू० एच० गाब। वह रुटगर्स विश्वविद्यालय न्यू बर्न्सविक की बी० एस० तथा एम० एस० उपाधियां धारण किये हैं तथा उसका अनुभव निम्नलिखित है:—

(१) वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय चिकित्सा स्कूल के निवारक औषधि इन्स्पेक्टर, सितम्बर १९३४ से जुलाई १९४० तक—(अवैतनिक)।

(२) प्रयोगशाला विभाग टेन्निसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के डाइरेक्टर—जुलाई १९३४ से जुलाई १९४० तक।

(३) संयुक्त राज्य लोक स्वास्थ्य सेवा के अग्र रोगाणविद्—मई १९४२ से मार्च १९४७ तक।

(४) वाशिंगटन राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्रयोग शालाओं के प्रमुख मार्च १९४७ से जुलाई १९४९ तक।

(५) संयुक्त राज्य लोक स्वास्थ्य सेवा के अधीन रोगाण शस्त्र तथा परजीवी शास्त्र के प्रमुख—जुलाई १९४९ से।

(ग) यह विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा भेजा गया है तथा इसका वेतन आदि भी वही देते हैं। भारत सरकार को इसके भरण पोषण के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं किन्तु मद्रास सरकार को निम्नलिखित सुविधाएं इस विशेषज्ञ को देनी हैं:—

(१) निशुल्क निवास सुविधाएं।

(२) जब वह अपने ड्यूटी-स्थान से किसी सरकारी काम पर

गया हो तो उसे यात्रा का खर्चा तथा दैनिक भत्ता देना ; तथा

(३) सरकारी तार, टेलीफोन, डाक तथा अन्य सुचरण सविधाओं का खर्चा ।

(घ) यह विशेषज्ञ मद्रास के सरकारी जनरल अस्पताल के रतिज रोग विभाग में एक वर्ष तक रोगाणुविद वसा विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मिस माबेला प्राइस नाम की कोई महिला एक रतिज रोग विशेषज्ञ के रूप में भारत आ रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता हे ? माननीय सदस्य ने एक वर्तमान विशेषज्ञ तथा उसकी अर्हताओं के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था । उसका उत्तर दिया गया है । अब वह किसी और व्यक्ति का उल्लेख करते हैं तथा उसकी अर्हताएं आदि पूछते हैं ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि मिस माबेला प्राइस नाम की कोई महिला जो चिकित्सा स्नातिका नहीं है एक रतिज रोग विशेषज्ञ के रूप में भारत आई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान् क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : चिकित्सा संस्थाओं की उच्च श्रेणीकरण समिति ने रतिज रोग विभागों के उच्च श्रेणीकरण की भी सिफारिश की है । मद्रास जनरल अस्पताल में ऐसा किया गया । विश्व स्वास्थ्य संघ जिसे कि मामले के इस पहलू में विशेष दिलचस्पी है ने उच्च श्रेणीकरण समिति को अपनी सहायता पेश की है तथा भारत सरकार ने उनके साथ इस सम्बन्ध में एक करार किया है इस करार के निबन्धनों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संघ ने कुछ विशिष्ट उपकरण तथा सामान, अग्र कर्मचारियों के लिये एक पारिषद्यता तथा निम्नलिखित कर्मचारी भेजने स्वीकार किये हैं: —एक वर्ष के लिये एक चिकित्सा सलाहकार, एक लोक-स्वास्थ्य नर्स, एक चिकित्सा सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता जिसे कि रतिज रोग नियन्त्रण में अनुभव हो संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता प्रशासन ने विशेषतया एक चिकित्सा सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्त्री भेजी है तथा यह मिस माबेला प्राइस है जिसके नवम्बर में मद्रास पहुंचने की आशा थी ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस अचिकित्सक रतिज रोग विशेषज्ञ को भारतीय स्थितियों अथवा पूर्वी देशों की स्थितियों के सम्बन्ध में कोई अनुभव प्राप्त है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस में कहा गया है कि यह एक सामाजिक चिकित्सा कार्य-कर्त्री होगी । उसे रतिज रोग नियंत्रण में अनुभव प्राप्त है । इसका अर्थ नहीं कि वह भारतीया विशेषज्ञ ही होनी चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह अमेरिकन डाक्टर "विशेषज्ञ" कहां तक उसके अपने राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में रतिज रोगों का निवारण करने में सफल रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मुझे इस पर सचमुच आश्चर्य हो रहा है । सरकार यथा शक्ति सूचना दे देती है । प्रश्न यह पूछे जाते हैं कि क्यों किसी रोग विशेष की रोकथाम अथवा उसका इलाज नहीं हो सका है । जब इतने कम वेतन पर अथवा बिना किसी वेतन के कुछ व्यक्तियों को विशेषज्ञों के रूप में यहां लाया जाता है तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि वह इसके अपने देश में कहां

तक सफल रहा है । ऐसी दशा में कोई विशेषज्ञ यहां आने को तैयार नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें । माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछते समय कुछ ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिये । ऐसे अप्रत्यक्ष आक्षेप न करने का यथासम्भव प्रयत्न करना चाहिये । यह एक दुर्भाग्य-पूर्ण बात है ।

श्री वी० पी० नायर : अर्हताएं मांगी गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि यह तथा-कथित विशेषज्ञ कहां तक सफल हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सफलता अथवा असफलता कई कारणों से हो सकती है । उसकी अर्हताएं दी गई हैं । इस विषय के सम्बन्ध में और अधिक प्रश्न पूछने का फायदा क्या है मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास जनरल अस्पताल के डा० राजम विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा रतिज रोगों के विशेषज्ञ चुन लिये गए हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : विश्व स्वास्थ्य ने नहीं अपितु उच्च श्रेणीकरण समिति ने उन्हें रतिज रोग विभाग का संचालक बनाने की सिपारिश की है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या किसी और भी राज्य ने इस विशेषज्ञ को परामर्श के लिये निमंत्रित किया है तथा क्या बिहार इन में से एक है ? (**अन्तर्बाधा**) श्रीमन्, मैं इस को स्पष्ट करना चाहती हूं यह हंसी का कोई सवाल नहीं । मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्यों को इस पर क्यों हंसना चाहिये । मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि पटने में रतिज रोगों की एक नई संस्था स्थापित की गई है । मुझे मालूम नहीं कि क्या वह संस्था विश्व स्वास्थ्य संघ की सूची पर है अथवा नहीं । हाल ही में स्थापित की गई संस्था को छोड़ के वहां एक भी ऐसी अच्छी संस्था नहीं । मैं जानना चाहती थी कि क्या उस विशेषज्ञ को बिहार आने के लिये भी निमंत्रण दिया गया है। मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य इसे ऐसे सहज भाव में क्यों ले र हैं । यह हंसी का कोई प्रश्न नहीं । मुझे इस बात का अत्यन्त ही अफसोस है तथा मैं समझती हूं कि सदन को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी कभी माननीय सदस्य अनुचित रूप से हंस पड़ते हैं। इसलिये माननीया सदस्या को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिये । अपहास के रूप में कुछ नहीं किया गया है । कभी कभी वह हंस पड़ते हैं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : उच्च श्रेणीकरण समिति ने भारत भर के कुछ अस्पतालों के कुछ विभागों के उच्च श्रेणीकरण की सिपारिश की । मुझे बिहार स्थित अस्पतालों के उच्च-श्रेणीकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं । यदि माननीया सदस्या यह सूचना चाहती हैं तो मैं उन्हें बाद में दूंगी । जहां तक मद्रास में रतिज रोग विभाग का सम्बन्ध है, इसने बहुत सा काम किया है तथा समिति ने इसकी सिपारिश की है । यही कारण है कि यह विशेषज्ञ क्यों उस संस्था में आया है : और कोई कारण नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि उच्च श्रेणीकरण समिति ने कितने ग्रामीण अस्पतालों के उच्च-श्रेणी-करण की सिपारिश की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : किसी ग्रामीण अस्पताल के लिए सिपारिश नहीं की गई है ; मेरे पास सविस्तार सूचना नहीं ; यदि माननीया सदस्या मुझे इसकी पूर्व सूचना दे देंगी तो मैं उन्हें यह सूचना दे सकती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं ।

चावल अनुसंधान केन्द्र, कटक (छात्र)

*१०९९: **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय चावल अनुसन्धान इन्स्टीट्यूट, कटक (उड़ीसा) में क्रमश: कितने विदेशी तथा भारतीय छात्र प्रशिक्षा पा रहे हैं ;

(ख) विदेशी छात्र किन किन देशों से आये हैं ;

(ग) इस प्रशिक्षण की कालावधि क्या है ; तथा

(घ) इन छात्रों का प्रशिक्षण व्यय कौन उठायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) पन्द्रह विदेशी तथा आठ भारती छात्र ।

(ख) लंका, मिस्सर, फ्रांस, हिन्देशिया, ईरान, लाऊस, पाकिस्तान, फिलिपाइन, स्याम तथा भारत ।

(ग) १५ सितम्बर १९५२ से तीन महीने के लिये ।

(घ) एक विवरण जिस में यह दिखाया गया है कि यह खर्च किस अनुपात में खाद्य तथा कृषि संस्था और हमारे बीच बांटा जायेगा सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७**]

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस इन्स्टीट्यूट की विभिन्न अनुसन्धान शाखायें क्या क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : बीजों का उगाना तथा प्रसंकरण ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां कृषि विवर्तन में भी अनुसन्धान किया जा रहा है जो कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की एक समस्या है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने समझा था कि इस प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यतया प्रशिक्षण से था, अनुसन्धान संस्था से नहीं ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उम्मीदवारों के चुनाव में हमारी सरकार से भी राय ली जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है । जहां तक हमारे प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, वह हमारे द्वारा चुन लिये जाते हैं । हम इस केन्द्र को संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संस्था की ओर से चला रहे हैं । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है तथा छात्र विभिन्न सरकारों द्वारा भेजे जाते हैं । जहां तक भारतीय छात्रों का सम्बन्ध है वह हमारी सरकार द्वारा चुन लिये जाते हैं ।

श्री बूवराघस्वामी : ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिये क्या क्या अर्हताऐं अपेक्षित हैं तथा पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों को क्या रियातें दी जाती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि यह किसी विशेष धर्म अथवा जाति की ओर निर्देश नहीं करता है । प्रशिक्षणार्थी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा चुन लिये जाते हैं । वह ऐसे लोगों को चुनते हैं जो इस ट्रेनिंग से लाभ उठा सकें । कोई विशेष अर्हताएं निश्चित नहीं की गई हैं । यह काम सम्बन्धित सरकारों पर छोड़ा गया है ।

श्री एम० डी० जोशी : ट्रेनिंग समाप्त होने पर क्या इन्हें भारत के चावल उत्पादी क्षेत्रों में कोई काम करने को दिया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस की आशा है ; परन्तु हम किसी सरकार को हमारी मर्ज़ी

के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

आसाम के चाय बागान

*११००. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में चाय बागानों के बंद हो जाने अथवा उसकी सम्भावना के परिणामस्वरूप कुल कितने श्रमिक बेकार हुये हैं ;

(ख) उन्हें कोई दूसरा काम दिलाने के सम्बन्ध में क्या कुछ पग उठाये गए है;

(ग) आसाम के बागानों में काम करने वाले श्रमिक जो बेकार हुये हैं उन्हें सरकार तथा नियोजकों ने क्या सुविधाएं, यदि कोई हों, दी हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) आसाम में चाय बागानों के बंद होने के परिणामस्वरूप कितने श्रमिकों पर दुष्प्रभाव पड़ा है इस सम्बन्ध में कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं, परन्तु बताया जाता है कि यह संख्या १०,००० है । ऐसे बागानों में जिन्होंने कि बंद होने का नोटिस दिया है, ऐसे कमकरों की संख्या संग्रहित की जा रही है ।

(ख) तथा (ग). आसाम सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जिन कमकरों पर बागानों के बंद होने का दुष्प्रभाव पड़ा है उन्हें अधिकाधिक रूप से लोक-सेवा कार्यों में भर्ती किया जाना चाहिये । इसके अलावा वह स्थानीय निकायों, ठेकेदारों तथा अन्य संस्थाओं से भी इन कमकरों को भर्ती करने के लिए आग्रह करते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि इन १०,००० कमकरों में से कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक काम दिया गया है ?

श्री आबिद अली : हम यह सूचना एकत्रित कर रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार के प्रयत्न कहां तक सफल हुये है ?

श्री आबिद अली : प्रयत्न किये जा रहे हैं कुछ कमकरों को पहले ही भर्ती किया गया हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमन्, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अलीबाग का विद्युतकरण

*११०१. **श्री कजरोलकर** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार बम्बई स्थित अलीबाग के विद्युतकरण पर आपत्ति उठा रही है क्योंकि वहां वेध गृह (आब्जरवेटरी) स्थित है ; तथा

(ख) यदि यह सत्य है तो अलीबाग की जनता कब तक बिजली से वंचित रहेगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ; किन्तु कुछ निर्बन्धन लगाये गए हैं जिस से कि अलीबाग वेधगृह में चुम्बकीय पर्यालोकन कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे वर्कशाप

४७६. **श्री बारुपाल**: क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर राज्य रेलवे और जोधपुर राज्य रेलवे के उत्तर रेलवे में विलय के बाद उत्तर रेलवे की छोटी लाइनों के वर्कशापों की संख्या ;

(ख) इन में से कौन सा वर्कशाप केन्द्रीय वर्कशाप है ; तथा

(ग) क्या इन वर्कशापों के बढ़ाने की कोई योजना है और यदि है तो वह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दो । बीकानेर तथा जोधपुर वर्कशाप ।

(ख) इन दोनों वर्कशापों में से प्रत्येक वर्कशाप मीटर गेज शाखाओं के, जिन के लिये कि यह काम करते हैं, केन्द्र में स्थित है ; परन्तु दोनों में से जोधपुर का वर्कशाप अधिक सुसंगठित है ।

(ग) इन दोनों वर्कशापों के सामर्थ्य के संगतीकरण पर विचार किया जा रहा है जिस से कि उसमें अधिकतम कार्य क्षमता प्राप्त हो । इन दोनों में से किसी भी वर्कशाप के विस्तार की कोई परियोजना तैयार नहीं की गई है ।

रेलवे कर्मचारीवर्ग के लिये कालिज

४७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टाफ कालिज कब तथा कहां फिर से खोला गया है ?

(ख) देहरादून में रेलवे स्टाफ कालिज के बंद किये जाने के मुख्य कारण क्या थे ?

(ग) तृतीय वर्ग के रेल कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिये कितने क्षेत्रीय स्कूल हैं तथा निकट भविष्य में कितने खोले जायेंगे ?

(घ) इस स्टाफ कालिज के प्रशासकीय प्राधिकारी कौन हैं ?

(ङ) इस कालिज में प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी ?

(च) क्या वहां अधिक अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए जाने की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (घ) से (च) तक । रेलवे स्टाफ कालिज ३१ जनवरी १९५२ से बड़ौदा में खोला गया है । कालिज का प्रशासकीय प्रमुख इसका प्रिंसपल है जोकि रेलवे बोर्ड के सामने हर काम के लिए उत्तरदायी है । यह कालिज इस समय २० अधिकारियों को ट्रेनिंग दे सकता है तथा ट्रेनिंग की कालावधि आठ सप्ताह है । अर्थात् एक वर्ष में लगभग १२० अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है । कालिज का विस्तार करने की प्रस्थापना पर विचार हो रहा है जिस से कि इस में ६० प्रशिक्षणार्थियों को एक समय ट्रेनिंग दी जा सके ।

(ख) देहरादून स्थित स्टाफ कालिज रेलवे अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिये १९३० में खोला गया था तथा १९३२ के बाद की मन्दी तक मितव्ययता को दृष्टि में रखते हुये इसे १९३२ में ही बंद करना पड़ा ।

(ग) तृतीय वर्ग के रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए इस समय १४ क्षेत्रीय स्कूल हैं । और अधिक स्कूलों के खोलने का इस समय कोई विचार नहीं ।

खाद्यान्न उत्पादन (लक्ष्य)

४७८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ के लिये खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था तथा वर्ष १९५२-५३ के लिए यह कितना निश्चित किया गया है ?

(ख) वास्तविक उत्पादन को दृष्टि में रखते हुये १९५१-५२ के लिये कहां

तक यह लक्ष्यपूर्ति हुई है तथा यह उद्देश्य पूरा न होने के कारण क्या हैं ?

(ग) १९५२-५३ के लिए खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं तथा इन पर क्या खर्च होगा ?

(घ) १९५१-५२ के लिये निश्चित किये गए लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कितनी लागत पर कौन कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वर्ष १९५१-५२ में वर्ष १९५०-५१ की अपेक्षा १४.२१ लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न करना था तथा वर्ष १९५२-५३ के लिए यह लक्ष्य प्रयोगात्मक रूप से गत वर्ष की अपेक्षा १२.३० लाख टन अधिक रखा गया था ।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में वास्तव में जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है उसके सम्बन्ध में पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं क्योंकि कुछ राज्यों से अभी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) तथा (घ) । वर्ष १९५१-५२ तथा वर्ष १९५२-५३ (प्रथम दिसम्बर १९५२ तक) में विभिन्न श्रेणियों की स्वीकृत परियोजनाओं का कुल परिव्यय दिखलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८** ।]

आधार भूत ग्राम-परियोजना

४७९. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सिलसिले में जो "आधारभूत ग्राम परियोजना" पुरःस्थापित की गई है उसका न्यादर्श ढांचा क्या है ?

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत कितने केन्द्र किन किन राज्यों के किन जिलों में वर्ष १९५१-५२ में खोले गए हैं तथा उनके लिये कितना धन अलग रखा गया है ?

(ग) कितने केन्द्र किन किन जिलों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं तथा स्वीकृत राशि का कौन सा भाग उन पर खर्च किया गया है ?

(घ) क्या यह आधारभूत ग्राम-परियोजना इस वर्ष और अधिक केन्द्रों तक विस्तारित की जायगी तथा यदि की जायगी तो कहां कहां ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस परियोजना की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९** ।]

(ख) तथा (ग) । एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९**]

वर्ष १९५१-५२ में ९४ केन्द्रों के लिये स्वीकृति दी गई थी तथा हाल ही में दो और केन्द्र सौराष्ट्र तथा मनीपुर में खोलने के आदेश दिये गये हैं। इन में से ७१ केन्द्रों ने पहले ही काम शुरू किया है, इनका सविस्तार वर्णन विवरण में दिया गया है । इन केन्द्रों का काम उत्साहजनक है ।

१९५१-५२ के वर्ष में इन परियोजनाओं के अर्थ संधारण के लिये २० लाख रुपये निश्चित किये गये थे परन्तु इस राशि में से केवल ८.८२ लाख रुपये व्यय के लिये मंजूर किये गये हैं ।

(घ) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

वायुयानों का आयात

४८०. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में कितने मूल्य के वायुयान तथा उनके पुर्जे भारत में सरकारी तथा असरकारी खातों पर तथा किन किन देशों से आयात किय गये ?

(ख) गत पांच वर्षों में जिन देशों से वायुयान तथा उनके पुर्जे आयात किय गये ह, क्या उन में से किसी के साथ ऐसा कोई क़रार हुआ है कि वह भारतीय यांत्रिकों को ट्रेनिंग दे देंगे जिस से कि वह भारत में वायुयानों के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकेंगे ?

(ग) यदि हुआ है तो, ऐसे क़रारों के निबन्धन क्या हैं तथा इनका कहां तक फ़ायदा उठाया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गत पांच वर्षों में विभिन्न देशों से भारत में आयात किय गये वायुयानों तथा उनके पुर्ज़ों का मूल्य दिखलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०।]**

(ख) तथा (ग)। सरकार ने किसी भी देश के साथ ऐसा कोई क़रार नहीं किया है परन्तु मैसर्ज़ हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड ने ब्रिटेन की परसीवल एयरक्राफ्ट लिमिटिड तथा डी हावीलैंड एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटिड नामी समवायों के साथ भारतीय कर्मचारियों को उनके वर्कशापों पर ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में कुछ संविदा किये हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड के ६ भारतीय कर्मचारियों ने १९४७ में परसीवल एयरक्राफ्ट लिमिटिड में तथा १८ व्यक्तियों ने १९४९, १९५० तथा १९५१ के वर्षों में डी हावीलैंड एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटिड में प्रशिक्षा पाई।

ग्राम डाकखाना

४८१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे: कि :

(क) कितने ऐसे ग्रामों में जिनकी जनसंख्या दो हज़ार अथवा उस से अधिक है प्रमुख ग्रामवासियों के लिखित विरोधों के कारण डाकखाने नहीं खोले जा सके हैं;

(ख) यह ग्राम किन राज्यों में स्थित हैं; और

(ग) कितने ग्रामों में यह परियोजना निम्नलिखित बातों के कारण छोड़ दी गई :—

(१) डाक मार्ग की सुरक्षितता निश्चित नहीं थी;

(२) अतिरिक्त-वैभागिक कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ; तथा

(३) खर्च में प्रति वर्ष ७५० रुपये से अधिक हानि होती थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १६५ ।

(ख)

आसाम	१०९
बिहार	५
उड़ीसा	१
उत्तर प्रदेश	५
पश्चिमी बंगाल	४५

(ग)

(१)	४३
(२)	५०
(३)	७१

अनाज का समाहार

४८२. **श्री बी० के० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में अब तक कुल कितने अनाज का, राज्य-वार, समाहार किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों में समाहार प्रणाली क्या है; और

(ग) इसी काल में विभिन्न राज्यों से कितना अनाज प्राप्त किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। एक विवरण जिस में कि यह सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है।

(ग) एक खरीता, जिस में कि विभिन्न राज्यों में विद्यमान समाहार प्रणालियों का सविस्तार वर्णन दिया गया है। सदन पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१ ।]**

विवरण

१-१-१९५२ से ले कर लगभग १५-११-१९५२ तक विभिन्न राज्यों में जितने अनाज का समाहार किया गया तथा जितना फ़ालतू अनाज विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्र को १९५२ में उपलब्ध किया गया :

(हज़ार टनों में)

राज्य	समाहत मात्रा	फ़ालतू मात्रा
आसाम	५४.१	०.५
बिहार	२१.०	--
बम्बई	२८३.८	—
मध्य प्रदेश	३०९.०	१६९.७
मद्रास	६५१.६	—
उड़ीसा	१४२.५	१२१.९
पंजाब	३६०.१	९४.२
उत्तर प्रदेश	४८१.६	२७.३
पश्चिमी बंगाल	२७४.९	—
हैदराबाद	१६४.९	३६.०
जम्मू तथा काश्मीर	३.२	०.५
मध्य भारत	७४.३	—
मैसूर	८२.९	—
पेप्सु	११८.८	९२.३
राजस्थान	२९.६	—
सौराष्ट्र	२३.२	१.१
त्रावणकोर-कोचीन	५२.१	—
कुर्ग	१२.०	८.५
हिमाचल प्रदेश	१.२	०.२
कच्छ	२.२	—
मनीपुर	१.६	—
त्रिपुरा	२.७	—
विन्ध्य प्रदेश	१९.८	१.५
अण्डमान	०.१	—
कुल	३,१७३.०	५५३.७

नीम उत्पादों का अध्ययन

४८३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की किस संस्था ने सब से पहले नीम से बनी वस्तुओं का अध्ययन करना शुरू किया तथा इस में से कड़वे तत्व निकाले;

(ख) इन वस्तुओं को कहां तक ओद्योगिक कार्यों में प्रयोग में लाया गया है ;

(ग) क्या पूना स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने इस विषय में कोई अग्रेतर अनुसन्धान किया है ; तथा

(घ) यदि किया है तो इसके परिणाम क्या निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषी मंत्री (श्री किदवई) : (क) कानपुर स्थित हारकोर्ट बटलर टैक्नोलाजीकल इन्स्टीट्यूट, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है, ने सब से पहले

नीम के तेल के गन्धयुक्त तथा कड़वे अंशों का अध्ययन करना शुरू किया ।

(ख) निबौली का तेल ही नीम से बनी एक ऐसी वस्तु है जो औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लाई जाती है । इसे मार्गोसा अथवा मार्गो साबुन बनान तथा नीम का टुथ पेस्ट बनाने के काम लाया जाता है ।

(ग) नीम के तेल को उपयोग में लाने का काम विज्ञान तथा उद्योग अनुसन्धान परिषद् की दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं में शुरू किया गया था तथा इसे पूना में भी ज़ारी रखा गया है ।

(घ) नीम के तेल से कड़वे तत्व निकालने के उपाय विज्ञान तथा उद्योग अनुसन्धान परिषद् के दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं में ढूंढ निकाले गये हैं, तथा शेष तेल को साफ़ करने का काम राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में पूरा किया गया है ।

चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

४८४. **श्री बाल्मीकि** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५२ तक कितने चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं ;

(ख) कितने ऐसे कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं ; तथा

(ग) सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २,०६,५४१ ।

(ख) ३,६७,२०८ ।

(ग) रेल कर्मचारियों को मकान देने के सम्बन्ध में नीति यह है कि सारभूत कर्मचारी वर्ग को, अर्थात् वह जिनका कि कार्यस्थान के निकट ही रहना अपेक्षित है तथा जो कुल संख्या का ६० प्रतिशत भाग है, पूर्ववर्तिता देना है। ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रति वर्ष लगभग १०,००० नये क्वार्टर बनाये जाते हैं, जिन पर कि लगभग चार करोड़ रुपया खर्च होता है । आशा है कि अगले कुछेक वर्षों में भी इसी दर के हिसब से काम होता रहेगा ।

रेलवे लाइनें (क्षति)

४८५. **श्री बाल्मीकी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में किन किन रेलवे लाइनों को किस किस स्थान पर हाल ही की बाढ़ तथा वर्षा के कारण क्षति पहुंची है ; तथा

(ख) उनकी मरम्मत पर कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

रेल तथा यातायात उपमत्री (श्री अलगेशन) : (क)

पूर्वी रेलवे—

हावड़ा डिवीज़न के बंदेल–बर्हडवा लूप पर धुलियनगंगा तथा तिलडंगा के बीच ।

हावड़ा डिवीज़न के बंदेल–बर्हडवा लूप पर बाज़ार सोहु तथा चौडीगाछा के बीच ।

आसनसोल डिवीज़न की दोनों 'अप' तथा 'डाउन' लाइनों पर मील १८५/०–१० के स्थान पर स्थित बांध ।

पिंडारी तथा धुनसोरे के बीच ।

धुनसोरे तथा बिनायकी के बीच ।

नैनपुर तथा बिनायकी के बीच ।

बारगी तथा चौडीघाट के बीच ।

पारलकीमेदी लाइट रेलवे पर पारलकीमेदी तथा वाराणसी के बीच मील ३३/८–१० के स्थान पर ।

गारपोस तथा सोनाखान के बीच पुल संख्या ८० ।

नई कटनी जंकशन तथा मारवाड़ा के बीच ।

गोयलखेडा तथा पोसोयटा के बीच ।

गोम्हरैया तथा टाटा के बीच ।

कोयल नदी में पानी चढ़ आने के कारण रौडकेला तथा बीरमित्रपुर ।

मनाली मरूप तथा राज खार्सवन के बीच ।

सोनुआ तथा गोयलकेडा के बीच ।

गोयलकेडा तथा पोसोयटा के बीच मील २१९/१७ पर तथा 'अप' लाइन के मील २१८/९–१९ पर ।

दक्षिणी रेलवे––

सुल्लुर पेटा तथा टाडा उत्तर-पूर्व लाइन के बीच मील ४४/८–९ पर पुल संख्या १४८ ।

यशवन्तपुर तथा बंगलौर नगर के बीच मील १०१/८–९ पर पुल संख्या २६४ ।

पन्याम तथा नंदयल के बीच मील ३२२/६–७ तथा ३२२/११–१६ ।

पूर्वोत्तर रेलवे––

मुख्य लाइन: माल जंकशन से अमीन गांव तक ।

ब्रांच लाइन––

सिलगुरी––हल्दीबाडी ।

माल जंकशन––पटग्राम ।

राजभट खावा––जनिती ।

अलीपुर रौड––गीतालदाह ।

फकीरग्राम––गोलकगंज ।

रंगिया––रंगपारा उत्तर ।

दनजरी––सैकोवाघाट ।

दौरम––माधेपुर शाखा ।

पश्चिमी रेलवे––

बम्बई-बड़ौदा शाखा, विराड तथा साफला के बीच, घोलवाद तथा उम्बरगांव रोड के बीच तथा पार्दी तथा बल्सार के बीच ।

बड़ौदा––रतलाम शाखा––

संत रोड तथा लिमखेडा के बीच ।

मंगल मौदी तथा जेकोट के बीच ।

बिल्दे तथा मोरवानी के बीच ।

रतलाम 'ए' केबिन तथा 'बी' केबिन के बीच ।

कोटा-बयाना शाखा––

हिंदवन नगर तथा फतहसिंह पुर के बीच ।

बड़ौदा-अहमदाबाद शाखा––

महमदाबाद तथा नैनपुर के बीच ।

नागदा-उज्जैन शाखा––

नागदा तथा पिपलौदा वागला के बीच ।

असलौद तथा उज्जेन के बीच ।

पिपलौद-देवगद बाडिया शाखा––

पिपलौद तथा मोती जावी के बीच ।

सोजाट रोड-आबू रोड शाखा––

सोमेश्वर तथा रानी के बीच ।

अजमेर-नसीराबाद-बिजयनगर शाखा माखुपुरा तथा हतुन्दी के बीच ।

मावली जंकशन-बारीसद्री शाखा बंसी बोहेदा तथा बारीसद्री के बीच ।

बांकानेर-नवल्खी शाखा मकनसर तथा धुरा के बीच ।

कानलुस-गोप शाखा, दावसंग तथा लालपुर के बीच ।

उत्तर रेलवे––

लुनी मुन्दबाव शाखा, पारलुस तथा गोल स्टेशनों के बीच ।

सम्दरी-रानीबाडा ब्रांच लाइन ।

राजपुरा-भटिंडा शाखा, धुरी तथा अलाल के बीच ।

जीन्द-पानीपत शाखा, मन्दलौद तथा आसान के बीच ।

जालंधर-फीरोजपुर शाखा पर गिड्डरपिंडी के समीप सतलुज पुल । इस वर्ष बाढ़ के समय सतलुज नदी ने अपना मार्ग बदल दिया; तथा

देहरादून ब्रांच २९/१६–१७ मील पर ।

देहरादून ब्रांच ३०/९–१० मील पर ।

सेंट्रल रेलवे—

सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम शाखा, कुरुमती तथा वानापार्ती के बीच ।

ग्वालियर-भिंड शाखा—ग्वालियर तथा गोहद रोड के बीच ।

बम्बई-कल्याण मस्जिद तथा सैंडहर्स्ट रोड, मुख्य लाइन तथा हार्बर ब्रांच के बीच ।

इटारसी-जबलपुर शाखा ।

(ख) कुल मिला कर लगभग ९३ लाख रुपये ।

यक्ष्मा-विरोधी औषधि

४८६. **डा० रामा राव**: (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एक फ़र्म ने यक्ष्मा विरोधी औषधि की एक बड़ी मात्रा भारत सरकार को भेंट की है ?

(ख) इस फर्म का नाम क्या है, इसने कौन सी दवाई दी है तथा कितनी मात्रा में दी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) । सरकार ने कई फर्मों से विभिन्न व्यापार-चिन्हों के अन्तर्गत एक नई यक्ष्मा विरोधी औषधि (इसोनीकोटिनिक एसिड हैड्राजाइड) की कुछ मात्रायें प्राप्त की हैं । एक विवरण जिस में अपेक्षित सविस्तार सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या** ४२]

दवाइयों का आयात

४८७. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०, १९५१ तथा १९५२ (इस समय तक) के वर्षों में भारत में कितनी दवाइयां तथा शल्यक्रिया से सम्बन्धित औजार आदि आयात किये गये हैं तथा केन्द्रीय सरकार को भेंट के रूप में कितनी दवाइयां तथा यह औजार प्राप्त हुये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : १९५०, १९५१ तथा १९५२ (इस समय तक) के वर्षों में दवाइयों तथा शल्यक्रिया से सम्बन्धित औजारों की (१) कितनी मात्रा आयात की गई है तथा (२) कितनी मात्रा केन्द्रीय सरकार को उपहार के रूप में भेंट की गई है यह दिखलाने वाले दो विवरण सदन पटल पर रख दिये जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या** ४३]

त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने

४८८. **श्री दशरथ देव**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने डाकखाने हैं ? .

(ख) अगरतला से धर्मनगर तथा सबसूम तक डाक पहुंचने में कितना समय लगता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३८ ।

(ख) डाक जो ७ बजे प्रातः को अगरतला से रवाना होती है वह तीसरे दिन बारह बजे दोपहर को धर्मनगर पहुंच जाती है । सबसूम के लिये डाक बारह बजे दोपहर को रवाना हो के तीसरे दिन सायं के पांच बजे वहां पहुंच जाती है । (कुल ५३ घंटे लगते हैं)

अगरतला-उदयपुर तथा अगरतला-सिघई सडकें

४८९. श्री दशरथ देव : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगस्त, तथा सितम्बर, १९५२ में त्रिपुरा राज्य में अगरतला-उदयपुर तथा अगरतला-सिधई सड़कों पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ?

(ख) क्या इन सड़कों पर भारी भरकम गाड़ियां चलाने की अनुमति है ?

(ग) यदि नहीं, तो इन सड़कों पर कैसे गाड़ियां चलती हैं ?

(घ) क्या यह सड़कें अभी बन ही रही हैं तथा यदि बन रही हैं, तो निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दोनों सड़कों पर एक एक ।

(ख) जी नहीं । यह सड़कें केवल अच्छे मौसिम में काम में लाई जा सकती हैं तथा श्रेणी ९ यातायात के लिये उपयुक्त ह जिस में कि ५ टन वाली सामान्य लारियां भी आ जाती हैं ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी नहीं । यह पहले से विद्यमान हैं ।

रेल यात्री

४९०. श्री तेलकीकर : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में भारत में (प्रथम श्रेणी की रेलों के सम्बन्ध में) बड़ी लाइन के लिये कितने यात्री मील प्रतिदिन प्रति मार्ग मील रहे हैं ;

(ख) १९५१-५२ तथा १९४०-४१ में यात्रियों के घनत्व की तुलना क्या रही है ; तथा ;

(ग) १९५१-५२ तथा १९४०-४१ प्रयोग में लाये गये रेल डिब्बों का पारस्परिक समानुपात क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ४,५२४ ।

(ख) २६० : १०० ।

(ग) १०४ : १०० ।

प्रकाश-पोत

४९१. श्री तेलकीकर : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास कोई प्रकाश पोत हैं ; और

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो यह कहां प्रयोग में लाये जाते हैं ?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । भारत सरकार के स्वामित्व में दो प्रकाश-पोत हैं । इन्हें सौराष्ट्र कच्छ लाइट हाऊस क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है । एक अक्षांश २१ डिग्री ४३ मिनट उत्तर देशांश ७२ डिग्री १८ मिनट पूर्व तथा दूसरा अक्षांश २१ डिग्री ४६ मिनट उत्तर देशांश ७२ डिग्री १५ मिनट पूर्व ।

राजस्थान में नल-कूपों का लगाना

४९२. डा० जाटव-वीर : क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार ने नाल-कूप लगाने के किसी कार्य-क्रम को क्रियान्वित करना शुरू किया है ;

(ख) यदि किया है तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को सहायता अथवा ऋण के रूप में कोई धनराशि देनी मंजूर की है ;

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(घ) नल-कूपों की खुदाई का काम कहां तक पहुंचा है; और

(ङ) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' है, तो क्या केन्द्रीय सरकार निकट भविष्य में नल-कूपों की खुदाई के लिये राजस्थान सरकार को कोई अनुदान अथवा ऋण देने की प्रस्थापना कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) १९५२-५३ में २,२५,००० रुपये का ऋण देना स्वीकृत हुआ है।

(घ) काम हाल ही में शुरू हुआ है तथा अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

४९३. **श्री रघुरामय्या** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किया गया है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या मद्रास सरकार ने इसे लागू न करने के कोई कारण दिये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ से अनुबन्धित अनुसूची के भाग १ म दर्ज सभी नौकरियों के सम्बन्ध म मद्रास राज्य में मजूरी की न्यूनतम दरें निश्चित की गई हैं। जहां तक कृषि में, जो कि अनुसूची के भाग २ में शामिल है, सेवायुक्तियों का सम्बन्ध है, न्यूनतम दरें अभी निश्चित नहीं की गई हैं तथा यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

डाकघर

४९४. **श्री बिभूति मिश्र** : **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार २००० और उस से अधिक सेंयुक्त जनसंख्या वाले गांवों के झुंडों को सेवा के लिये डाकघर खोलने का विचार कर रही है और यदि हां तो किस तिथि से ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां। बशर्ते कि धन उपलब्ध हो, परन्तु २००० तथा उस से अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों अथवा ग्राम समूहों को पूर्ववर्तिता दी जायेगी। चूंकि इस तरह से बहुत से ग्राम-समूह बन सकते हैं तथा सरकार के पास धन की उपलब्धि सीमित है, इसलिये इसके लिये कोई ऐसा दिनांक निश्चित नहीं किया जा सकता है।

मीटर-गेज प्रणालियां

४९५. **श्री पी० सुब्बाराव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या खंडवा तथा हिंगोली के बीच उत्तर तथा दक्षिणी भारत की मीटर-गेज प्रणालियों को मिलाने की कोई प्रस्थापना है जिस से कि उत्तर से दक्षिण को तथा दक्षिण से उत्तर को माल डिब्बे भेजने में सुविधा हो ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) इस का उत्तर 'हां' है।

कलकत्ता तथा मद्रास के बीच रेलगाड़ी

४९६. **श्री सुब्बा राव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वाल्टेयर को एक ओर छोड़ के सिम्हाचलम उत्तर तथा अनकापल्ली से हो कर कलकत्ता अथवा पुरी तथा मद्रास के बीच 'थ्रू' रेल गाड़ियों को चलाने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

लितन-उखरूल रोड

४९७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) लितन तथा उखरुल के बीच उस राज्य के केन्द्रीय सरकार के साथ एकीकृत होने से पूर्व, सड़क बनाने के लिये कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस सड़क को पूरी तरह से तैयार करने का विचार छोड़ दिया है; और

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ७०,५०० रुपये।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अबरक की खानें

४९८. **श्री के० सी० सोधिया** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में अबरक की कोई खानें हैं, तथा यदि हैं तो उनकी संख्या क्या है तथा १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में उनका कुल उत्पादन क्या था ?

(ख) मध्य प्रदेश की अबरक खानों में लगभग कुल कितने कमकर काम कर रहे हैं ?

(ग) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में इन खानों में कल्याण कार्य के लिये अबरक खान मजदूर कल्याण निधि द्वारा कितना रुपया दे दिया गया है ?

(घ) मध्य प्रदेश के लिये इस निधि की सलाहकार समिति के सदस्य कौन हैं ?

(ङ) पिछली बार यह समिति कब बनाई गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) मध्य प्रदेश में इस समय केवल एक ही अबरक की खान काम कर रही है। वर्ष १९५० में इस खान से १२ हैंड्रडवेट तैयार अबरक निकाला गया था। वर्ष १९५१ में कोई उत्पादन नहीं हुआ।

(ख) १९५० तथा १९५१ के पत्री वर्षों में इस खान में क्रमशः पांच व्यक्ति तथा एक व्यक्ति प्रति दिन औसत में काम पर लगाया गया था।

(ग) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में इस राज्य में अबरक खनकों के कल्याण कार्य के लिये १४,००० रुपये निश्चित किये गये थे।

(घ) तथा (ङ)। कोई भी सलाहकार समिति अभी तक नहीं बनाई गई है।

सिंगरेनी कोयले की खानें (डिब्बे)

४९९. **श्री बिट्टल राव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडीयम को भद्राचल्लम के स्थान पर प्रतिदिन कुल कितने डिब्बे प्रदाय किये जाते हैं ;

(ख) क्या इस कम्पनी की मांगें पूर्णतयः पूर्ण की जाती हैं ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो पर्याप्त संख्या में डिब्बे प्रदाय करने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडीयम को भद्राचल्लम रोड के स्थान पर प्रतिदिन औसत में जितने

डिब्बे प्रदाय किये गये उनकी सूची नीचे दी गई है :—

	डिब्बों की प्रदाय (दैनिक औसत)
अप्रैल, १९५२	१२३
मई, १९५२	१३०
जून, १९५२	११६
जुलाई, १९५२	१२०
अगस्त, १९५२	१२३
सितम्बर, १९५२	११४
अक्तूबर, १९५२	१०७
नवम्बर, १९५२ (२५ तारीख तक)	१०९

(ख) जी हां। इन कोयला खानों के व्यादेशों को पूर्णतयः पूरा किया गया तथा कम डिब्बों के मिलने की कोई शिकायत नहीं की गई।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अधीनस्थ सेवाओं के लिए चुनाव

५००. **श्री पी० सुब्बा राव**: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवेज़ में अधीनस्थ सेवाओं के लिये उम्मीदवार चुनने के हेतु सेवा आयोग के लिये कितने केन्द्र निश्चित किये गये हैं ?

(ख) क्या प्रत्येक रेलवे के लिये अलग अलग चुनाव समितियां स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) रेल सेवा आयोगों द्वारा उम्मीदवारों का इन्टरव्यू करने के लिये कोई निश्चित केन्द्र नहीं। सम्बन्धित सेवा आयोग द्वारा केन्द्र इस बात को दृष्टि में रखते हुए निश्चित किये जाते हैं कि किसी विशिष्ट पद के लिये आस पास के क्षेत्रों से कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं, सामान्यतया उम्मीदवारों का इन्टरव्यू विभिन्न रेलों के हैडक्वार्टरों, तथा गोहाटी, लखनऊ, आगरा, नागपुर, त्रिचनापली आदि स्थानों पर होता है।

(ख) जी नहीं।

पूर्वी रेलवे

५०१. **श्री पी० सुब्बा राव**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य की सीमाओं के अन्दर पूर्वी रेलवे की कुल कितनी रेलवे लाइन बिछी है ?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन): माननीय सदस्य का ध्यान २० मई १९५२ को श्री उमाचरण पटनायक द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ५८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के भाग (क) (२) की ओर दिलाया जाता है।

भारतीय रेलों में भरती

५०२. **श्री पी० सुब्बाराव**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ में भारतीय रेलों में नौकरी पाने के लिये कितने प्रार्थी थे, उन में से इन्टरव्यू के लिये कितने व्यक्तियों को बुलाया गया तथा अन्ततोगत्वा कितने व्यक्ति चुन लिये गये ?

(ख) प्रार्थनापत्रों के शुल्क के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा सरकार को कितना खर्चा उठाना पड़ा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा-समय सदन पटल पर रख दिया जायगा।

कृषि सम्बन्धी प्रकाशना

५०३. **श्री मादिया गौडा**: (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि कृषि सम्बन्धी सूचना प्रसारित करने के लिये लखनऊ में हाल ही में जो सम्मेलन हुआ था उस में क्या क्या मुख्य निश्चय किये गये थे ?

(ख) सम्मेलन द्वारा जो परियोजना स्वीकृत की गई है उस पर वार्षिक व्यय क्या होगा ?

(ग) इस परियोजना को कब क्रियान्वित किया जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक रिपोर्ट जिस में कि लखनऊ सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें दी गई हैं, सदन-पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या ४४]**।

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से अभी प्राक्कलन तैयार किये जाने हैं।

(ग) ज्योंही विभिन्न सिफ़ारिशों पर सतर्कतापूर्ण विचार होगा तथा राज्य सरकारें इस परियोजना की मुख्य बातों को मान जायेंगी।

बम्बई-कलकत्ता डाक गाड़ी

५०४. श्री के० जी० देशमुख : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई-कलकत्ता (नागपुर से होकर) डाक गाड़ी को सेंट्रल रेलवे पर स्थित अमरावती रेलवे स्टेशन तक ले जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो इस गाड़ी के चलाने में कुल कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ट्रैक्टर

५०५. श्री मादिया गौड़ा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सरकार के पास कुल कितने ट्रैक्टर हैं ;

(ख) वर्ष १९५१-५२ में इन ट्रैक्टरों द्वारा कितने एकड़ भूमि पर हल जोता गया ;

(ग) एक एकड़ भूमि पर हल जोतने पर क्या औसत लागत आती है ; तथा

(घ) वर्ष १९५१-५२ में ट्रैक्टर सेवा पर कुल कितना आवर्तक व्यय हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के पास इस समय कुल ५४८ ट्रैक्टर हैं। फिर भी भूमि-पुनरुद्धार कार्य के सिलसिले में केवल २४० भारी ट्रैक्टर तथा कुछ दरम्यानी ट्रैक्टर रखे जा रहे हैं, तथा शेष बेचे जा रहे हैं।

(ख) १९५१-५२ के भूमि-पुनरुद्धार वर्ष में इस संस्था द्वारा २,५५,५३४ एकड़ भूमि पर हल जोता गया।

(ग) इस संस्था के नये ट्रैक्टरों द्वारा जो काम किया गया है उसके सम्बन्ध में औसत व्यय ५२ रुपये प्रति एकड़ है। पुरानी मशीनों द्वारा किये गये काम के सम्बन्ध में व्यय की औसत दर १७ रुपये आठ आने प्रति घंटा है, इसके अलावा ईंधन के तेल तथा यातायात पर भी खर्चा आता है।

(घ) ६२,१२,२०८ रुपये।

अस्पताल तथा चिकित्सालय

५०६. श्री रिशांग किशिंग : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) सारे मनीपुर में इस समय कुल कितने सरकारी अस्पताल तथा चिकित्सालय हैं तथा प्रत्येक का चिकित्सक कर्मचारी-वर्ग क्या है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान अस्पतालों तथा चिकित्सालयों में सुधार करने के विचार से कितनी धनराशि निश्चित की गई है ; और

(ग) अगले वित्तीय वर्ष में मनीपुर के पहाड़ों तथा मैदानों में कितने नये अस्पताल तथा चिकित्सालय खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) मनीपुर में २३ अस्पताल तथा चिकित्सालय हैं। इन संस्थाओं में प्रत्येक में सेवा-युक्त चिकित्सक कर्मचारी-वर्ग के सम्बन्ध में सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५**]।

(ख) १८,००० रुपये।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में पर्वती क्षेत्रों में दस चिकित्सालय खोले जायेंगे। इस के अलावा अगले वित्तीय वर्ष में दस नये चिकित्सालय खोले जायेंगे।

नागरिक, अस्पताल, इम्फ़ाल

५०७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि:

(क) इम्फाल के सिविल अस्पताल में इस समय चिकित्सक कर्मचारी-वर्ग की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि इम्फाल के सिविल अस्पताल में कम्पाउंडरों की ट्रेनिंग के लिये कक्षाएं खोली गई हैं तो क्या यह किसी मेडिकल कालिज की स्वीकृति से किया गया है; और

(ग) क्या यह सत्य है कि इस अस्पताल में आदिम जातियों के लिये एक अलग वार्ड (विभाग) तथा रसोई रखी गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) इम्फ़ाल सिविल अस्पताल में इस समय निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग हैं--

चीफ़ मेडिकल आफिसर	१
सहायक सर्जन (दर्जा २)	८
नर्सिंग सिस्टर	१
कम्पाऊंडर	६
नर्सें	४
दाइयां	३
खिदमतगार	४
प्रयोगशाला सहायक	१
कुल	२८

(ख) जी हां। प्रशिक्षा कक्षायें बेरी-वाइट मेडिकल स्कूल, डिबरूगढ़ से सम्बद्ध हैं।

(ग) जी हां।

रेलवे लाइनें

५०८. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कुल कितनी मील रेलवे लाइनें हैं ; तथा

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल रेलवे मीलों का वहां के क्षेत्र तथा जनसंख्या के साथ क्या समानुपात है ?

रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा ज्योंही यह तैयार हो जायगी, तो इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

उड़ीसा के लिए नई रेलवे लाइनें

५०९. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने जिन दस नई रेलवे लाइनों को बनाने की सिफ़ारिश की है, क्या उन में से (१) सम्बलपुर-तितिलागढ़, (२) रौडकेल्ला-ताल्चर, तथा (३) नावमंडी-जोदा प्रस्थापित रेलवे लाइनों के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो इस सम्बन्ध में कब कोई निश्चय कर लिया जायगा ; तथा

(ग) निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) आशा की जाती है कि नये वर्ष में केन्द्रीय यातायात बोर्ड की बैठक में इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया जायगा ।

(ग) यह बात बैठक में किये जाने वाले निश्चय तथा इस कार्य के लिये उपलब्ध धन पर निर्भर है ।

तितिलागढ़ से रेलवे कार्यालयों का हटाना

५१०. श्री आर० एन० एस० देव: क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे की रायपुर-विज़ियानगरम शाखा पर स्थित तितिलागढ़ से ज़िला इंजीनियर कार्यालय तथा सहायक वाणिज्य अधिकारी का कार्यालय हटाने की कोई प्रस्थापना है ; तथा यदि है, तो यह कार्यालय किस जगह अथवा किन जगहों पर ले जाये जायेंगे तथा कब ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार अथवा वहां की जनता की ओर से ऐसी किसी प्रस्थापना के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई फ़ैसला किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सुपरिन्टेन्डेंट, वे एंड वर्कस (मार्ग तथा निर्माण कार्य) तितिलागढ़ का कार्यालय लगभग ६ महीने के समय में वाल्टेयर ले जाने की प्रस्थापना है । परन्तु सहायक वाणिज्य अधिकारी के कार्यालय को वहां से हटाने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दूध

५११. श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने देश में दूध की प्रदाय बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भारत सरकार ने देश में दूध की प्रदाय बढ़ाने के लिये निम्नलिखित पग उठाये हैं :—

(१) राज्य सरकारों को आधार भूत ग्राम-केन्द्र खोलने में सहायता देना जिस से कि कृत्रिम गर्भादान जैसे उपायों द्वारा नस्ल में सुधार करके दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

(२) पशुओं के दूध देने के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिये नस्लकशी , चारा तथा साधारण प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का अनुसन्धान करना तथा दूध से बने पदार्थों के उत्पादन, संग्रहन, विक्रय आदि के लिये लाभकर उपायों को ढूंढना ।

(३) पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिये तथा उनके स्वास्थ्य तथा उत्पादन सामर्थ्य में वृद्धि करने के लिये वेक्सीन का उत्पादन तथा वितरण ।

(४) डेयरी विशेषज्ञों तथा अनुसन्धान तथा अन्य कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग ।

हैदराबाद को अनाज का सम्भरण

५१२. श्री एच० जी० वैष्णव : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में हैदराबाद राज्य में प्रत्येक प्रकार का कितना अनाज आयात किया गया तथा उसका मूल्य क्या था ?

(ख) इसी काल में हैदराबाद राज्य से प्रत्येक प्रकार का कितना अनाज निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य क्या था ?

(ग) १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में हैदराबाद राज्य से तिलहन की कुल कितनी मात्रा तथा रुई की कुल कितनी गांठें निर्यात की गईं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है।

विवरण

१९५१ तथा १९५२ में हैदराबाद राज्य से तथा हैदराबाद में अनाज, तिलहन, और रुई का निर्यात तथा आयात तथा उसका मूल्य—

	१९५१		१९५२ (जनवरी-नवम्बर)	
(क) हैदराबाद राज्य में आयात किये गये अनाज की मात्रायें	(टन)	(रुपयों में मूल्य)	(टन)	(रुपयों में मूल्य)
गेहूं	९६,४४५	४,६३,५१,८१९	३८,७५८	२,१२,२३,७६७
चावल	१५,२९८	८८,८०,१७०	१६,५५८	१,०१,२९,९००
लाल जवार	१०,९२५	३५,६८,७६९	—	—
जवार	—	—	९,५७५	३१,२७,८३३
गेहूं का आटा	—	—	१९६	१,४४,०७२
(ख) हैदराबाद से निर्यात किये गये अनाज की मात्रायें—				
मक्की	२००	५५,८०६	—	—
लम्बा गेहूं	३३०	२,०२,०३९	६६६	४,४०,७८५
सफेद जवार बीज	—	—	२२०	८०,१६१

(ग) हैदराबाद राज्य से निर्यात किये गये तिलहन तथा रूई की मात्रायें—

	(वर्ष)	(टन)	(मूल्य रुपयों में)
तिलहन	१९५१	१,७१,९१०	उपलब्ध नहीं
	१९५२ (जनवरी—सितम्बर)	१,५२,३९३	उपलब्ध नहीं
	(वर्ष)	(गांठों की संख्या)	(मूल्य रुपयों में)
रूई की गांठें	१९५१	२,५६,७६५	११,८४,२९,७१४
	१९५२ (जनवरी-अक्तूबर)	३,६७,६८८	१४,८९,९४,६९७

बीड़ी के पत्तों की खती

५१३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में किस हद तक बीड़ी के पत्तों की खेती होती है ; तथा

(ख) क्या बीड़ी पत्तों का सम्पूर्ण स्टाक भारत में ही काम में लिया जाता है अथवा कुछ निर्यात भी किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं ।

(ख) यह निर्यात भी किया जाता है ।

मद्रास चिंगलेपुट रेलवे लाइन

५१४. **श्री इलयापेरुमल** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास से चिंगलेपुट तक एक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने की कोई प्रस्थापना है ?

(ख) यदि है, तो क्या सरकार थिरुकोयलुर तथा कल्लाकुरिची से होके चिंगलेपुट से चिन्नासेलम तक एक नई रेलवे लाइन, जिसका कि रेल अधिकारियों द्वारा भूमापन किया गया था तथा जिस की मद्रास राज्य सरकार द्वारा सिफ़ारिश की गई थी, बनाने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर 'नहीं' है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

कोयम्बटोर ज़िले में खाद्याभाव

५१५. **श्री वीरस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मद्रास राज्य के कोयम्बटोर ज़िले में अनाज का अभाव है ;

(ख) क्या वहां अनाज सस्ती दुकानों द्वारा वितरित किया जाता है ; तथा

(ग) यदि किया जाता है तो कोयम्बटोर में ऐसी कुल कितनी दुकानें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) गत पांच वर्षों में निरन्तर रूप से वर्षा न होने के कारण कोयम्बटोर ज़िले के कुछ हिस्सों में अभाव की स्थिति है ।

(ख) तथा (ग) । जी हां, श्रीमान् । १-११-१९५२ को इस ज़िले में ८५२ सस्ते अनाज की दुकानें चल रही थीं ।

डाक तथा तारघर (अनसूचित क्षेत्र)

५१६. **श्री हेम राज** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पंजाब राज्य के लाहौल तथा स्पिती अनुसूचित क्षेत्रों में डाक तथा तारघर अथवा वायरलैस स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना है ; तथा

(ख) इस क्षेत्र में इस समय कुल कितने डाक तथा तारघर हैं तथा अगले पांच वर्षों में और कितन खोले जाने की प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । लाहौल की जनसंख्या केवल ५ प्रति वर्ग मील है तथा स्पिती की केवल १ प्रति वर्ग मील है । यह क्षेत्र वर्ष में छे महीने से अधिक समय के लिये हिमाच्छादित रहते हैं । स्थानीय आवश्यकता जो कि लगभग 'नहीं' के बराबर है को दृष्टि में रखते हुए अथवा अनुज्ञेय क्षति-सीमा जो कि २००० से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ५०० रुपये प्रति डाकखाना प्रति वर्ष है, को दृष्टि में रखते हुए इन क्षेत्रों में डाकखाने खोलना उचित नहीं । फिर भी कोलोंग के स्थान पर एक वायरलेस स्टेशन शीघ्र ही कार्य करना शुरू करेगा ।

(ख)—

	विद्यमान	जिन्हें खोलने की प्रस्थापना है
डाकखाने	३	—
तारघर	—	एक वायरलेस स्टेशन

अजमेर रेलवे वर्कशाप

५१७. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०, १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में अजमेर रेलवे वर्कशाप से कुल कितने मूल्य का सामान चोरी से बाहर लिया गया है ?

(ख) १९४०, १९४१ तथा १९४२ के वर्षों में कितने मूल्य का सामान चोरी से बाहर लिया गया था ?

(ग) इस प्रकार से चोरी से सामान हटाने की क्रियाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५० में २१० रुपये ४ आने। १९५१ में २९१ रुपये १४ आने। १९५२ में ६८९ रुपये ४ आने।

(ख) १९४० में ५५ रुपय। १९४१ में कुछ नहीं। १९४२ में ९३ रुपये ४ आने।

(ग) चोरी छिपे सामान ले जाने की क्रियाओं को रोकने के लिये अजमेर वर्कशाप में तृतीय श्रेणी के पर्यवेक्षी प्रहरी कर्मचारीवर्ग को तथा अतिरिक्त प्रहरी कर्मचारीवर्ग को नियुक्त करने की प्रस्थापनायें पहले ही सरकार के विचाराधीन हैं, जिस से कि कारखाने की भी अच्छी देखभाल हो सके तथा इसकी इर्द गिर्द की दीवारों का, विशेषकर, रात को अधिक संगठित रूप से पहरा दिया जा सके।

ऊंचाहार तथा लच्छमणपुर के बीच छोटा स्टेशन

५१८. **श्री बी० एन० कुरील :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को लोक-संस्थाओं की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ज़िला रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित ऊंचाहार तथा लच्छमनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच एक रेलवे स्टेशन खोला जाये ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ऊंचाहार तथा लच्छमणपुर रेलवे स्टेशनों के बीच एक फ़्लैग स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में जांच भी की गई थी?

(ग) यदि की गई थी, तो इस जांच का परिणाम क्या निकला है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। नवम्बर १९५० में ज़िला बोर्ड की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) जी हां। रेल विभाग ने इस प्रस्थापना की पूरी तरह जांच की थी।

(ग) जांच से पता चला कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह प्रस्थापना उचित नहीं, इसलिये इसे छोड़ दिया गया।

ग्वालियर तथा शिवपुर के बीच रेलगाड़ी का चलना

५१९. **श्री आर० सी० शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य भारत सरकार से राज्य रेलों का प्रशासन सम्भालने के बाद ग्वालियार तथा शिवपुर के बीच चलने वाली रेल गाड़ी में यात्रियों को स्थान की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या सुधार, यदि कोई हो, किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यात्रियों को स्थान-सुविधा देने के सम्बन्ध में व्यवस्था संतोषजनक थी। इस-

लिये इस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया सिवाय इसके कि ८ इन्टर क्लास सीटों का उच्च श्रेणीकरण करके इन्हें सैकेंड क्लास बनाया गया जब कि इस गाड़ी पर से इन्टर क्लास हटा लिया गया ।

मध्य भारत के उत्तरी जिले (रेलवे लाइन)

५२०. **श्री आर० सी० शर्मा :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास इस समय मध्य भारत के उत्तरी ज़िलों तक रेलवे लाइन ले जाने की कोई योजना है तथा यदि है, तो यह योजना क्या है ?

(ख) क्या सरकार पुरानी राज्य रेलवे विस्तार योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है जिसका उद्देश्य अम्बह को ग्वालियार भींद रेलवे लाइन से मिलाना था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई स्वीकृत योजना नहीं, परन्तु सरकार शिवपुर को, जो कि ग्वालियर-शिवपुर छोटी रेलवे लाइन का एक सिरा है, एक मीटर-गेज लाइन द्वारा सवाई-माधोपुर के साथ मिलाने की तथा वर्तमान ग्वालियर-शिवपुर-भींद छोटी लाइन को मीटर गेज में बदलने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ।

(ख) उत्तर 'नहीं' है ।

बम्बई टेलीफोन वर्कशाप

५२१. **श्री कजरोल्कर :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टेलीफोन वर्कशाप को बंगलौर अथवा किसी अन्य स्थान पर ले जाने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ख) यदि नहीं है, तो क्या बम्बई में ही इस वर्कशाप के लिये और एक भवन बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) इस वर्कशाप को बंगलौर ले जाने की कोई प्रस्थापना नहीं । बम्बई नगर में अथवा इसके उप-नगरों में इसके लिये कोई उपयुक्त स्थान चुनने के विषय पर विचार किया जा रहा है । ज्योंही यह स्थान चुन लिया जायगा, त्योंही इसके लिये एक भवन बनाने के प्रश्न को हाथ में लिया जायगा ।

पोस्ट मास्टरों के लिए क्वार्टर

५२२. **श्री बोगावत :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वेतन-श्रेणियों में काम करने वाले पोस्ट मास्टरों के आवास के लिये बनाये जाने वाले क्वार्टरों का नया अति-संयमित स्तर क्या है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि वैभागिक नियमों के अन्तर्गत पोस्ट मास्टर को इन क्वार्टरों में रहना तथा सोना होता है यद्यपि नगर में उसका अपना मकान भी हो ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) आवास स्थानों का अतिसंयमित स्तर सभी श्रेणियों के कर्मचारीवर्ग पर उनके वेतनों के अनुसार लागू होता है । तदनुसार विभिन्न वेतन-श्रेणियों के पोस्ट मास्टरों को जो नये प्रकार के क्वार्टर दिये जायेंगे वह इस प्रकार होंगे :—

वेतन	क्वार्टरों की क़िस्म	पीलपाये की कुर्सी का क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	
		एक मंज़िले वाले	दो मंज़िले वाले
रुपये			
६०० से १७५० तक	'बी'	१९२०	२२८०
२५० से ५९९ तक	'सी'	९३०	१११०
५५ से २४९ तक	'एच'	६००	७३५

(ख) जी हां ।

ब्रांच पोस्ट आफिस

५२३. श्री बोगावत : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में बम्बई सर्कल में कुल कितने ब्रांच डाकखाने खोले गये तथा कितने स्थायी बना दिये गये ;

(ख) बम्बई सर्कल में कुल कितने ब्रांच डाकखाने आत्मनिर्भर हैं ; तथा

(ग) प्रत्येक ब्रांच डाकखाने की अनुज्ञेय हानि कितनी है तथा १९५०-५१ और १९५१-५२ के वर्षों में बम्बई सर्कल में इन डाकखानों को बनाये रखने के लिये डाक तथा तार विभाग को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)—

वर्ष	बम्बई सर्कल में खोले गये ब्रांच डाकखानों की कुल संख्या	बम्बई सर्कल में स्थायी बनाये गये ब्रांच डाकखानों की कुल संख्या
१९५०-५१	१५६	३३६ (इन में पूर्व वर्षों में खोले गये डाकखाने भी शमिल हैं) ।
१९५१-५२	३३६	२६९

(ख) ३१ मार्च १९५२ को इनकी संख्या ३४५० थी ।

(ग) नये खोले गये ब्रांच डाकखानों के सम्बन्ध में यह (१) ७५० रुपये प्रतिवर्ष है बशर्ते कि यह २००० अथवा उस से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम के सेवा-तत्पर हों अथवा इतनी ही जन संख्या के संगठित ग्राम-समूह को डाक पहुंचाता हो, परन्तु इस समूह में एक ग्राम दूसरे ग्राम से चार मील से अधिक दूरी पर न हो । (२) जब ऊपर-उल्लिखित शर्तें पूरी न होती हों तो ५०० रुपये प्रति वर्ष ।

डाक तथा तार विभाग ने बम्बई सर्कल में ग्राम-डाकखानों को चलाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित हानि उठाई है :—

	रुपये आ० पाई
१९५०-५१	१,१२,८३३-२-१०
१९५१-५२	१,४८,४९०-६-४

सेवा योजनालय

५२४. प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उम्मीदवारों से सेवा योजनालयों में अपना नाम दर्ज कराने के लिये कोई शुल्क लेती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जी नहीं ।

जंगलात

५२५. श्री गणपति राम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में रक्षित जंगलों तथा संरक्षित और अवर्गीकृत जंगलों का कुल क्षेत्रफल क्या है ;

(ख) १९४१ से इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि अथवा कितना प्रतिशत ह्रास हुआ है ; तथा

(ग) रक्षित जंगलों में क्या-क्या बहुमूल्य उत्पाद हैं ? देश में उन की वार्षिक खपत क्या है तथा विदेशी मंडियों को प्रति वर्ष इन वस्तुओं की कुल कितनी मात्रा भेज दी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक। तीन विवरण जिन में कि उपलब्ध सूचना दी गई है , सदन पटल पर रख दिये जाते हैं । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६]**

GIPD—HS—84—PSD—28-7-53—

Par. S. 18. VI. 6. 52
285

अंक ६

संख्या ६

बुधवार

१० दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते
1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

विशेषाधिकार का प्रश्न—स्थगन प्रस्ताव का समय से पहले ही प्रकाशित हो जाना [पृष्ठ भाग १५३७—१५४३]

अनुपस्थिति की अनुमति [पृष्ठ भाग १५४३—१५४४]

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार करने का प्रस्ताव—स्थगित [पृष्ठ भाग १५४४—१५५३]

सदन का कार्य [पृष्ठ भाग १५५३—१५५५]

परिसीमन आयोग विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त [पृष्ठ भाग १५५५—१५८४]

आसाम और पश्चिमी बंगाल के चाय के बग़ीचों के सम्बन्ध में चर्चा [पृष्ठ भाग १५८४—१५९६]

(मूल्य ६ आने)

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० प०

विशेषाधिकार का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव का समय से पहले ही प्रकाशित हो जाना

श्रीमती सुचेता कृपलानी : (नई दिल्ली) : श्रीमान्, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहती हूं। कल मैंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । उस प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने के पहिले ही "देहली ऐक्सप्रेस" समाचारपत्र में इस सम्बन्ध में बड़ी बड़ी सुर्खियां देकर खबरें छापी गई हैं । यह प्रश्न देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है । सदन द्वारा विचार किये जाने के पहिले ही यह विषय अखबार में कैसे छाप दिया गया ?

सन् १९४८ में, ६ फरवरी को दिये गए एक अतृप्त सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि उक्त प्रश्न का उत्तर दिये जाने के एक दिन पहिले ही पत्रों में प्रकाशित किया जाना सदन की रूढ़ियों का उल्लंघन है । अतएव मैं आप से प्रार्थना करूंगी कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

उपध्यक्ष महोदय : निश्चय ही यह रूढ़ि का उल्लंघन है । अध्यक्ष इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं । उन्हें इसका हक्क है । मेरी समझ में नहीं आता कि बार-बार चेतावनी देने पर भी ऐसी बात कैसे हो जाती है । मैं निश्चय ही इस अखबार के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और उसका उत्तर मांगूंगा ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या मैं कुछ कह सकता हूं ? मुझे खुशी है कि आपका ध्यान इस विषय की ओर दिलाया गया क्योंकि मैं स्वयं इसकी चर्चा करना चाह रहा था । मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि मुझे इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्यों से शिकायत थी और मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या उन्होंने यह प्रस्ताव समाचारपत्र को दे दिया था या इसके भेजे जाने की अनुमति दे दी थी । यह चीज़ समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के लिए तो है, परन्तु यह ठीक नहीं है कि ऐसी चीज़ पर इस प्रकार चर्चा की जाये कि वह किसी समाचारपत्र तक पहुंच जाये । दोनों बातों की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए ।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

कल शाम मुझे इस स्थगन प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी । क्योंकि मैं यह जानता हूं कि विरोधी दल के सदस्य हर बात को बड़ी जल्दी मान लेते हैं और किसी बात में स्वविवेक से काम नहीं लेते, अतः मझे यह ज़ान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार का प्रस्ताव मुझ से परामर्श किये बिना सदन में भेज दिया गया । मुझे उनकी यह कार्यवाही बहुत गैर-ज़िम्मेदाराना मालूम हुई । मुझे आशा है कि भविष्य में विरोधी दल के सदस्य अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करेंगे । मै सदन का नेता हूं और मुझ से किसी भी समय टेलीफोन द्वारा , खुद मिलकर या पत्र लिखकर सम्पर्क किया जा सकता है । इनमें से किसी ने भी मुझ से उसका निर्देश नहीं किया । क्या वे किसी ऐसी बात का यकीन कर सकते हैं जो किसी अविख्यात जर्मन समाचारपत्र में प्रकाशित हुई थी और फिर यहां के समाचार पत्रों में छपी थी और जिसको कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे हमारे संविधान का या हमारी सरकार का या हमारे देश का थोड़ा सा भी ज्ञान है, अर्थहीन समझेगा ? और यदि वही चीज़ अब सदन के समक्ष एक प्रस्ताव के रूप में आती है, तो मैं कहूंगा कि यह निहायत गैरज़िम्मेदारी की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : : जब मुझे यह स्थगन प्रस्ताव मिला तो मैंने भी यह सोचा था कि माननीय सदस्यों को यह प्रस्ताव सदन नेता से ठीक ठीक स्थिति पता लगाये बिना नहीं भेजना चाहिए था । यह आवश्यक नहीं है कि समाचारपत्रों में जो कुछ छपे वह ठीक ही हो ।

स्थगन प्रस्ताव कोई मामूली सी चीज़ नहीं होती । यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकार को त्यागपत्र तक देना पड़ता है । यह तो एक प्रकार का निंदा का प्रस्ताव होता है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन जैसे मामलों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव करते समय अत्यधिक शीघ्रता से काम न लें । यह एक अजीब सी बात है कि हम उत्तरदायी व्यक्ति होकर भी ऐसी बातों को गोपनीय नहीं रख सकते । कोई माननीय सदस्य गैर-ज़िम्मेदार नहीं है । परन्तु दुर्भाग्य से इस मामले में पर्याप्त सावधानी से काम नहीं लिया गया ।

श्री एच० एन० मुकर्जी :(कलकत्ता उत्तर पूर्व) : जहां तक इस विषय के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने का सम्बन्ध है, श्रीमती कृपलानी विशेषाधिकार का प्रश्न उठा चुकी हैं । परन्तु इसका उत्तरदायित्व हम अपने उपर नहीं ले सकते । हमने तो पूर्ण उत्तरदायित्व से काम किया है और हमें खेद है कि माननीय प्रधान मंत्री ने हमारे ऊपर गैर-ज़िम्मेदारी आदि का लांछन लगाया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह समाचार ६ दिसम्बर, १९५२ को प्रकाशित हुआ था । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री यह समाचार छापने वाले पत्र तथा पी० टी० आई० के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सामन बैठे माननीय सदस्य ने एक ऐसी बात कही है जो असाधारण प्रतीत होती है । उन्होंने कहा कि यह बात अखबार में छपी थी । परन्तु मुझे इसका पता नहीं था । मझे यह बतलाते हुए खेद है कि कदाचित मैं सब समाचारपत्रों को बहुत ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ता । हां जब मैंने यह समाचार पढ़ा, तो मझे मालूम हुआ कि यह एक अविख्यात जर्मन समाचार-पत्र में से उद्धरण है जो "हिन्दुस्तान टाइम्स" या पी० टी० आई० द्वारा प्रकाशित किया गया है—फ्रैंकफ़र्ट स्थित अमेरिकी हाई कमिशन के एक अविख्यात जर्मन समाचारपत्र ने कुछ

ऐसी बात लिखी है जिसने स्पष्टतया मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी तथा अन्य सदस्यों को इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए विचलित कर दिया है। वैसे, यदि मझे इसका पता भी होता तो भी यह कहना ग़लत है कि मैं इस अविख्यात जर्मन समाचार पत्र में कही गई बात से उत्तेजित हो जाता।

दूसरे, माननीय सदस्य ने यह कहा कि उनके तथा उनके सहयोगियों के लिए यही एकमात्र ठीक तथा स्पष्ट तरीका था, अर्थात् एक स्थगन प्रस्ताव का रखा जाना। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही तरीका नहीं है। यह तो एक बहुत असाधारण तथा असामान्य तरीका है। जिन संसदों में स्थगन प्रस्ताव रखे जाने की अनुमति है वहां यह बहुत कम रखा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अवसरों पर ही रखा जाता है; यह जानकारी प्राप्त करने या किसी बात का खंडन या पुष्टि करवाने मात्र के लिए नहीं रखा जाता। ये बातें तो अन्य प्रकार से भी हो सकती हैं—प्रश्नों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से बात करके। किसी समाचारपत्र में छपी किसी बात का खंडन या पुष्टि करने के लिए स्थगन प्रस्ताव रखने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भी बहुत से तरीके हैं जो इस प्रयोजनार्थ अपनाये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्तावों को तो अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : यह बात किसी अविख्यात जर्मन समाचार पत्र द्वारा नहीं छापी गई है। यह तो एक जर्मन भाषा का समाचारपत्र है.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कुछ भी हो, जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, माननीय प्रधान मंत्री यह जानते होंगे कि भिन्न भिन्न स्थानों में कौन से समाचार पत्र अधिक महत्वपूर्ण हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : : किसी भी माननीय सदस्य ने उस पत्र के बारे में नहीं सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रधानमंत्री का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि उन्हें उसका ज्ञान नहीं था। यदि उन्हें इसका पहले पता होता तो यह उसी वक्त उसका खंडन कर देते। अब इस मामले पर और अधिक वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। "देहली ऐक्सप्रेस" में जो बात छपी है मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा और इस बात का पता लगाऊंगा कि यह बात वहां तक कैसे पहुंची।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू में माननीय सदन-नेता ने अल्पसूचना प्रश्न आदि के सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं। मैंने भी कल सुबह एक अल्पसूचना प्रश्न की सूचना दी थी। हमें यह नहीं पता है कि अल्पसूचना प्रश्न कब, कसे और कहां स्वीकार होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य ने सूचना कल ही तो दी है। आखिर, कार्यालय को भी तो उस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी होगी और उसमें समय लगेगा। अतः क्या अल्पसूचना प्रश्न की सूचना दी जाने के २४ घंटे बाद भी माननीय सदस्य के लिए स्थगन प्रस्ताव रखना आवश्यक है? मैं समझता हूं कि इस कार्य में अनुचित जल्दी की गई है।

डा० लंका सुन्दरम् : मैंने अपने अल्पसूचना प्रश्न की सूचना कल दोपहर के पहले दी थी।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैंने इस मामले के सम्बन्ध में अल्पसूचना प्रश्न की सूचना कोई छः दिन पहले दी थी।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : इस प्रश्न की सूचना दी जाने के छः दिन पहले ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : श्रीमान्, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस लिये ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्योंकि हमारे ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है । यदि हम यह प्रस्ताव यहां रखते हैं तो यह हमारा संवैधानिक अधिकार है । कोई हमें प्रस्ताव रखने से पहले मंत्री से परामर्श करने के लिए मज़बूर नहीं कर सकता । यदि हम मंत्री से पहले बातचीत कर भी लेते हैं तो वह केवल अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण । मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहती हूं कि यह समाचार किसी अविख्यात या अज्ञात पत्र में नहीं प्रकाशित हुआ है । यह फ्रैंकफ़र्ट स्थित अमेरिकी हाई कमीशन के जर्मन भाषा के समाचार पत्र "न्यूज़ साइं-टुंग" में प्रकाशित हुई है । अमेरिका के साथ हमारे कूटनीतिक सम्बन्ध विद्यमान हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध म कोई कार्यवाही की है ताकि अमे-रिकी सरकार से इस झूठी खबर के प्रकाशित किये जाने के बारे में उत्तर मांगा जा सके । यह खबर "हिन्दुस्तान टाइम्स" तथा अन्य पत्रों में ६ तारीख़ को छपी थी । परन्तु आज तक सरकार ने उसका खंडन नहीं किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन दूसरा काम करेगा ।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि मुझे श्री चिमनलाल चकुरभाई शाह से निम्न पत्र प्राप्त हुआ है :—

"मुझे खेद है कि मैं अपनी बीमारी के कारण सदन के सत्र में उपस्थित न रह सकूंगा । मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस सत्र में अनुप-स्थित रहने की अनुमति दे दी जाये ।"

क्या सदन श्री चिमनलाल चकुरभाई शाह को इस सत्र की सब बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति देगा ?

अनुपस्थिति की अनुमति दी गई ।

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

श्री अल्तेकर (उत्तर सतारा) : कल मैं यह कह रहा था कि जनता के जो प्रतिनिधि यहां आयें वे अर्हता, योग्यता तथा विस्तीर्ण दृष्टिकोण वाले हों । यहां हमें विदेश नीति के प्रश्नों पर तथा अन्य ऐसे विषयों पर चर्चा करनी होती है जो देश-व्यापी महत्व रखते हैं । यदि हम निर्वाचन-क्षेत्रों को छोटा रखगे तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे व्यक्ति चुन लिये जायगे जो उन छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही प्रसिद्ध हैं । इसके विपरीत यदि निर्वाचन-क्षेत्र बड़े रखे जायें तो उस दशा में ऐसे व्यक्तियों के चुने जाने की संभावना अधिक है जो अधिक प्रतिष्ठा वाले हैं ।

एक बात और भी है । निर्वाचन क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतनी ही कम वहां भ्रष्टा-चार की संभावना होगी । हमारे निर्वाचन-क्षेत्र देश के विस्तार तथा जनसंख्या को देखते हुए बनाये जाने चाहियें ।

बड़े निर्वाचन-क्षेत्रों के विरोध में यह कहा जाता है कि ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में चुनाव लड़ने में बड़ा धन खर्च होता है । इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि लोकतन्त्रीय राज्य में चुनाव अधिकांश रूप से भिन्न-भिन्न पक्षों द्वारा लड़े जाते हैं । इस बात को देखते हुए एक ज़िले का एक निर्वाचन-क्षेत्र बनाना कोई अधिक कठिन नहीं है । जो स्वतन्त्र रूप से खड़े होते हैं, उनमें से भी ऐसे व्यक्तियों को , जिन्हें सम्मान का स्थान प्राप्त

हैं और जिन्होंने जनता की सेवा की है, चुनाव लड़ने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। लोकतन्त्रीय देश में आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव पक्षों के आधार पर लड़े जायें और उस प्रयोजन के लिए एक ज़िले का एक निर्वाचन-क्षेत्र बनाना किसी भी रूप में जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने में बाधक नहीं हो सकता।

इस संविधान के लागू होने से पहले केन्द्रीय विधान-मंडल के निचले सदन में १४४ सदस्य हुआ करते थे। हमने उस संस्था में तो तीन गुनी से अधिक वृद्धि की है; परन्तु जहां तक निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रश्न है, पहले निर्वाचन-क्षेत्र वर्तमान निर्वाचन-क्षेत्रों से कोई सात से लेकर दस गुने तक बड़े हुआ करते थे। यानी अब हमने निर्वाचन-क्षेत्र का साइज़ कोई सात से लेकर दस गुणा तक कम कर दिया है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े निर्वाचन-क्षेत्र में जनता से सम्पर्क स्थापित करने में या उसके विषय में सब बातें ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं वर्तमान निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार में कोई फेर-बदल किये जाने की आवश्यकता नहीं समझता।

जहां तक सदन में सदस्यों की समस्त संख्या निश्चित की जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि ५०० की वर्तमान संख्या ठीक है। यदि निर्वाचन-क्षेत्र छोटे कर दिये गये तो यह संख्या बढ़ जायेगी जिसका परिणाम यह होगा कि सदन का प्रबन्ध करना भी कठिन हो जायेगा। ५०० की संख्या काफी सोच-विचार के बाद निश्चित की गई थी। इस समय उसमें फेरबदल करने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम देती। यदि भविष्य में विरोधी पक्ष सत्तारूढ़ हुआ तो उसे मालूम पड़ेगा कि यह संख्या वास्तव में ठीक तथा उचित थी। अतएव मैं निवेदन करूंगा कि उच्चतम सीमा न रखने का संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद १७० (२) में भी राज्यों की विधान-सभाओं में प्रतिनिधित्व के योजनार्थ जनसंख्या की उच्चतम सीमा नहीं दी गई है। अतः इस संशोधन को स्वीकार करके हम अनुच्छेद १७० (२) जैसा उपबन्ध यहां भी कर सकेंगे। इन परिस्थितियों में, मेरा निवेदन यह है कि सदन के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है उसका समर्थन किया जाना चाहिये और हमें उस सिद्धान्त के साथ छेड़-छाड़ नहीं करनी चाहिए जो संविधान सभा में काफ़ी सोच-विचार के पश्चात् स्वीकार किया गया था।

इन शब्दों के साथ मैं सदन में रखे गए संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर): वस्तुतः यह संशोधन आवश्यक नहीं है। मेरा ख्याल है कि ५०० की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि यह संशोधन न किया जाये तो निर्वाचन-क्षेत्र प्रादेशिक रूप से छोटा हो सकता है, अर्थात् उसके क्षेत्रफल में कमी आने की संभावना है। बड़े-बड़े निर्वाचन-क्षेत्रों का दौरा करने में पहले ही काफ़ी कठिनाई होती है; यदि निर्वाचन-क्षेत्र और बड़े कर दिये गये तो उम्मीदवारों को पहले से भी अधिक कठिनाई उठानी पड़ेगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस संशोधन को मंजूर न किया जाये और ५०० की संख्या में वृद्धि की जाये।

श्री एन० सोमना (कुर्ग): सरकार ने विधेयक में निम्नतम तथा उच्चतम दोनों सीमायें रखी थीं। परन्तु प्रवर समिति ने बड़े सोच-विचार के बाद उच्चतम सीमा हटा दी और केवल निम्न सीमा ही रहने दी। इससे भविष्य में बार-बार संशोधन नहीं करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस समय यह चर्चा करना कि सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या ५०० रहे या बढ़ा दी जाये, इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर है। जहां तक उस विधेयक का सम्बन्ध है, प्रवर समिति द्वारा किया गया

[श्री ए न० सोमना]

संशोधन पूर्णतः उचित है और सदन के सब लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा — उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : मैं इस विधेयक का, जैसा कि वह प्रवर समिति से आया, समर्थन करता हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में जनता की जो राय प्राप्त हुई है उससे यह प्रकट होता है कि लगभग सारा देश यह चाहता है कि सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या ५०० से न बढ़ाई जाये और संशोधन, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है स्वीकार कर लिया जाये। विरोधी दल के सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान में समय-समय पर संशोधन नहीं किये जाने चाहियें। हम भी मानते हैं कि संविधान में जल्दी-जल्दी संशोधन नहीं होने चाहियें परन्तु यदि हम संविधान के ही अनुच्छेद ८१ (३) पर दृष्टि दौड़ायें तो हमें पता चलेगा कि कुछ फेरबदल तो खुद संविधान में ही अन्तर्निहित है। अनुच्छेद ८१(३) में दिया हुआ है :

> "प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिए पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे।"

अतः स्वयं संविधान के अनुसार ही यह अत्यावश्यक है कि उसमें यह संशोधन किया जाये। मैं इस तर्क के महत्व को समझता हूं कि निर्वाचन-क्षेत्रों के क्षेत्रफल तथा विस्तार में समय समय पर परिवर्तन नहीं होने चाहिएं; परन्तु जनगणना के आंकड़ों से हमें पता चलता है कि जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई है। अतएव यह संशोधन युक्ति-युक्त तथा आवश्यक

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि देश की जनसंख्या बढ़ गई है, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इस संशोधन से, जैसा कि वह प्रवर समिति से आया है, संविधान में समय समय पर परिवर्तन करने का खतरा भी दूर हो जायगा क्योंकि प्रवर समिति ने साढ़े सात लाख की उच्चतम सीमा उड़ा दी है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सिद्धन जप्पा (हासन चिकयम गालूर) : सदन ने जो दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त मान लिये हैं वे भारत के संविधान के अनुच्छेद ८१(१) (क) तथा (ग) में उपबन्धित हैं। मेरी राय में उपखंड (ख), जो इन दोनों उपखंडों के बीच में है, न तो महत्वपूर्ण ही है और न आवश्यक।

संशोधक विधेयक में, जैसा कि वह प्रवर समिति से प्राप्त हुआ है, केवल निम्नतम सीमा ही रखी गई है, उच्चतम सीमा उड़ा दी गई है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अ क अच्छा तो यह होगा कि या तो ोनों सीमायें रखी जायें या फिर दोनों ही समाप्त कर दी जायें। परिसीमन आयोग को एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र की औसत जनसंख्या को लेकर कुछ समायोजन करने पड़ेंगे जो किसी निर्वाचन-क्षेत्र की विशेष भौगोलिक दशाओं तथा प्रशासनात्मक एककों पर निर्भर करेंगे।

अब जनसंख्या बढ़ गई है। यदि निम्नतम सीमा उतनी ही रखी गई जितनी रखने का इस समय विचार है तो इससे निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन में नुकसान पहुंचेगा क्योंकि यह किसी एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र की औसत जन-संख्या से बहुत भिन्न है

अतएव मेरा निवेदन है कि या तो अनुच्छेद के उपखंड ८१ (१) को बिल्कुल ही उड़ा दिया जाये, या यदि रखा जाये तो फिर दोनों सीमायें ही रखी जायें। यदि हम दोनों सीमायें रखें, तो उस दशा में हमें इन आंकड़ों को भी बढ़ाना पड़ेगा।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर-उत्तर) : कल से जो भाषण दिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रवर समिति की सिफारिशें सदन को स्वीकार्य हैं। गत सत्र में विरोधी पक्ष के आग्रह पर विधेयक को जनता की राय ज्ञात करने के अभिप्राय से परिचारित किया गया था। जनता की राय सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या ५०० ही रखे जाने के पक्ष में है। अतः अब हमारा काम अधिक सरल हो गया है। अब तो हमें दूसरी ओर के सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर देना है।

वाद विवाद के दौरान में प्रायः अमेरिकी संविधान की ओर निर्देश किये गये हैं। कुछ सदस्यों ने अमेरिकी संविधान में किये गये संशोधनों की भी चर्चा की है। अमेरिकी संविधान को बने अब १७५ वर्ष से कुछ अधिक समय बीत चुका है। उसके बनाये जाने के पहले दो वर्षों में ही उसमें कोई ग्यारह-बारह छोटे-छोटे संशोधन हुए थे। और उसके बाद अमेरिकी संविधान के लम्बे इतिहास में—कोई १७५ वर्षों में—संशोधनों की संख्या १५ से भी कम है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मुख्यतः दो आपत्तियां की थीं। एक तो उन्होंने यह आशंका प्रकट की कि उच्चतम सीमा के समाप्त किये जाने का अर्थ यह होगा कि हम सरकार को निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार में वृद्धि करने का मनमाना अधिकार दे देंगे। परन्तु यह स्पष्ट है कि सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या ५०० निश्चित की जाने के बाद इस आशंका में कोई सार नहीं रह जाता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने दूसरा भय यह प्रकट किया कि यदि इन निर्वाचन-क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक जनसंख्या रखी गई, तो सदस्यों के लिए निर्वाचकों से 'सजीव सम्पर्क" बनाये रखना कठिन हो जायेगा। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे जनसंख्या बढ़ा भी दी जाये तो भी प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का क्षेत्रफल वही रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, वैसे-वैसे हमारे संचार साधनों में भी वृद्धि होती जायेगी। ऐसी दशा में हमारा यह भय रखना कि हम निर्वाचकों से सजीव सम्पर्क नहीं बना रख सकेंगे, निरर्थक सा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जिस रूप में कि यह प्रवर समिति से प्राप्त हुआ है, समर्थन करता हूं।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मेरा सुझाव है कि दूसरा विधेयक—परिसीमन आयोग विधेयक—भी इसके साथ साथ ले लिया जाये। उस दशा में हम एक साथ सब बातें कह सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : दो विधेयक एक तो साथ नहीं लिये जा सकते। कदाचित् उनके कहने का अभिप्रायः यह मालूम होता है कि यदि हम परिसीमन आयोग विधेयक इस विधेयक को पारित करने के बाद लेते हैं और उसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो उस दशा में इस विधेयक पर पुनः चर्चा करना आसान काम नहीं रहेगा। इन परिस्थितियो में ये दोनों विधेयक उस समय तक साथ-साथ चलते रहें जब तक कि उन पर मत लिया जाये, ताकि माननीय सदस्यगण एक दूसरे के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर सकें। उनका अभिप्राय यह प्रतीत होता है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इस बात पर तो पहले ही ध्यान दिया जा चुका

[श्री एस० एम० मोरे]

है। दोनों विधेयकों पर एक ही प्रवर-समिति द्वारा विचार किया गया ह।

उपाध्यक्ष महोदय : उस बात पर ज़ोर देते हुए भी, यह सुझाव युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि इन दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार हो। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्यगण इस विधेयक पर काफ़ी बोल चुके हैं और अब उन्हें इस विषय पर कुछ अधिक नहीं कहना है। अतएव यदि माननीय सदस्यगण भी यह समझते हैं कि वे इस विधेयक पर बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो मैं इस विधेयक को यहीं छोड़कर दूसरा विधेयक ले लंगा। उसमें फिर जो कठिनाइयां आवेंगी उनका दोनों के बीच समायोजन हो सकता है। यदि सदन ने अन्तिम निर्णय के पूर्व इन दोनों पर विचार न किया तो दोनों विधेयकों के एक ही प्रवर समिति को सौंपे जाने का फ़ायदा ही खत्म हो जाएगा। मुझे इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है; प्रक्रिया यह नहीं है कि दोनों पर एक साथ विचार किया जाये बल्कि यह कि प्रस्तुत विधेयक पर विचार हम इस अवस्था पर छोड़ दें और दूसरे विधेयक पर विचार प्रारम्भ कर दें। जब दोनों पर विचार हो जाये तों अलग अलग विधेयक के खंडों पर अलग अलग विचार किया जा सकता है। एक और भाषण की अनुमति देकर मैं इस विधेयक को यहीं छोड़ दूंगा और इसके बाद दूसरा विधेयक ले लिया जायेगा।

श्री जी० एच० देशपांडे : (नासिक-मध्य) : मैं सदन में माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्थापना का समर्थन करता हूं। हाल ही में कुछ माननीय सदस्यों ने प्रत्येक बात में अमेरिका का हाथ होने की शंका करना प्रारम्भ कर दिया है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भी शंका निराधार है।

इस देश की वर्तमान लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत केवल यह सदन ही देश-वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसके अलावा ग्राम-सभायें, नगरपालिका और राज्य विधानसभायें भी तो हैं। निस्सन्देह यहां ऐसी बातों पर चर्चा होती है, जिनका अखिलभारतीय महत्व होता है। अतएव यह उचित ही है कि हमारे निर्वाचन-क्षेत्र ग्रामपंचायतों या नगरपालिकाओं या स्थानीय पर्षदों या राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन-क्षेत्रों से बड़े हों। यदि हमारे निर्वाचन-क्षेत्र कुछ बड़े भी होंगे तो हमें जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने में कोई विशेष कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है। हां, हमारे प्रयत्न सच्चे तथा प्रभावी होने चाहियें। निस्सन्देह, इस समय कुछ निर्वाचन-क्षेत्र आवश्यकता से अधिक बड़े हैं। परन्तु इसका कारण यह है कि आजकल कुछ स्थान रक्षित रखे जाते हैं। कुछ समय बाद जब इनका रक्षित रखा जाना बन्द कर दिया जायेगा तो अधिक बड़े निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं रहेंगे और हमारे लिए जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि हमें अन्य देशों के संविधान से बहुत कुछ सीखना है; फिर भी हमें अपने संविधान का विकास अपने ही तरीकों के अनुसार करना चाहिए।

अन्त में मेरा ख़याल है कि सदन के समक्ष जो विधान है वह न केवल इस सदन के बल्कि सारे देश के समर्थन का पात्र है।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मैं इस बात से सहमत हूं कि सदन में सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या ५०० से बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। जो लोग यह चाहते हैं कि सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक होनी चाहिए वे इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि सदन को देश का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करना

चाहिए। परन्तु मैं नहीं समझता कि सदस्यों की संख्या में कुछ वृद्धि करने से स्थिति में कोई विशेष अन्तर आयेगा।

हां, मैं प्रवर समिति के प्रतिवेदन से सहमत नहीं हूं। उन्होंने सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या ५०० रखी है। उन्होंने अनुच्छेद ८१ (१) (ख) में दी गई उच्चतम सीमा तो उड़ा दी, परन्तु निम्नतम सीमा को बढ़ाना उचित नहीं समझा। मेरी राय में निम्नतम सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सम्भव है कि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में केवल पांच लाख निर्वाचक रहें और किसी में दस लाख से भी अधिक हो जायें। अतएव मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन में, जिसमें कि निम्नतम सीमा यों की त्यों रखी गई है और उच्चतम सीमा समाप्त कर दी गई है, फेरबदल होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर विचार स्थगित रहेगा। दूसरा विधेयक मध्याह्न भोजन के पश्चात् लिया जायेगा।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए ढ़ाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदन का कार्य

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि मुझसे अनुपूरक मांगों पर अतिरिक्त जानकारी के सम्बन्ध में बहुत पूछताछ की जा रही है। उस दिन यह तय किया गया था कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करूं और उन्हें दूं। मैं ने उन की प्रश्नावलि सम्बन्धित मंत्रालयों को परिचालित कर दी थी और उसके उत्तर में मुझे बहुत काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। मेरे लिये उसका छपवाना तो सम्भव नहीं है। क्या मैं सम्बन्धित सदस्य को अपेक्षित जानकारी भेजने के लिये आपकी अनुमति मांग सकता हूं ? अन्य सदस्यों के लाभार्थ मैं एक प्रति सदन-पटल पर भी रख दूंगा।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : इसे परिचालित क्यों न कर दिया जाये ?

श्री त्यागी : यह मेरे लिये सम्भव न हो सकेगा। मैं नहीं समझता कि यह सदस्यों के लिये कोई विशेष उपयोगी होगी। अतएव मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे माननीय सदस्य को यह जानकारी उपलब्ध करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : और यदि सदन-पटल पर रखने की बजाय, दूसरी प्रति पुस्तकालय में रख दी जाये ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) यदि माननीय मंत्री पुस्तकालय में इसकी छै प्रतियां रख दें तो अच्छा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यों ने किसी विशेष विषय पर ध्यान केन्द्रित किया है तो उस विषय पर उन्हें जानकारी दे दी जायेगी। अन्य सदस्यों के लाभार्थ वहां उस की एक अन्य प्रति भी रहेग, हमें सरकार से बहुत ज्यादा मांगें नहीं करते रहना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं, श्रीमान्। पहले ऐसा होता था कि सब पक्ष मंत्रालय को तथा सदन को यह बतला देते थे कि वे अपना ध्यान किन-किन कटौती प्रस्तावों पर केन्द्रित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यही तरीका इस समय भी अपनाया जाये। इस तरीके से वाद विवाद भी अधिक अच्छा होगा और सदस्यों की बहुत महनत भी बच जायेगी।

श्री त्यागी : सरकार इस सुझाव का स्वागत करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पक्ष के सचेतक तथा अन्य पक्षों या वर्गों के सचेतक या नेता एक साथ बैठ कर यह तय कर सकते हैं कि कौन-कौन से मद ऐसे हैं जिन पर वे ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। ऐसे मदों सम्बन्धी कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की जाये, शेष सबों पर मुखबंद लगा दिया जाये। यदि ऐसा न हुआ तो हो सकता है कि कुछ कम महत्वपूर्ण मामले ही सारा या अधिकांश समय ले लें। जहां तक असम्बद्ध सदस्यों का सम्बन्ध है, वे भी एक साथ बैठ कर कोई निश्चय कर सकते हैं। यदि ऐसा न हुआ तो फिर हम एक के बाद एक कटौती प्रस्ताव लेते जायेंगे। मेरा यह सुझाव है, वैसे यह सदस्यों की मर्ज़ी है कि वे जैसा चाहें करें।

परिसीमन आयोग विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक-सभा में तथा राज्य विधान-सभाओं में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन का तथा उससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करनें वाले विधेयक पर जिस रूप में कि वह प्रवर समिति द्वारा भेजा गया, विचार किया जाये।"

श्रीमन्, यह ठीक ही है कि आपने दूसरे विधेयक पर अग्रेतर विचार स्थगित कर दिया और इस विधेयक के लिये जाने का आदेश दे दिया। ये दोनों विधेयक एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। अतः माननीय सदस्यगण सब बातें जानने के बाद दूसरे विधेयक पर ज़्यादा अच्छी तरह मत दे सकेंगे।

परिसीमन आयोग विधेयक का अभिप्राय एक ऐसी कार्यव्यवस्था स्थापित करना है जिसका कि विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण करने के लिये संविधान में उपबन्ध हैं। यदि आप संविधान के अनुच्छेद ८१ को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि सब से पहले उस में सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या उल्लिखित है। उसके उपखंड (१)(क) में सदन के समस्त सदस्यों की संख्या निर्धारित है। लोक-सभा में प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पांच सौ से अनधिक सदस्य होंगे। अर्थात् इस संख्या में वे सदस्य सम्मिलित नहीं हैं जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उपबन्धों के अधीन नामनिर्देशित किये जाते हैं। उपखंड (ख) में यह उल्लिखित है कि उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन किया जायेगा तथा उसमें प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दियें जाने वाले सदस्यों की संख्या भी निर्धारित है। उपखंड (ग) में यह कहा गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये गये सदस्यों की संख्या का अनुपात उस निर्वाचन-क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों, निश्चित की गई जनसंख्या से, भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा। और फिर खंड (३) में उपबन्धित है कि :

> "प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख़ से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे।"

दूसरे शब्दों में, परिसीमन आयोग विधेयक का अभिप्राय एक ऐसी कार्य-व्यवस्था स्थापित करना है जो इस प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करे क्योंकि देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक हो गया है।

गत साधारण निर्वाचन के अवसर पर जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० की धारा १३ में इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और वह इस प्रकार थी। जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर भाग क तथा भाग ख में के प्रत्येक राज्य के लिये एक मंत्रणा समिति होती थी। उस मंत्रणा समिति में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अन्यून और सात से अनधिक संसद् सदस्य होते थे। बिलासपुर, कुर्ग और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों को छोड़ कर अन्य भाग ग में के राज्यों के लिये राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् सदस्यों की एक समिति होती थी। मंत्रणा समितियों के नियुक्त किये जाने के बाद, निर्वाचन आयोग को इन मंत्रणा समितियों साथ विचार-विमर्श करके, इनमें से प्रत्येक राज्य के लिये निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में सुझाव देने होते थे। और फिर ये सुझाव आदेश के लिये राष्ट्रपति को भेजे जाते थे। और ये आदेश संसद् के समक्ष रखे जाते तथा संसद् को इन सुझावों में रूपभेद करने का अधिकार था। ऐसे रूपभेदों के पश्चात् ये सुझाव अन्तिम रूप धारण कर लेते थे। यह प्रक्रिया थी।

इस बार कुछ भिन्न प्रक्रिया बनाई जाने का विचार है। ये रूपभेद गत निर्वाचन में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में सुझाये गये हैं। यदि आप ने विधेयक को पढ़ा है तो आप को पता होगा . . .

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। अतः प्रवर समिति में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं.....

श्री बिश्वास। वे सूक्ष्मताओं के सम्बन्ध में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इन परिवर्तनों की ओर निर्देश किया जा सकता है; विधेयक के मूल सिद्धान्त की चर्चा की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बिश्वास : मैं तो कुछ शब्द भूमिका के रूप में कह रहा था; मैं उसकी विस्तृत चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता।

अब मैं उन सूक्ष्म उपबन्धों पर ध्यान दिलाता हूं जो प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक में किये गये हैं। सर्वप्रथम, उसमें एक परिसीमन आयोग स्थापित किये जाने की व्यवस्था है। गत बार परिसीमन आयोग की व्यवस्था नहीं थी। इसमें प्रस्थापना यह है कि एक परिसीमन आयोग स्थापित किया जाये जिसमें तीन सदस्य हों और ये ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति हों जिनका सरकार से कोई संबंध न हो। निर्वाचन आयुक्त भी उन तीन सदस्यों में से एक होंगे। अन्य दो सदस्य उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ये न्यायाधीश चाहे तो निवृत्त व्यक्ति हो सकेते हैं या चाहे ऐसे जो अब भी सेवा में हों। निवृत्त न्यायाधीशों के लिए आने पर कुछ आपत्ति की गई थी, परन्तु प्रवर समिति ने विधेयक को उसी रूप में रहने दिया है जिसमें कि यह पुरःस्थापित किया गया था। खंड ३ (१) (क) तथा (ख) में लिखा है :

> "(क) दो सदस्य, जिनमें से प्रत्येक एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, तथा
>
> (ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन।"

केन्द्रीय सरकार इन न्यायाधीशों में से एक को आयोग का प्रधान नामनिर्देशित करेगी। मैं आशा करता हूं कि सदन इस आयोग

[श्री बिश्वास]

की रचना का, जो कि प्रवर समिति ने स्वीकार कर ली है, समर्थन करेगा क्योंकि यह एक ऐसा निकाय है जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो सकता है और जिस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि उसे जो कुछ भी उत्तरदायी काम सौंपे जायेंगे उन्हें वह पक्षपातरहित ढंग से पूरा करेगा ।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस आयोग के कृत्य क्या होंगे । प्रारम्भ में विधेयक का जो प्रारूप था उसमें संविधान के अनुच्छेद ८१(३) की ही शब्दावलि रख दी गई थी । आयोग का कृत्य यह बतलाया गया था कि वह कई प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन का । उसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था यद्यपि यह आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था । अतः प्रवर समिति ने यह बात स्पष्ट कर दी । उसने यह स्पष्ट कर दिया कि आयोग का कर्तव्य न केवल प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना है, बल्कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना भी है । बिधेयक के खंड ४ में आपको ये शब्द जोड़े गये मिलेंगे : "और उक्त निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना ।"

इसके बाद हम "सहकारी सदस्यों" के प्रश्न पर आते हैं । पिछली बार मंत्रणा समितियों की व्यवस्था थी । उन समितियों में संसद् में भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होने थे । इसका उद्देश्य यह था कि स्थानीय लोगों का ज्ञान प्राप्त किया जा सके । इस विधेयक के अन्तर्गत स्थानीय लोगों का ज्ञान प्रत्येक राज्य में सहकारी सदस्यों की विनियुक्ति कर के प्राप्त किया जा रहा है । ये सहकारी सदस्य आयोग को अपने कर्त्तव्यों के पालन में सहायता पहुंचाऐंगे । ये सहकारी सदस्य केवल लोक-सभा में से ही नहीं, बल्कि स्थानीय राज्य-विधान-सभाओं में से भी लिये जाने हैं ।

जहां तक इन सहकारी सदस्यों की संख्या का प्रश्न है, शुरू में प्रस्थापना यह थी कि इनकी संख्या 'दो से कम नहीं और चार से अधिक नहीं' रखी जाये । परन्तु बाद में प्रवर समिति ने सोचा कि यह संख्या अपर्याप्त है और इसमें वृद्धि होनी चाहिये । अतः अब खंड ५ के विभिन्न उपखंडों में बढ़ी हुई संख्याऐं ही मिलेंगी । भाग क में के राज्यों में ऐसे सदस्यों की संख्या सात होगी । उन में से तीन लोक-सभा के, उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले, सदस्य और चार स्थानीय विधान-सभाओं के सदस्य होंगे । भाग ख में के राज्य में सहकारी सदस्यों की संपूर्ण संख्या पांच होगी, जिनमें से दो तो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक-सभा के सदस्य और तीन उस राज्य की विधान-सभा के सदस्य होंगे । विधान-सभा वाले भाग ग में के राज्य में तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक-सभा का सदस्य होगा और दो उस राज्य की विधान-सभा के सदस्य होंगे । यदि कोई ऐसा भाग ग में का राज्य है जहां विधान-सभा हो नहीं है, तो वहां दो सदस्य होंगे जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक-सभा के सदस्य होंगे ।

अब प्रश्न यह उठता है कि इन सहकारी सदस्यों की विनियुक्ति कौन करे । जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है, नामनिर्देशन लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिये । जहां तक स्थानीय विधान सभाओं के सदस्यों का सम्बन्ध है, उनका नामनिर्देशन करने का काम उनकी अपनी अपनी विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाये ।

एक उपबंध इन नामनिर्देशनों के किये की कालावधि के बारे में जोड़ा गया है । आयोग को यथासम्भव शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना है ; अतएव यह उपबन्धित किया गया है कि इस विधान के प्रभावी होने के एक मास के भीतर विभिन्न विधान-सभाओं के अध्यक्ष अपनी अपनी विधान-सभा के सदस्यों में से नामनिर्देशन करेंगे और फिर उसके बाद एक मास के भीतर इस सदन के अध्यक्ष इस सदन से लिये जाने वाले सहकारी सदस्यों नाम का नामनिर्देशन करेंगे ।

खंड ५ के उपखंड (४) में यह निर्धारित है कि सहकारी सदस्यों में से किसी को भी मत देने या आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सहकारी सदस्यों को कोई टिप्पण प्रस्तुत करने और उन में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा । उन्हें यह अधिकार तो होगा परन्तु मत देने का अन्तिम आदेशों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा । अन्तिम आदेश तो आयोग द्वारा तथा उसके नाम में निर्गमित किये जायेंगे और उसका उत्तरदायित्व केवल आयोग के सदस्यों पर ही होगा ।

खंड ७ में आयोग की प्रक्रिया तथा शक्तियां निर्धारित हैं तथा वह खंड व्यावहारिक रूप से वही है जो मूल विधेयक में था । परन्तु सदस्यों में परस्पर मतभेद होने की दशा में व्यवस्था करने के लिये दो उपखंड (४) तथा (५) जोड़ दिये गये हैं । यह कहा गया है कि किसी दशा में बहुमत की राय मानी जायेगी और आयोग की क्रिया तथा आदेश अधिकांश सदस्यों की राय के अनुसार होंगे ।

उपखंड (५) में एक सादा सा उपबंध किया गया है, अर्थात्, किसी अस्थायी रिक्तता या किसी सदस्य—चाहे आयोग के सदस्य या किसी सहकारी सदस्य—की अनुपस्थिति की दशा में शेष आयोग या सहकारी सदस्यों के शेष वर्ग की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । और आयोग की या सहकारी सदस्यों के किसी वर्ग की कोई क्रिया या कार्यवाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या ऐसी रिक्तता के आधार पर ही अमान्य नहीं होगी या उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी ।

अब हम विधेयकके सर्वाधिक-महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं जिसमें पुनः समायोजन करने और परिसीमन की रीति की व्यवस्था है । पिछली बार निर्वाचन आयोग द्वारा मंत्रणा समितियों को कुछ निदेश दिये गये थे । परन्तु ऐसा किसी संविहित प्राधिकारी के अन्तर्गत नहीं किया गया था । अब इस विधेयक में पहली बार स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि आयोग, सहकारी सदस्यों के साथ बैठते हुए, अमुक प्रकार से कार्यवाही करेगा, और उस सम्बन्ध में विस्तृत उपबन्ध किये गये हैं । मैं इस खंड पर माननीय सदस्यों का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि सोर विधेयक का मूल यही है । यह उपबन्धित किया गया है कि आयोग पहिले तो—जनगणना के आंकड़ों को मानते हुए—लोक-सभा में प्रत्येक राज्य को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित रखे जाने वाले स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या निश्चित करेगा : निस्सन्देह, सब बातें संविधान में दी हुई हैं । अनुच्छेद ८१ (१), उपखंड (ख) तथा (ग), विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को बांट में दिये जाने वाले स्थानों के विषय में ही है । और अनुच्छेद ३३० (१) में स्थानों के रक्षण का उपबन्ध है :

"लोक-सभा में—

(क) अनुसूचित जातियों के लिये,

[श्री बिश्वास]

(ख) आसाम के आदिम जाति-क्षत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर आदिम जातियों के लिये,

(ग) आसाम के स्वायत्तिशासी जिलों में की अनुसूचित आदिमजातियों के लिये,

स्थान रक्षित रहेंगे ।"

फिर अनुच्छेद ३३० (२) में उपबंधित है कि :

"खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लोक-सभा में उस राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य मे की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिम जातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है ।"

तदनुसार यह कहा गया है कि विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को बांट में दिये जाने वाले स्थानों की संख्या निश्चित करते समय अनुच्छेद ८१ तथा ३३० के उपबन्धों पर ध्यान अवश्य दिया जाये ।

एक ऐसा ही उपबन्ध विधान-सभाओं के बारे में किया गया है और उसमें आयोग को संविधान में के विधान सभाओं से सम्बन्ध रखने वाले तत्संवादी उपबन्धों, अर्थात् १७० तथा ३३२ का अनुसरण करना है ।

इसम एक और महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि एक राज्य की विधान-सभा को नियत किये गये स्थानों की समस्त संख्या उस राज्य की लोक-सभा में बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या की पूर्णांक-अपवर्त्य हो ।

जहां तक भाग ग में के राज्यों का प्रश्न है, मनीपुर, त्रिपुरा तथा कच्छ राज्यों के सम्बन्ध में एक स्पष्ट उपबन्ध किया गया है । यह कहा गया है कि किसी ऐसे भाग ग में के राज्य को, जहां विधान-सभा नहीं है, इस समय लोक-सभा में बांट में दिये गये स्थानों की संख्या में कोई कमी नहीं की जायेगी ।

अब इन स्थानों के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटे जाने का प्रश्न आता है । इसका उपबन्ध खंड ८ के उपखंड (२) में गया है । यह कहा गया है कि आयोग जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर प्रत्येक भाग क में के राज्य, प्रत्येक भाग ख में के राज्य तथा कुछ भाग ग में के राज्यों की विधान-सभाओं को नियत स्थान, 'भाग ग राज्य सरकार अधिनियम, १९५१' की धारा ३ के अन्तर्गत, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को बांटेगा और फिर उन्हें संविधान के उपबन्धों के अनुसार परिसीमित करेगा । आयोग को इस सम्बन्ध में कुछ निदेश दिये गये हैं कि उसे परिसीमन करने का कार्य किस प्रकार करना चाहिये । कुछ साधारण नियम उल्लखित किये गये हैं जो उन निदेशों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं जो गत साधारण निर्वाचन के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा वास्तव में दिये गये थे । अभिप्राय यह है कि नियमत: निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र होंगे ; परन्तु जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थान रक्षित रखे जाने चाहियें वहां दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जाने होंगे, क्यों की एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये रक्षित

होगा तथा एक साधारण स्थान होगा । पश्चिमी बंगाल में उत्तर बंगाल नामक एक निर्वाचन-क्षेत्र है जहां से तीन सदस्य लिये जाते हैं—दार्जिलिंग, जलपायगुरी और दीनाजपुर ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : और कूच बिहार ।

श्री बिश्वास : हां, कूच विहार, दीनाजपुर नहीं । इस क्षेत्र को पृथक करना तथा एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र बनाना सम्भव नहीं था । उदाहरणार्थ, जलपायगुरी एक ऐसा जिला है जहां अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है ।

श्री बर्मन : और अनसूचित आदिम-जातियों की भी ।

श्री बिश्वास : हां, अनुसूचित आदिम-जातियों की भी । मेरा ख्याल है कि सारे भारत में यही एकमात्र ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र है जहां से तीन सदस्य लिये जाते हैं ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य): जी नहीं । तीन सदस्यों वाला एक निर्वाचन-क्षेत्र और भी है । बम्बई राज्य में नासिक-इगतपूरी निर्वाचन-क्षेत्र । नासिक तालुके में हरिजन जनसंख्या बहुत अधिक है और इगतपूरी तालुके में पिछड़े हुए वर्गों के लोग अधिक संख्या में हैं । अतः इस नासिक-इगतपूरी निर्वाचन-क्षेत्र में तीन स्थान हैं एक सामान्य, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित आदिमजाति । मैं भी उसी निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं ।

श्री बिश्वास : तो मैं ग़लती पर था । मेरा ख्याल था कि तीन सदस्यों वाला निर्वाचन-क्षेत्र केवल एक ही है और वह पश्चिमी बंगाल में है । प्रवर समिति ने तीन सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्र के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : उस दशा में अनचित बात यह होगी कि यदि कोई एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र से कोई अनुसूचित जाति का या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य चुना जाता है तो बाकी लोगों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं हो सकेगा । अतएव संविधान में यह व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति म दो सदस्यों वाला निर्वाचन-क्षेत्र होना चाहिये ।

श्री बिश्वास : प्रवर समिति की रिपोर्ट में तो यह व्यवस्था है कि ऐसा एक सदस्य वाला निर्वाचन-क्षेत्र हो सकता है जिसमें कि वह एक सदस्य किसी अनुसूचित जाति या आदिमजाति का व्यक्ति हो ।

श्री गाडगिल : उस दशा में अन्य लोग प्रतिनिधित्व के बिना ही रह जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तुक में यह लिखा है :"यदि अनुसूचित जातियों के लोग अधिक हों" तो यह एक सदस्य वाला निर्वाचन-क्षेत्र हो सकता है ।"

श्री गाडगिल : मान लीजिये, किसी निर्वाचन-क्षेत्र में ५१ प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के हैं और ४९ प्रतिशत अन्य । तो वे ४९ प्रतिशत व्यक्ति बिना किसी प्रतिनिधित्व के ही रह जायेंगे । यदि ये दोनों मिला दिये जायें तो सब लोगों के प्रतिनिधित्व होने की सम्भावना है । वस्तुतः उस समय इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी और यह तय किया गया था कि ऐसी दशाओं में दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र होने चाहियें ।

श्री बिश्वास : मैं यह कहने वाला था कि ऐसी दशा में वहां वास्तव म संयुक्त निर्वाचन होगा । अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को और गैर-अनुसूचित जातियों या गैर-अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को बराबर अवसर मिलेगा । सारी बात तो इस चीज़ पर निर्भर होगी कि उम्मीदवार

[श्री बिश्वास]

कितने मत प्राप्त कर सकता है । निस्सन्देह अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति प्रधान क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्ति को जीतने का अधिक मौका होगा ।

प्रवर समिति ने इस विधेयक में जो जो उपबन्ध किये हैं वे ये हैं : सर्वप्रथम, (क) वे कहते हैं कि सब निर्वाचन-क्षेत्र या तो एक सदस्य वाले या दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्र होंगे। (ख) जहां व्यवहार्य हो एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित कर दिये जायें। (ग) दो सदस्यों वाले प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में एक स्थान तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित अदिमजातियों के लिये रक्षित होगा और दूसरा स्थान इस प्रकार रक्षित नहीं होगा। (घ) जहां तक सम्भव हो, सकेन्द्रण के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाये । "जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित है, वे, जहां तक सम्भव हो, ऐसे क्षेत्रों में स्थित होंगे, जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के, जैसी भी स्थिति हो, लोग सर्वधिक सकेन्द्रित हों ।" (ङ) एक साधारण नियम सब निर्वाचन-क्षेत्रों पर लागू है, अर्थात्, इन निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण करने में प्रशासनात्मक सुविधा, प्राकृतिक दशाओं, संचार की सुविधा आदि बातों का ध्यान रखा जायगा । जहां तक सम्भव हो हमें सुसंहत क्षेत्र लेने चाहियें । उपखंड (ङ) में यही दिया हुआ है : "सब निर्वाचन-क्षेत्रों में यथासाध्य भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगें और उसका परिसीमन करने में प्राकृतिक दशाओं, प्रशासनात्मक एककों की वर्तमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं तथा जनता के सुभीते का ध्यान रखा जायेगा ।" ये साधारण निर्देश हैं ।

श्री बर्मन : क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं ? क्या 'यथासाध्य' का तात्पर्य यह है कि जिस निर्वाचन-क्षेत्र में ५० प्रतिशत या ५० प्रतिशत से भी कम जनसंख्या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों की है वहां भी आयोग को उसे एक सदस्य वाला रक्षित निर्वाचन-क्षेत्र बनाने का हक्क होगा ?

श्री बिश्वास : सब से पहिले, आयोग यह तय करेगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को क्या विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाये तथा क्यों दिया जाये । आयोग स्थानों की संख्या भी नियत करेगा । इसके बाद प्रश्न यह उपस्थित होगा कि विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में स्थान किस प्रकार बांटे जायें । यह सुझाया गया है कि स्थान-रक्षण केवल ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में किया जाये जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों का सकेन्द्रण हों । साथ ही, यह भी उचित नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों के लिये रक्षण किसी एक अमुक क्षेत्र में केन्द्रित कर दिया जाये ; यह राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में होना चाहिये । दूसरे शब्दों में, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें इन रक्षित स्थानों का उपबन्ध हो, किसी एक ही स्थान पर नहीं, वरन् अलग-अलग क्षेत्रों में होने चाहियें ।

श्री बर्मन : मैं तो यह मालूम करना चाहता हूं कि उपखंड (ङ) में 'यथासाध्य' शब्द से क्या अभिप्राय है ।

श्री बिश्वास : साधारणतया एक सदस्य वाला निर्वाचन-क्षेत्र साधारण निर्वाचन-क्षेत्र ही होगा और वहां कोई स्थान रक्षण

नहीं होगा। जहां स्थान रक्षण करना है वहां दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र ही बनाने पड़ेंगे। परन्तु एक दो मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र भी अनुसूचित जातियों या अनूसूचित आदिम जातियों के लिये अलग रखे जायें।

श्री बर्मन : क्या विचार यह है कि जिस निर्वाचन-क्षेत्र में एक सदस्य का रक्षित स्थान है वहां उस समुदाय की कम से कम ५० हजार से अधिक जनसंख्या होगी ?

श्री बिस्वास : यह एक ऐसा विषय है जिसका विनिश्चय आयोग द्वारा ही किया जायेगा। ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है कि जनसंख्या कहां ५० प्रतिशत से अधिक हो, कहां ५० प्रतिशत हो या कहां ५० प्रतिशत से कम हो। अभिप्राय यह है कि जहां यह समझा जायेगा कि इन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये वहां उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा चाहे इसके फलस्वरूप निर्वाचन-क्षेत्र में साधारण स्थान न रहे और केवल रक्षित स्थान ही रहे। साधारणतया, जहां संविधान द्वारा ऐसा प्रतिनिधित्व अपेक्षित है, वहां दो सदस्यों वाला निर्वाचन-क्षेत्र ही होगा।

परिसीमन आयोग के विनिश्चयों या सुझावों का प्रकाशन दो अवस्थाओं पर किया जायेगा। पहिले तो आयोग कुछ काम चलाऊ निश्चय कर लेगा और उनका प्रचार किया जायगा। फिर उन की जनता द्वारा जांच की जायेगी तथा एक निश्चित तारीख तक उनसे आपत्तियां तथा सुझाव मांगे जायेंगे। तब इन आपत्तियों और सुझावों की सार्वजनिक सुनवाई या सुनवाइयां होंगी। वहां कोई भी व्यक्ति उपस्थित होकर अपने उन विचारों का समर्थन कर सकता है जो उसने पहिले ही आयोग को भेज दिये हों। उसके बाद आयोग अन्तिम आदेश निर्गमित करेगा। विधेयक में यह उपबन्ध है कि आयोग पहिले तो उपधारा (१) के अधीन संख्या निश्चित की जाने के बारे में सुझाव प्रकाशित करेगा और फिर खंड ८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत स्थानों के वितरण तथा परिसीमन सम्बन्धी सुझाव प्रकाशित करेगा। यदि किसी सहकारी सदस्य ने विपरीत मत दिया हो तो वह मत भी, यदि वह सदस्य चाहे, प्रकाशित कर दिया जायेगा और ये सब जनता के सामने होंगे। हां, अन्तिम निर्णय आयोग ही करेगा। तो प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक के मुख्य उपबन्ध ये हैं।

मैं नहीं समझता कि इस अवस्था पर मेरा इन सुझावों का और अधिक स्पष्टीकरण करना उचित होगा। मान लीजिये कि आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने के बाद किसी प्रत्यक्ष त्रुटि का पता लगता है, तो वह किस प्रकार सुधारी जायेगी ? इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि छै मास के भीतर ऐसी किसी ग़लती का पता चले तो उसे निर्वाचन-आयुक्त ठीक कर सकता है। वह आयोग के किसी सदस्य की, जो उस समय वहां हो, राय भी ले सकता है। इस अवस्था पर तो मैं बस इतना ही कुछ कहने की ज़रूरत समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रवर समिति द्वारा किये गये कुछ संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सर्व-प्रथम मैं खंड ८ के उपखंड २ (ख) तथा (छ) को लेता हूं। मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति के लिये रक्षित किसी एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिये

[श्री दाभी]

जब तक कि उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों का सारवान बहुमत न हो । किसी अमुक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के सकेन्द्रण का यह अर्थ नहीं है कि उस क्षेत्र में उनका बहुमत है । अतः प्रवर समिति का यह कह देना मात्र कि जिन क्षेत्रों में इन जातियों का सकेन्द्रण हो वहां एक सदस्य वाले रक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण किया जा सकता है, स्पष्ट नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित कर दिया जाये कि एक सदस्य वाले रक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जायेगा जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम-जातियों का सारवान बहुमत है। मेरे इस सुझाव के स्वीकार कर लिये जाने से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा । यदि दो सदस्यों वाला निर्वाचन-क्षेत्र बना लिया जाये तो उन्हें तो स्थान मिलेगा ही परन्तु इसके साथ अन्य लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो जायेगा । अतएव मैं चाहता हूं कि जब तक किसी क्षेत्र विशेष में इन जातियों का सारवान बहुमत न हो तब तक वहां एक सदस्य वाला रक्षित निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाये ।

अब मैं खंड ८ के उपखंड २ (ङ) की चर्चा करूंगा । उसमें कहा गया है कि निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने में अन्य बातों के अतिरिक्त प्रशासनात्मक एककों की विद्यमान सीमाओं पर भी ध्यान रखा जायगा । इसका यह अर्थ हुआ कि यदि प्रशासनात्मक एककों की वर्तमान सीमाओं में कोई परिवर्तन किया गया तो निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करते वक्त उसका कोई ख्याल नहीं रखा जायेगा । मेरी राय में, कुछ वर्तमान प्रशासनात्मक एककों के तुरन्त पुनर्निर्माण किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है । मेरा सुझाव यह है कि भौगोलिक रूप से सन्निकट समस्त तालुकों को प्रत्येक जिले में फिर से इस प्रकार मिलाया जाये कि वहां या तो एक एक सदस्य वाले या, यदि तालुका बड़ा है, तो एक दो सदस्य वाले या दो एक एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण हो सके । ऐसा होने पर सब लोगों को तसल्ली हो सकेगी । अन्यथा, यह उचित नहीं होगा कि केवल कुछ गांवों को ही लेकर उन्हें अन्य तालुकों में, एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करने के प्रयोजन से, जोड़ दिया जाये । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से यह कहे कि वे तालुकों का मेरे द्वारा बतलाये गये ढंग से पुनर्निर्माण करें । तालुकों का पूनः समायोजन करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं होगी ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी और इनको कार्य-रूप से परिणत करने के लिये मेरे संशोधनों को भी स्वीकार करेगी ।

श्री बर्मन : उस खंड पर मैंने एक छोटे से संशोधन की सूचना दी है । इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि निर्वाचन आयोग को यह प्राधिकार दिया जाये कि असाधारण दशाओं में वह एक विशेष उपबन्ध कर सके, अर्थात् यदि आयोग को, खंड ८ (२) (ख) में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करते हुए, किन्हीं जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उस दशा में वह स्वविवेक से तीन-सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्र के निर्माण का सुझाव दे सके । अन्य बातें मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय कहूंगा । इस बीच तो मैं यही चाहता हूं

कि सदन इस बात पर विचार करे और आयोग को यह अधिकार दे ।

श्री गाडगिल : मैं इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे केवल इतना कहना है कि खंड ८ के उपखंड (२) (ख) में जो उपबन्ध है वह अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये अनुचित है । मान लीजिये किसी निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसी जातियों के लोगों की संख्या ४० या ४५ प्रतिशत है और एक दूसरी में २५ प्रतिशत है । तो मैं चाहता हूं कि रक्षित स्थान उस निर्वाचन-क्षेत्र में रखा जाये जहां उनकी २५ प्रतिशत जनसंख्या हो, उसमें नहीं जिसमें ४० या ४५ प्रतिशत हो । इस तरह से उन्हें कुछ अतिरिक्त स्थान प्राप्त हो सकेंगे । परन्तु यदि हम खंड ८ के उपखंड (२) (ख) में दिये गये उपबन्ध को मान लेंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि हम उन्हें कुछ अतिरिक्त स्थानों से वंचित करेंगे ।

इसी प्रकार यदि मेरे सुझाव को कार्यान्वित किया जाये तो इस से गैर अनुसूचित जातियों या गैर अनुसूचित आदिमजातियों का भी भला ही होगा ।

जब सदन के सामने यह विषय विचाराधीन था तो इस प्रश्न पर काफ़ी चर्चा की गई थी और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जहां कहीं भी कोई स्थान रक्षित किये जाये वह दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र में ही किया जाये । मेरे ख्याल में इस बीच कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जिससे उस विनिश्चय के न माने जाने का औचित्य प्रकट होता हो । मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस सुझाव पर पूर्ण रूप से विचार करेगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मुझे संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति तथा इस परिसीमन आयोग विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति दोनों का सदस्य रहने का सौभाग्य रहा है । मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि प्रवर समिति में समस्त सदस्यों को, बिना किसी दल विशेष की भावना रखते हुए, स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने दिया गया । प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते मुझे इन दो विधानों का समर्थन करते हुए अतीव हर्ष हो रहा है ।

जहां तक संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सदन में सदस्यों की वर्तमान सम्पूर्ण संख्या भी आवश्यकता से बहुत अधिक है । सदन में इतने अधिक सदस्य होने के कारण वाद विवाद ठीक नहीं होता, किसी विशेष समस्या के गहन अध्ययन में बाधा पहुंचती है और हम देश में विद्यमान विभिन्न भावनाओं के अधिक शिकार हो जाते हैं ।

मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो संसदीय लोकतंत्र की प्रभावोत्पादन शक्ति में विश्वास नहीं करते । इंगलैंड में संसदीय लोकतंत्र का गत ५०० वर्षों से परीक्षण किया जा रहा है, परन्तु अंग्रेज़ भी इस प्रकार की शासन पद्धति में अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं । श्री चर्चिल तक ने यह राय प्रकट की है कि औद्योगिक समस्याओं पर ध्यान देने के लिये एक औद्योगिक संसद् होनी चाहिये । अधिक सदस्य होने से निकट सहकारिता स्थापित करना प्रायः असम्भव हो जाता है और हम अधिक सदस्यों वाले सदन में उतनी अच्छी तरह से चर्चा नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरह कि प्रवर समिति या ऐसे ही किसी अन्य निकाय में ।

मेरा ख्याल है कि हमारे देश में विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र होना चाहिये और शक्ति जनता को हस्तान्तरित कर दी जानी चाहिये । पूर्वी देशों में सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर दिया गय है—

[श्री एस० एस० मोरे]

शक्ति केन्द्र में नहीं, वरन् ग्रामों में है । यदि हम इन बातों को ध्यान में रखें तो सदन में सदस्यों की वर्तमान संख्या भी अधिक मालूम होगी---और अधिक वृद्धि करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

अब मैं कुछ बातें परिसीमन आयोग विधेयक के सम्बन्ध में कहूंगा । प्रवर समिति ने इस विधेयक में कितने ही अच्छे सुधार किये हैं । पहला तो यह कि परिसीमन आयोग की प्रतिष्ठा एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय की सी कर दी गई है । हमने प्रवर समिति में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि यह परिसीमन आयोग सहकारी सदस्यों की सहायता से अपनी प्रारम्भिक उपपत्तियां प्रकाशित करेगा, उन पर आपत्तियां आमंत्रित करेगा और लोगों के ब्यान सुनेगा । उसके बाद आयोग अन्तिम निर्णय देगा । इस प्रक्रिया से जनता में विश्वास उत्पन्न होगा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

आयोग में कुछ सहकारी सदस्य भी होंगे क्योंकि हो सकता है कि न्यायिक व्यक्ति स्थानीय दशाओं से अवगत न हों । उस दशा में यह सहकारी सदस्य जिन्हें स्थानीय दशाओं का पूर्ण ज्ञान होगा, आयोग के सदस्यों का हाथ बटायेंगे । परन्तु इन सहकारी सदस्यों से एक खतरा भी है । ये लोग लोक-सभा और राज्य की विधान-सभाओं से लिये जायेंगे ; अतः किसी निर्वाचन-क्षेत्र विशेष के निर्माण के सम्बन्ध में उनके कुछ अपने राजनैतिक स्वार्थ हो सकते हैं ।

मेरा भी श्री गाडगिल के साथ यह ख्याल है कि कुछ क्षेत्रों में आदिवासियों या अनुसूचित जातियों को एक सदस्य वाला स्थान देना स्वयं उन के ही हित में नहीं होता । इसके विपरीत इस से उनका नुकसान हो सकता है । व्यक्तिगत रूप से मेरा ख्याल यह है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में साधारण स्थान के साथ साथ रक्षित स्थान भी रखा जाये तो साधारण स्थान और रक्षित स्थान दोनों से खड़े होने वाले उम्मीदवारों को फ़ायदा पहुंचेगा । साधारण स्थान से खड़े होने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जातियों के मत प्राप्त हो सकेंगे और रक्षित स्थान से खड़े होने वाले अभ्यर्थी को गैर-अनुसूचित जातियों के मत प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा । अतएव मैं प्रवर समिति की इस सिपारिश विशेष से सहमत नहीं हूं तथा मेरा ख्याल है कि यदि विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिये एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया और गैर-अनुसूचित जातियों को लोगों में निर्वाचन में भाग लेने की अभिरुचि उत्पन्न न की गई तो इसके परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र अलग थलग से हो जायेंगे और बाकी के लोग मतदान नहीं करेंगे ।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के निर्वाचन-क्षेत्र बनाते हुए इस बात का पूरा ख्याल रखा जाये कि प्रशासनात्मक एककों में काट-छांट न हो । यदि हम कनाडा या इंगलैण्ड ऐसे विभिन्न देशों के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहां सत्तारूढ़ पक्ष के हित के लिये प्रशासनात्मक एककों को भंग करने की घटनायें हुई हैं । हमारे देश में भी ऐसी घटनायें हुई हैं और इसीलिये प्रवर समिति ने यह सिपारिश की है कि भिन्न भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र बनाते समय प्रशासनात्मक एककों के साथ यथासम्भव कम से कम छेड़ छाड़ की जाये ।

पिछली बार मेरा अनुभव यह रहा था कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने सम्बन्धित

अधिकारियों तक पहुंच करके अपनी इच्छानुसार काम करवा लिये और आम लोगों की कुछ भी न चली। इस बार प्रवर समिति ने ठीक ही यह कहा है कि परिसीमन सम्बन्धी ये सुझाव भिन्न भिन्न स्तरों पर प्रकाशित किये जायेंगे तथा जनता से आपत्तियां मांगी जायेंगी। प्रारम्भिक सुझावों पर आपत्ति करने वाले व्यक्तियों को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस से उन सब लोगों को बहुत संतोष होगा जिन्हें पिछली बार इस सम्बन्ध में शिकायतें थीं।

पिछली बार ऐसा हुआ था कि दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थान उसी निर्वाचन क्षेत्र के साधारण स्थान के साथ रखा गया था। परन्तु इस बार मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थान किसी दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र के साधारण स्थान के साथ रखा जाये। इस प्रणाली का अनुसरण करने से गैर-अनुसूचित जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को मत देने की आदत पड़ेगी। अनुसूचित जातियों के लिये स्थान अभी एक और निर्वाचन में रक्षित रखा जायेगा। फिर संविधान के बनने के दस वर्ष बाद स्थान-रक्षण की सुविधा समाप्त हो जायेगी। अतएव यह आवश्यक है कि इस समय में लोगों को इस बात की आदत डाली जाये कि वे गैर-राजनैतिक या गैर-साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रख कर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को भी मत दे सकें। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों का भविष्य केवल उसी दशा में अच्छा हो सकता है, अन्यथा दस वर्ष बीतने के बाद भी हालत यों की त्यों बनी रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष रखे गये इन दो विधानों का समर्थन करता हूं।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : यह एक ऐसा विधान है जिसका सम्बन्ध देश में निर्वाचन करने से है। अतएव हमें इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिये कि लोगों के मस्तिष्क में यह सन्देह न आने पाये कि सत्तारूढ़ दल पक्षपात से काम कर रहा है। यद्यपि हम यह देखते हैं कि प्रवर समिति ने विधेयक में सुधार किया है, तथापि कुछ बातें अब भी ऐसी हैं जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

आयोग में जो सहकारी सस्दय रखे जायें वे किसी एक ही दल विशेष के न हों। प्रवर समिति से आये विधेयक में यह उल्लिखित है कि सहकारी सदस्यों का नामनिर्देशन करते हुए लोक-सभा का अध्यक्ष या राज्य विधान-सभा का अध्यक्ष सदन की रचना का ध्यान रखेगा। मेरा कहना यह है कि "सदन की रचना" पद को अधिक स्पष्ट किया जाये; क्योंकि प्रवर समिति के सभापति श्री अनन्तशयनम अय्यंगार ने अपनी रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से यह कहा है कि सदन की "राजनैतिक रचना" का ध्यान रखा जायेगा, परन्तु विधेयक में यह कहा गया है कि "सदन की रचना" का ध्यान रखा जायेगा। अतः मैं चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट कर दी जाये। पिछले निर्वाचन में हम ने देखा था कि निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार किया गया जिससे किसी दल विशेष से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवार का फ़ायदा होता हो। इस बुराई को दूर करने के लिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सहकारी सदस्यों का नामनिर्देशन करते हुए अध्यक्ष को सदन की "राजनैतिक रचना" का ध्यान रखना चाहिये, चाहे यह राज्य विधान सभा हो या चाहे लोक-सभा।

जहां तक आयोग द्वारा किये जाने वाले विनिश्चयों का प्रश्न है, हम चाहते हैं कि इन विनिश्चयों का प्रचार प्रत्येक अवस्था

[श्री एन० बी० चौधरी]

पर किया जाये। प्रवर समिति के सभापति की रिपोर्ट में तो यह उल्लेख है कि आयोग के विनिश्चयों की प्रकाशना प्रत्येक अवस्था पर की जायेगी, परन्तु विधेयक में 'प्रत्येक' शब्द नहीं है। उसमें यह उल्लिखित है कि विनिश्चय सरकारी गज़ट में प्रकाशित कर दिये जायेंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत कम लोग गजट पढ़ते हैं, अतः ये विनिश्चय समाचारपत्रों में भी प्रकाशित होने चाहियें तथा अन्य सरकारी प्रकाशना संस्थाओं द्वारा भी इनका प्रचार होना चाहिये। हम सरकार से यह भी अनुरोध करेंगे कि सहकारी सदस्यों को आयोग के विनिश्चयों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होनी चाहिये।

आयोग के कार्य करने के तरीके के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि आयोग पहले तो प्रत्येक राज्य को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या निश्चित करेगा और फिर निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का काम शुरू करेगा। स्थानीय दशाओं का वास्तविक ज्ञान सहकारी सदस्यों को होगा। वस्तुतः सारी बात इन्हीं पर निर्भर है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि ये सहकारी सदस्य केवल सत्ताधारी पक्ष के ही नहीं, वरन् समस्त राजनैतिक दलों के होने चाहियें।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह मांग की गई है कि जहां अनुसूचित जातियों का सकेन्द्रण हो उन क्षेत्रों में एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र उपयुक्त रहेंगे। जिन क्षेत्रों में उन की संख्या अधिक है उनमें एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान रक्षित रखे जाने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं, परन्तु जहां वे ३०-४० प्रतिशत ही हैं, वहां दो सदस्यों वाला निर्वाचन-क्षेत्र होना चाहिये ताकि यदि अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की संख्या पर्याप्त हो और यदि दोनों अभ्यर्थी लोकप्रिय हों तो दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य ही चुने जा सकें।

परिसीमन आयोग विधेयक के खंड १० में यह उल्लिखित है कि आदेश में कोई गलती या चूक हो जाने पर निर्वाचन आयुक्त आयोग के अन्य सदस्यों या उन में से ऐसे सदस्यों की स्वीकृति से, जो उस समय वहां मौजूद हों, आदेश दे कर छै मास के भीतर उक्त गलती सुधार सकता है। मेरी समझ में यह उपबन्ध अस्पष्ट सा है। इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या आयोग के सहकारी सदस्यों या अन्य सदस्यों की बैठक बुलाने का प्रयत्न किया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उपबन्ध होना चाहिये ताकि सदस्यों को सूचना दे कर एक औपचारिक बैठक बुलाई जाये और परिवर्तन सम्बन्धी कोई विनिश्चय ऐसी बैठक में किया जाये। यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उठे तो आयोग को अन्य राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों और उस निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करना चाहिये।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों के रक्षण के बारे में मुझे यह कहना है कि दो सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में स्थान रक्षित रखे जाने की वर्तमान व्यवस्था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व देने का सब से कम जटिल तरीका है। यद्यपि आयोग में प्रत्येक राज्य से सात सहकारी सदस्य लिये जायेंगे, परन्तु मुझे खेद है कि उसमें अनुसूचित जाति के एक भी सदस्य रखे जाने की व्यवस्था नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आयोग के तीन मुख्य सदस्यों में से कोई

अनुसूचित जाति का हो; परन्तु मेरा कहना यह है कि प्रत्येक राज्य में से लिये जाने वाले सात सहकारी सदस्यों में से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का होना चाहिये।

एक बात मुझे यह कहनी है कि यह रिपोर्ट केवल इसीलिए विधि नहीं बन जानी चाहिये क्योंकि उस पर सात या दस सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। यह केवल तभी कानून बननी चाहिये जब संसद इस पर पूर्ण रूप से वाद विवाद कर ले। इस विधान विशेष के सम्बन्ध में मुझे बस इतना ही कुछ कहना है।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : प्रस्तुत विधेयक को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो ज्ञात होगा कि इस में कुछ कमियां हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। विधेयक के खंड ५ के उपखंड (४) में उपबन्धित है कि किसी भी सहकारी सदस्य को मत देने का या आयोग के विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात् जहां तक मत देने का विनिश्चय करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार आयोग के तीन मुख्य सदस्यों को होगा। ये तीन सदस्य कौन होंगे? एक तो निर्वाचन आयुक्त और दो उच्च न्यायालय के वर्तमान या निवृत्त न्यायाधीश।

मेरा कहना यह है कि यद्यपि ये न्यायाधीश विधिवेत्ता होंगे, परन्तु वे निर्वाचकों तथा अभ्यर्थियों की वास्तविक कठिनाइयों से पूर्णतः अनभिज्ञ होंगे। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये ठोस सुझाव देने के लिये समर्थ व्यक्ति तो ये सहकारी सदस्य ही हो सकते हैं जो लोक-सभा या राज्य विधान-सभा के सदस्य होंगे। परन्तु उनका मत तो गिना जायेगा नहीं और उनका विनिश्चय भी विनिश्चय नहीं समझा जायगा अतः मेरी सुझाव यह है कि खंड ५ का उपखंड (४) बिल्कुल ही निकाल दिया जाय। यानी लोक-सभा के सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को, जो कि आयोग के सहकारी सदस्य होंगे, इन निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण या परिसीमन सम्बन्धी विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये। मैं सम्मानित न्यायाधीशों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि व्यापारिक कठिनाइयों का हल निकालने के लिये वे स्वयं अभ्यर्थियों से अधिक सक्षम नहीं हैं। यदि सहकारी सदस्यों को आयोग के विनिश्चयों में अपनी राय देने का हक्क नहीं होगा तो ऐसे विनिश्चय दोषपूर्ण और त्रुटियुक्त रहेंगे।

खंड ७ के उपखंड (३) में उपबन्धित है कि :

> "आयोग अपने सदस्यों में से किसी को उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के उपखंड (क) से (ग) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने का प्राधिकार दे सकता है, और आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत सदस्य द्वारा, उन शक्तियों में से किसी का प्रयोग करते हुए, दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही आयोग का आदेश या कार्यवाही, जैसी भी दशा हो, समझे जायेंगे।"

इस उपबन्ध से एक कठिनाई उत्पन्न होती है और साथ ही परस्पर विरोधी अर्थ भी निकलते हैं। जहां तक आयोग की सदस्यता का सम्बन्ध है, यदि आप "सदस्य" की परिभाषा करने वाला खंड देखें तो आपको मालूम होगा कि :

(श्री टेक चन्द)

'सदस्य' का अर्थ है आयोग का एक सदस्य और उसके अन्तर्गत सभापति भी सम्मिलित है ।"

तो सहकारी सदस्य भी आयोग का सदस्य है । आपने एक सदस्य को—चाहे वह सहकारी सदस्य हो या नियमित सदस्य—पूर्ण अधिकार दे दिया है । मेरा सुझाव है कि उपखंड (३) में प्रगणित विषयों पर कोई विनिश्चय कम से कम तीन सदस्यों द्वारा किया जाये । जहां तक मैं समझता हूं सदस्य का अर्थ सहकारी सदस्य भी है । एक ओर तो आप कहते हैं कि सहकारी सदस्य को मत देने या आयोग के निश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है और दूसरी ओर यह उपबन्धित है कि किसी भी एक सदस्य द्वारा दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही—यदि वह ऐसा करने के लिये आयोग द्वारा प्राधिकृत कर दिया गया हो—सदन का ही आदेश या कार्यवाही समझे जायेंगे । तो यह एक अजीब सी स्थिति है ।

श्री बिस्वास: "सदस्य" का अर्थ "सहकारी सदस्य" नहीं है । सहकारी सदस्य और आयोग के सदस्य में अन्तर है ।

श्री टेक चन्द : तो इस का अर्थ यह हुआ कि सहकारी सदस्य की, जो कि व्यवहारिक कठिनाइयों को अच्छी तरह से समझता है कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रही ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें । वह अपना भाषण बाद में जारी कर सकते हैं । पहले श्री गुहा द्वारा प्रस्तुत एक प्रश्न के सम्बन्ध में "आधे घंटे की चर्चा" होगी । माननीय सदस्य पांच बजे के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री वैलायुधन : क्या हम पांच बजे के बाद भी बैठ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां । यह चर्चा आधे घंटे में पूरी होगी ।

आसाम और पश्चिमी बंगाल में चाय के बगीचे

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : सदन देश के चाय उद्योग में विद्यमान संकट से अवश्य ही अवगत होगा । सदन के इस सत्र में इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उस दिन एक अल्पसूचना प्रश्न भी पूछा गया था । अल्पसूचना प्रश्न के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा नहीं हो सकी थी; इसलिये मैंने इस "आधे घंटे की चर्चा" की सूचना दी थी । मुझे विशेषत: इन इन बातों का उल्लेख करना है : इस सम्बन्ध में बनाई गई सरकारी समिति की सिपारिशें; कलकत्ता बाज़ार में चाय का न बिकना तथा उसका काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ; और संकटग्रस्त चाय बागों को प्राप्य ऋण सम्बन्धी सुविधाएं ।

सरकारी दल (टीम) ने देश का दौरा करके चाय उद्योग के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की थी । उसने कोई ५० सिपारिशें की हैं । मैं चाहता हूं कि सदन को यह मालूम होना चाहिये कि सरकार ने इन सिपारिशों को कहां तक माना है तथा उन्हें कार्य रूप में कब परिणत किया जायगा ।

समाचारपत्रों की ख़बरों से पता चलता है कि कम से कम दो लगातार अवसरों पर कलकत्ते के नीलाम में चाय की बिक्री न हो सकी । इस का कारण क्या है ? कलकत्ते के अलावा लन्दन में भी चाय का नीलाम

होता है। अच्छी किस्म की चाय लगभग सब की सब लन्दन भेज दी जाती है। अतः कलकत्ते के नीलाम में ठीक किस्म की चाय नहीं मिलती। सरकार को चाहिये कि कुछ ऐसे उपाय करे जिससे चाय की दो जगह बिक्री बंद हो सके। बिक्री न हो सकने की वजह से चाय भारी मात्रा में इकट्ठी हो गई है। सरकार को यह सुझाव भी दिया गया था कि कलकत्ते में चाय रखने के लिये अच्छे गोदामों की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वहां वह खराब न हो।

तीसरी बात मुझे बन्द हुए चाय बागों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें दी जाने के बारे में कहनी है। ये संकटग्रस्त बाग़ अधिकांश रूप से भारतीय ही हैं। यूरोपीय चाय बागों पर इतना संकट नहीं आया है जितना कि भारतीय बाग़ों पर। इन बागों के बंद हो जाने का एक कारण यह है कि वाणिज्यिक बैंकों ने उन्हें रुपया उधार देना बंद कर दिया है। बैंकों ने यह नियम बना रखा है कि इस वर्ष की फस्ल पर रुपया पिछले वर्ष की फस्ल के मूल्य के आधार पर देते हैं। गत वर्ष चाय की कीमतें बहुत गिर गई थीं। अतः इस वर्ष ऋण अधिक नहीं दिया जा सका। मैं जानता हूं कि कुछ बैंकों ने और अधिक रुपया देने से इन्कार कर दिया है। सरकारी समिति ने यह सिपारिश की थी कि औद्योगिक वित्त निगम तथा भूमि बन्धक बैंकों को चाय उद्योगों को रुपया देना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दे कि चाय बाग़ों को इन से किस सीमा तक ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं।

चाय उद्योग में के वर्तमान संकट के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लन्दन के नीलामकर्त्ताओं के सहयोग से चाय की कीमतें निश्चित कर दी जायें। चाय उद्योग सम्बन्धी सरकारी समिति नें कलकत्ते के वर्तमान चाय व्यापार में की कुछ बहुत शोचनीय बातों की ओर निर्देश किया है। कलकत्ते में चाय की दलाली करने वाले सार्थ लगभग सब के सब यूरोपीय हैं और उन्होंने कलकत्ते के सम्पूर्ण चाय उद्योग को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये उनका क्या करने का इरादा है। संयुक्त राजतंत्र ने, जो कि हमारी चाय का सब से बड़ा उपभोक्ता है, सन् १९३८ से कम चाय लेना शुरु कर दिया है। गत १२-१४ वर्षों में संयुक्त राजतंत्र ने हमसे पहले से कोई १० करोड़ पौंड कम चाय खरीदी है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये। इस प्रसंग में मैं तथाकथित "साम्राज्यीय अधिमान" की ओर ध्यान दिलाऊंगा। जब हम से यह कहा जाता है कि हम संयुक्त राजतंत्र तथा कुछ अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों में निर्मित सामान को कुछ अधिमान दें, तो हमें यह आशा करनी चाहिये कि संयुक्त राजतंत्र भी अन्य देशों की चाय की अपेक्षा भारतीय चाय को अधिमान देगा और खरीदेगा।

मैं समझता हूं कि जिन प्रश्नों पर मुझे स्पष्टीकरण चाहिये उनके सम्बन्ध में मैंने अधिकांश बातों का उल्लेख कर दिया है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह एक ऐसी समस्या है जिसमें अनेक सदस्य अभिरुचि रखते हैं। मुझे आशा है कि जो कुछ कहूंगा उससे यदि उन सब की पूरी तसल्ली नहीं होगी तो कम से कम इतना तो अवश्य हो जायेगा कि उन्हें यह विश्वास हो जायेगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर रही है। चाय उद्योग में के संकट की पृष्ठभूमि वास्तव में यह है कि चाय की उत्पादन लागत तथा उससे प्राप्त होने वाले मूल्य में—चाहे देश में चाहे विदेश में—अन्तर आ गया है।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

यह अन्तर इसलिये है क्योंकि चाय की कीमत इतनी तेज़ी के साथ गिर गई कि चाय स्वत्व अपने आपको नये वातावरण के समनकूल नहीं ढाल पाये। कल ही मुझे इंडिया हाउस, लन्दन से एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि वहां चाय का राशन ख़त्म होने तथा मूल्य नियन्त्रण उठने के बाद निम्न तथा मध्यम प्रकार की चाय का खुदरा मूल्य लगभग २ शिलिंग ६ पैंस प्रति पौंड है जब कि स्टैन्डर्ड प्रकार की चाय की कीमत कोई ३ शिलिंग ६ पैंस से ले कर ४ शिलिंग ६ पैंस तक और बढ़िया प्रकार की, ६ शिलिंग से ले कर १० शिलिंग तक प्रति पोंड है।

यह बात चाय उद्योग सम्बन्धी सरकारी समिति ने भी मान ली है। हमें यह भी मानना होगा कि अब हम साधारण प्रकार की चाय इंगलैण्ड भेज कर अच्छी कीमत वसूल नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि जब संयुक्त राजतंत्र ही हमारा एकमात्र ख़रीदार था तब तो हम उस पर कुछ प्रभाव डाल कर सब प्रकार की चाय भेज सकते थे।

मेरी राय में एक और आशाजनक चीज़ लन्दन के ६ दिसम्बर के "फाइनेन्शियल टाइम्स" का वह सम्पादकीय लेख है। जिसकी ओर मेरा ध्यान मेरे मित्र श्री त्रिपाठी ने दिलाया था और जिस में लिखा है:

> "चाय मूल्य में कमी कुछ परिस्थितियों के दुर्भाग्यपूर्ण संयोग के फ़लस्वरूप हुई है। पहले तो सन् १९५१ में ही बहुत अधिक फालतू चाय थी। साथ ही यह भी बात थी कि संयुक्त राजतंत्र में जो कि दुनियां की सब से बड़ी चाय की मंडी है, चाय पर नियन्त्रण ज़ारी था। इस प्रकार लोग सीमित मात्रा में ही चाय ख़रीद और बेच सकते थे। यह नियन्त्रण उठा लिया गया और इसके पहले राशन की मात्रा दो औंस से बढ़ा कर तीन औंस कर दी गई थी। यही बात ध्यान देने योग्य है। जिन लोगों को पहले दो औंस चाय मिलती थी अब उन्हें तीन औंस मिलने लगी थी। जब नियन्त्रण हटाया गया तो दुकानों में चाय का स्टाक काफ़ी था तथा उपभोक्ताओं के पास भी चाय की साधारणतया अधिक मात्रा मौजूद थी। इन सब बातों के परिणामस्वरूप, जिस चाय का मूल्य २ शिलिंग प्रति पौंड और, कुछ मामलों में, २ शिलिंग ९ पैंस प्रति पौंड था वह अब १ शिलिंग ६ पैंस से कुछ अधिक दर पर बिक रही है।"

चाय की कीमत में कमी आने के कारण के साथ साथ स्थिति में सुधार करने के उपाय का भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि कीमतें इस समय इसलिये कम हैं क्योंकि चाय का स्टाक बहुत इकट्ठा हो गया है और ज्यों ज्यों इस स्टाक का उपभोग होता जायेगा त्यों त्यों चाय की स्थिति में भी सुधार होता जायेगा।

मेरे माननीय मित्र ने बैंकों द्वारा दिये जाने वाले धन के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया था। स्पष्ट है कि जब लागत तथा मूल्य में अन्तर होता है तो इसका बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह तो ठीक है कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये, परन्तु साथ

ही हमें यह भी न भूलना चाहिये कि कीमत में थोड़ी बहुत वृद्धि करके—यह तो निश्चित है कि कीमत बढ़ कर पहले जैसी तो हो नहीं सकती—या अस्थायी रूप से रुपया दे कर चाय उद्योग में का संकट दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिये तो सभी सम्बन्धित वालों को उचित योग देना पड़ेगा। चाय वालों को एक दो वर्षों तक कम नफे से ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा। उन्हें बिना लाभांश लिये ही कार्य करना होगा। उधर मज़दूरों को भी समायोज़न करना होगा।

चाय बागों में काम करने वाले मज़दूरों के सम्बन्ध में एक बात विशेष है जो मैं समझता हूं अन्य कहीं नहीं है। इन मज़दूरों को अब भी पांच रूपये प्रति मन की दर से चावल दिया रहा जा है। स्वभावतः इसका उन की मजूरी पर प्रभाव पड़ता है। उनकी निम्नतम मजूरी १४ आने से लेकर १ रुपये २ आने के बीच निश्चित हुई है जब कि आसाम में कृषि श्रमिकों को २ रुपये ८ आने मिलते हैं। कुछ भी हो, यह एक तथ्य है कि चाय के बगीचों में काम करने वाले मज़दूरों को पांच रुपये प्रति मन की दर से चावल दिया जा रहा है। चाय उद्योगों का कहना है कि इसका काम की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है। चाहे काम सप्ताह में केवल एक ही दिन हो, परन्तु राशन पूरे सप्ताह का दिया जाता है। यह राशन मज़दूर के परिवार के सब लोगों को दिया जाता है। इससे जाहिर होता है कि सब लोगों द्वारा कुछ न कुछ त्याग किये जाने की ज़रूरत है।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि चाय के बगीचों को धन की आवश्यकता है। जहां तक हमारी जानकारी है, वर्तमान संकट मुख्य रूप से कोई २७५ भारतीय चाय बागों तक ही सीमित है। ये बगीचे अधिकांश रूप से उत्तर और उत्तर-पूर्व में हैं। ये आसाम में आठ अनुसूचित बैंकों और एक स्पेक्स कोओपरेटिव बैंक द्वारा वित्त पोषित किये जा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि उन में से कितने अधोसीमान्त अलाभप्रद एकक (सब-मार्जिनल अनइकोनौमिक यूनिट्स) हैं। कुछ तो स्पष्टतया उस श्रेणी के हैं। वित्तपोषण या निम्नतम मूल्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। कुछ को तो बंद होना ही पड़ेगा। परन्तु हरेक के साथ यह बात नहीं है। हां, कुछ बागों को, मेरा अभिप्राय सीमान्त एककों से है, कुछ सीमा तक सहायता दी जा सकती है। सरकार से यह कहा गया है कि वह ऐसी कार्यवाही करे कि बैंक सीमान्त एककों, अर्थात् आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ चाय बागों को १९५३ की फ़सल के लिये वित्त देते रहें, चाहे १९५२ में उन्हें घाटा ही रहा हो। यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई किसी सहायता या प्रत्याभूति जैसी भी दशा हो, से बहुत से सीमान्त बगीचे बंद होने से बच जायेंगे और वे कीमत सम्बन्धी स्थिति सुधरने तक निम्नतम "बैंक बैलेन्स" भी बनाये रख सकेंगे।

सरकार चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति से काफ़ी परेशान रही है। मेरे मंत्रालय के सचिव गत दस दिनों में दो बार कलकत्ते और एक बार बम्बई गये हैं। वित्तीय स्थिति को समझने में हमें वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तथा रिज़र्व बैंक के भी कुछ अधिकारियों से काफ़ी सहायता मिली थी। अब सरकार यह सोच रही है कि वह इस बात पर विचार करे कि बैंकों को १९५३ की फ़स्ल पर ऋण देने में घाटे के विरुद्ध प्रत्याभूति दी जानी कहां तक सम्भव है। हां, यह प्रत्याभूति इन बगीचों द्वारा १९५२ में बैंकों को चुकाये गये धन की प्रतिशतता तक ही सीमित रहेगी। स्वभावतः सरकार इस प्रत्याभूति के बदले में आवश्यक प्रतिभूतियां

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आदि मांगेगी ताकि अन्त में सरकार को कोई हानि न पहुंचे। परन्तु जो बगीचे सरकार से उक्त सहायता बैंकों के द्वारा लेंगे, सरकार को उन से कुछ अतिरिक्त प्रत्याभूति मांगनी होगी, जैसे कि यह कि वे सरकार की प्रत्याभूति पूरी तरह से खत्म हो जाने तक लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे और यह कि वे एक दम मजदूरों में कमी नहीं करेंगे।

मेरे सहयोगी माननीय श्रम मंत्री, एक सप्ताह के भीतर कलकत्ते में एक सम्मेलन बुला रहे हैं जिसमें चाय उत्पादकों तथा चाय के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों दोनों के प्रतिनिधि होंगे। सरकार को आशा है कि इस सम्मेलन का कुछ अच्छा परिणाम ही निकलेगा। कम से कम इससे यह तो सुनिश्चित हो ही जायेगा कि मजदूरों को चाय के बगीचों के बंद हो जाने से अनुचित हानि नहीं उठानी पड़ेगी।

मैं यह और कह दूं कि मैं ने जो कुछ कहा है वह न्यूनाधिक भारतीय चाय बागों के बारे में है। हो सकता है कि इन में से कुछ भारतीय चाय बाग "एजेन्सी हाउसेज" द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे हों। ऐसे बागों को हम सहायता नहीं दे सकते। जब तक कि वे वित्त के लिये बैंकों—अनुसूचित या सहकारी—पर आश्रित न हों, जब तक सरकार उन्हें सहायता नहीं दे सकती, यदि वे "एजेन्सी हाउसेज" पर आश्रित हैं, तो उन्हें अपना प्रबन्ध खुद करना होगा। हो सकता है कि कुछ यूरोपीय चाय के बगीचे भी संकट में हों। हम यह तो चाहते ही हैं कि हमारे देश में चाय पैदा हो, परन्तु इसके अतिरिक्त हम यह भी नहीं चाहते कि इस उद्योग में लगे मजदूरों को इस बात से कोई नुकसान पहुंचे कि सरकार इन यूरोपीय चाय बागों को भी कुछ सहायता देने के लिये तैयार है। मैं समझता हूं कि इन योरोपीय चाय बागों की कुछ रक्षित निधि भी रहती है। अनेक मामलों में उन्हें उतनी सहायता की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि भारतीय बगीचों को। परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त के अधीन रहते हुए कि इन यूरोपीय बगीचों के मालिक अपने मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, हम किसी भी ऐसे समझौते या मध्यस्थनिर्णय को मानने को तैयार हैं, जो दोनों द्वारा स्वीकार किया जाये। हम इन चाय बागों को भी वैसी ही सहायता देने के लिये तैयार है, परन्तु उन्हीं सीमाओं के अधीन।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इस क्षेत्र में सरकार का कोई संगठन नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे पास इस सम्बन्ध तक में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि कितने चाय के बगीचे बंद कर दिये गये हैं। इसका कारण ही यह है कि इस क्षेत्र में हमारी कार्य-व्यवस्था अभी कुशल नहीं है हां, हमें पूरी आशा है कि अगले बारह मासों में हम अपनी कार्य-व्यवस्था में आवश्यक फेर-बदल करके कम से कम स्थिति का ठीक ठीक पता तो लगा ही सकेंगे। परन्तु सदन को, जनता को, चाय के बगीचों के मालिकों को, उनके संचालकों को और मजदूरों कम से कम यह महसूस तो करना चाहिये कि जैसी स्थिति में हम आज हैं, उसमें यह कहने मात्र से कोई फ़ायदा नही होगा कि इसने यह गलती की, उस ने गलती की या सरकार हमेशा गलत ही काम करती रहती है। हमें मिल कर स्थिति का हल निकालना है। यह स्पष्ट है कि सब को ही कुछ न कुछ त्याग करना होगा। यदि सब सम्बन्धित लोग यह आश्वासन दे दें, तो उस दशा में सरकार भी यह आश्वासन दे सकती है कि वह सरकारी

धन का, जहां तक सम्भव होगा, दुरुपयोग नहीं होने देगी। हम से जितना हो सकता है, हम कर रहे हैं। मैं फिर लन्दन के समाचार-पत्र का हवाला दूंगा जिसमें लिखा है :

> "प्रथम, सांख्यकीय स्थिति एक वर्ष पूर्व की स्थिति से कहीं अधिक आशाजनक है। जहां तक हिसाब लगाया जा सकता है, अब फ़ालतू स्टाक नहीं है और १९५२-५३ के मौसम में, जो मार्च में समाप्त होता है, संभरण और मांग सन्तुलित रहेंगे।"

यदि यह स्थिति का ठीक अनुमान है तो हम कह सकते हैं कि चाय उद्योग का भविष्य अच्छा है। मुझे आशा है कि इस पत्र ने जो कुछ लिखा है वह ठीक ही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट): चाय उद्योग की एक विशेषता यह है कि इसका ८० प्रतिशत भाग यूरोपीय पूंजी के नियन्त्रण में है और यह सम्पूर्ण उद्योग यूरोपीय पूंजीपतियों की जकड़ में है। भारत में ये ब्रिटिश चाय उत्पादक वे लोग हैं जो चाय बाज़ार में जानबूझ कर ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं जिस से चाय कम कीमत पर बिक रही है। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इस विषय में सदन को पूर्ण जानकारी दें।

मैं दूसरी बात यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उत्पादन लागत के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करेगी और क्या चाय के बगीचों के मालिकों की इस मांग पर विचार नहीं किया जायेगा कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं किया जाना चाहिये।

सदन का कार्य

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं तो केवल यह वायदा कर सकता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं उस पर विचार करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि मैं अन्य माननीय सदस्यों से बोलने के लिये नहीं कह सकता। परन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि वह न केवल उन बातों पर जो कही गई हैं बल्कि उन पर भी जो बाद में उनके सामने रखी जायें, विचार करेंगे।

सदन का कार्य

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदन परिसीमन आयोग विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेगा। कार्यावलि पर बहुत अधिक विधेयक मौजूद हैं और हमारे पास समय बहुत कम है। अतः मैं सुझाव दूंगा कि सदन की बैठक दस बजे से छै बजे तक हुआ करे। एक बजे से डेढ़ बजे तक अवकाश रहे।

कुछ माननीय सदस्य: कल से ?

कुछ माननीय सदस्य: कल तो असरकारी सदस्यों के विधेयकों का दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय: परसों से।

एक माननीय सदस्य: परन्तु परसों तो अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: जिस दिन अनुपूरक मांगों पर विचार होगा उस दिन बैठक दस बजे प्रारम्भ होगी और पांच बजे मुखबंद लगा दिया जायेगा। फिर कोई एक घंटा या ४५ मिनट और मिलेंगे। यह मामला हम आज समाप्त कर दें।

कई माननीय सदस्य: नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: कोई आधा घंटा और बैठ लीजिये; इस परिसीमन आयोग

विधेयक का प्रथम प्रक्रम आज समाप्त कर दिया जाये ।

कई माननीय सदस्य : कल से । सम्भव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में कोई निर्णय सदन का विरोध करके नहीं करना चाहता । कल तो असरकारी सदस्यों के विधेयक का दिन है । परसों का दिन अनपूरक मांगों की चर्चा के लिये है । अतएव १३ तारीख से जब कि योजना प्रयोग की रिपोर्ट पर चर्चा . . . . .

कई माननीय सदस्य : सोमवार से ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । सोमवार से ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, ११ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।